द्वितीय माला, खण्ड २०—अंक २४

११ सितम्बर, १९५८ (गुरुवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fifth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २० में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

194A LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड २०--अंक २१ से ३०--८ सितम्बर से १९ सितम्बर १९५८)

पृष्ठ

अंक २१ सोमवार, ८ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १००९, १०११ से १०१७ और १०१९ से १०२२ . . . . २४९१--२५१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०१०, १०१८ और १०२३ से १०५४ . २५१३--२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३२ से १६९६ . . . २५२७--५३

स्थगन प्रस्ताव--

उत्तर प्रदेश में कथित खाद्य संकट . . . २५५३--५९

दो सदस्यों की गिरफ्तारी २५५९

दो सदस्यों को सजा २५५९-६०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २५६०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २५६०

तारांकित प्रश्न संख्या ८० के उत्तर की शुद्धि . . २५६१

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक--पुरःस्थापित २५६१

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) विधेयक--पुरःस्थापित २५६२

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५६२--९७

खण्ड २ और ३ . . . . . २५८९--९७

खाद्य स्थिति पर विचार करने के लिये अनौपचारिक बैठक के सम्बन्ध में वक्तव्य २५९७--२६००

दैनिक संक्षेपिका २६०१--०६

पृष्ठ

अंक २२—मंगलवार, ९ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५५, १०५६, १०५८, १०५९, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७ से १०६९, १०७१ से १०७४, १०७६, १०७८ और १०७९ . . . . . . २६०७—३१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . . २६३१—३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५७, १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०७०, १०७५, १०७७, १०८० से १०८९ और ५६५ . . . २६३३—४१

अतारांकित प्रश्न संख्या १६९७ से १७५५ . . . २६४१—६८

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश विधान सभा में शान्ति स्थापित करने के लिये सशस्त्र सिपाहियों का बुलाया जाना . . . . . २६६८—७४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . २६७४—७६

श्री शि० ला० सक्सेना द्वारा वक्तव्य २६७५

राज्य सभा से सन्देश २६७६

लोक लेखा समिति—

९वीं रिपोर्ट २६७६

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—

खण्ड ४ से १४ और १ . . . . . . २६७७—९५

पारित करने के लिये प्रस्ताव २६९४–९५

केरल तथा मद्रास राज्य में विषाक्त खाद्यपदार्थों से हुई घटनाओं के बारे मे प्रस्ताव . . . . २६९५—२७०४

दैनिक संक्षेपिका २७०५–०९

अंक २३—बुधवार, १० सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९० से ११०० और ११०३ से ११०८ २७११—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०१, ११०२, ११०९ से ११३७, ६३१ और ६७४ . . . . २७३४—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५६ से १८१४ और १८१६ से १८३० २७४९—८१

पृष्ठ

सदस्य द्वारा पद-त्याग २७८१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सत्र में विरोधी दल के सदस्यों द्वारा भाग न लिया जाना . . . . २७८१—८४, २७८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन . . २७८४

भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . २७८६—९५

खण्ड २ और १ . . २७९३–९४

पारित करने का प्रस्ताव . २७९५

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . २७९५—२८०५

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में चर्चा २८०६—१६

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . २०१६

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन . . २८१६

दैनिक संक्षेपिका . . २८१७—२१

अंक २४—गुरुवार, ११ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४० से ११४५, ११४७, ११५०, ११८३, ११५१ से ११५४, ११५६ से ११५९, ११६२ से ११६४, ११६६, ११६८, ११६९, ११७१ और ११७२ . . . . २८२३—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११३८, ११३९, ११४६, ११४८, ११४९, ११५५, ११६०, ११६१, ११६५, ११६७, ११७०, ११७३ से ११८२ और ११८४ . . . . . . २८४९—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८३१ से १९०३, १९०५ से १९१३ और १९१५ से १९१८ . . . . . २८५९—९२

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव के बारे में प्रश्न . . .	२८९२
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	२८९२–९३
राज्य-सभा से सन्देश . . .	२८९३
याचिका का उपस्थापन	२८९३
पठानकोट में गोला-बारूद की पेटियों में विस्फोट के बारे में वक्तव्य .	२८९३–९४
कार्य मंत्रणा समिति—	
उनतीसवां प्रतिवेदन .	२८९५
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	२८९५—२९३२
दैनिक संक्षेपिका . . .	२९३३—३९

अंक २५—शुक्रवार, १२ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८५ से ११८८, ११९० से ११९६, ११९८ से १२०३, १२०७ और १२०८ . . .	२९४१—६६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० .	२९६६—७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८९, ११९७, १२०४ से १२०६ और १२०९ से १२२२	२९७०—७७
अतारांकित प्रश्न संख्या १९१९ से १९७२ और १९७४ से १९९९	२९७७—३०१०
सरदार सम्पूर्ण सिंह का निधन	३०१०
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३०१०–११
राज्य सभा से सन्देश	३०११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के परिणाम .	३०११—१६
तारांकित प्रश्न संख्या ९१३ के उत्तर की शुद्धि .	३०१६–१७
तारांकित प्रश्न संख्या २३२ के उत्तर की शुद्धि . .	३०१७
सभा का कार्य . .	३०१७
तेल की खोज के बारे में वक्तव्य . .	३०१८
समिति के लिये निर्वाचन—	
प्राक्कलन समिति . .	३०१८–१९

पृष्ठ

उच्चन्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक—
पुरःस्थापित . . ३०१९

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ३०१९—२५

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३०२५—३१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
छब्बीसवां प्रतिवेदन . ३०३१—३२

राष्ट्रीय भारतीय युवक परिषद् बनाने के बारे में संकल्प—
वापिस लिया गया ३०३२—३४

कुछ न्यायाधिकरणों को उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हटाने के बारे में संकल्प—
अस्वीकृत . . . . . ३०३५—४८

उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा संबंधी झगड़ों का निर्णय करने के लिये एक आयोग की स्थापना के बारे में संकल्प . . ३०४८

दैनिक संक्षेपिका . . ३०४९—५५

अंक २६—सोमवार, १५ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १२२३ से १२२५, १२२७, १२२८, १२३०, १२३२ से १२३५, १२३७ से १२४१, १२४३ से १२४८ और १२५३ . ३०५७—८३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ और १२ ३०८३—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १२२६, १२२९, १२३१, १२३६, १२४२, १२४९ से १२५२ और १२५४ से १२६३ . . . ३०८६—९४
अतारांकित प्रश्न संख्या २००० से २०८९ . ३०९५—३१३२

स्थगन प्रस्ताव—
किमाय और मात्सू द्वीप के संबंध में वाशिंगटन में वित्त मंत्री का वक्तव्य . . . . ३१३२—३५

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३१३६—३८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ३१३८—३९

राज्य-सभा से सन्देश ३१३९

पृष्ठ

एक सदस्य की गिरफ्तारी तथा सजा . . . ३१३९

एक सदस्य की गिरफ्तारी ३१३९

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक——

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—— ३१३९——५४

गन्दी बस्तियाँ हटाने के बारे में मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन के संबंध में चर्चा ३१५४——७७

दैनिक संक्षेपिका ३१७८——८४

अंक २७——मंगलवार, १६ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १२६५ से १२६७, १२६९, १२७१ से १२७६, १२७८ से १२८१, १२८३, १२८४, १२८७ और १२८८ . ३१८५——३२०९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ ३२०९——११

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १२,६४, १२६८, १२७०, १२७७, १२८२, १२८५, १२८६, और १२८९ से १३०५ . ३२११——२०

अतारांकित प्रश्न संख्या २०९० से २१७६ ३२२०——५३

दो सदस्यों की गिरफ्तारी . ३२५३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३२५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——

बीमा एजेन्टों को दिये जाने वाले कमीशन में कमी ३२५५–५६

वाणिज्यक नौवहन विधेयक——

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३२५६——९५

दैनिक संक्षेपिका ३२९६——३३०२

अंक २८——बुधवार, १७ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६ से १३१०, १३१२, १३१५ से १३१७, १३२१ से १३२८ और १३३० . . . . ३३०३——२९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . ३३३०–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर ——

तारांकित प्रश्न संख्या १३११, १३१३, १३१४, १३१८ से १३२०, १३२९ और १३३१ से १३४९ . . . . ३३३१——४१

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या २१७७ से २२६३ ३३४१—७९
स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३३७९—८०
जानकारी का प्रश्न ३३८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र ३३८०—८१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
सत्ताईसवां प्रतिवेदन . ३३८१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में हैजे का प्रकोप ३३८१
विष (संशोधन) विधेयक—
पुरस्थापित . ३३८१—८२
वाणिज्यिक नौवहन विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार .
खण्ड २ से २०, २२ से १००, १०२ से १४९, २१, १०१,
१०३ से ४६१, अनुसूची और खंड १ . ३३८२—३४१६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ३४१३—१६
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव . ३४१६—२८
दैनिक संक्षेपिका . ३४२९—३४

अंक २९—गुरुवार, १८ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १३५०, १३५१, १३५४, १३५६ से १३६५ और १३६७ . . . ३४३५—५७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १३५२, १३५३, १३५५, १३६६, १३६८ से १३७९ और १३८१ से १३९५ . . ३४५७—६९
अतारांकित प्रश्न संख्या २२६४ से २३७६ ३४६९—३५१९
सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३५२०
एक सदस्य का अपराधी ठहराया जाना . . . ३५२१
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव . ३५२१—६१
दैनिक संक्षेपिका . . . . ३५६२—६९

अंक ३०—शुक्रवार, १९ सितम्बर, १९५८

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९६, १३९८ से १४००, १४०२, १४०४, १४०५, १४०८, १४०९, १४११, १४१२ और १४१४ . ३५७१—९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९७, १४०१, १४०३, १४०७, १४१०, १४१३ और १४१५ से १४२६ . ३५९५—३६०१

अतारांकित प्रश्न संख्या २३७७ से २४३६ ३६०२—२६

डा० भगवान दास का निधन ३६२६—३०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६३०—३१

राज्य सभा से सन्देश ३६३१

सभा का कार्य . . ३६३१—३२

समितियों के लिये निर्वाचन . ३६३२—३३

१. प्राक्कलन समिति; और

२. लोक लेखा समिति ?

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ३६३३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव . . . ३६३३—४७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्ताइसवां प्रतिवेदन ३६४७

अयोग्य व्यक्ति बन्ध्यीकरण विधेयक—

पुरःस्थापित . ३६४८

छावनी (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ३६४८—५९

समवाय (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ३६५९—६३

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . . ३६६३

सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ३६६३

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३६६४—७०

नोटः— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, ११ सितम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

लोथल में पुरातत्वीय संग्रहालय

+
†*११४०. { **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री प्र० के० देव : }

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद के निकट लोथल में पुरातत्वीय संग्रहालय स्थापित करने की योजना के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय कर लिया गया है परन्तु अभी लोथल में खुदाई का काम पूरा न होने के कारण ब्योरा नहीं बताया जा सकता ।

†**श्री राम कृष्ण** : ब्योरे के बारे में कब तक निर्णय हो जायेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : आशा है कि खुदाई का काम अगले वर्ष तक पूरा हो जायेगा, तब हम ब्योरा तैयार करेंगे ।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या देश के अन्य भागों में भी ऐसे संग्रहालय स्थापित किये जायेंगे ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : प्रमुख पुरातत्वीय स्थानों पर पहले से ही संग्रहालय मौजूद हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

194(A) LSD—1

बोस जांच बोर्ड

†*११४१. श्री स० म० बनर्जी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री तंगामणि :
श्री सूपकार :
श्री संगण्णा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंधड़ा उपक्रमों में जीवन बीमा निगम की निधि के विनियोजन के लिये जिम्मेदार पदाधिकारियों पर लगाये गये आरोप की जांच करने के लिये स्थापित किये गये जांच बोर्ड, जिस के अध्यक्ष श्री जस्टिस विवियन बोस थे, ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या यह सच है कि प्रतिवेदन १५ सितम्बर को प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है और यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : प्रतिवेदन इस मास के मध्य में प्रस्तुत हो जायेगा परन्तु तिथि निश्चित नहीं है । सरकार द्वारा विचार कर लेने के बाद प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या प्रतिवेदन प्रकाशित किया जायेगा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यदि उसे सभा-पटल पर रखा जाता है तो वह सार्वजनिक ही हो जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब यह सार्वजनिक सम्पत्ति हो जाती है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार ने यह व्यवस्था की है कि वे सब गवाह उपस्थित हों जिन्हों ने छागला आयोग के सामने गवाही दी थी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह तो आयोग पर निर्भर करता है ।

†**श्री तंगामणि** : पिछली बार जब प्रश्न पूछा गया था तो उन्हों ने कहा था—

†**अध्यक्ष महोदय** : उस के बारे में आप क्यों चिन्ता करते हैं ? वह अब उत्तर दे देंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और वह जिन गवाहों को चाहे बुला सकता है और कोई भी सहायता मांग सकता है। इस से सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†श्री स० म० बनर्जी : क्या भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री ति० त० कृष्णमाचारी को भी गवाही के लिये बुलाया गया था ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : आयोग ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी ।

†श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या आयोग द्वारा सरकार को प्रतिवेदन भेजने में विलम्ब होने की आशंका है ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : ऐसा तो कोई कारण नहीं कि विलम्ब हो जाये ।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

†*११४२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने अब तक जो कार्य किया है उस का ब्योरा क्या है ; और

(ख) १९५८ में दिये जाने वाले कार्य की योजना क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २३]

†श्री दी० चं० शर्मा : विवरण से पता चलता है कि कुछ ऐसी पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं जो पहले अन्य लोग प्रकाशित कर चुके हैं । क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास इस पुनरावृत्ति को रोकेगा अथवा इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : माननीय सदस्य भारत सरकार के संकल्प को देखें जिस में पुस्तकों के प्रकाशन सम्बन्धी नीति की पूरी तरह व्याख्या की गई है । न्यास वे पुस्तकें छापना चाहता है जो सस्ती हों और जिन्हें पुस्तकालय, शिक्षा संस्थायें और साधारण जनता आसानी से खरीद सके । भारत सरकार के संकल्प से राष्टीय पुस्तक न्यास के प्रकाशनों सम्बन्धी नीति पूर्ण व्याख्या मिलती है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या पुस्तक न्यास मानव ज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों की तुलना में वैज्ञानिक पुस्तकें अधिक प्रकाशित करेगा जिन की देश में बहुत कमी है ?

†अध्यक्ष महोदय : जो बातें ज्ञापन में दी गई हैं । उन के बारे में माननीय सदस्य क्यों पूछते हैं ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : भारत सरकार के संकल्प में सब कुछ बताया गया है ।

†श्री तंगामणि : विवरण से पता चलता है कि एक अल्प-कालीन कार्यक्रम है और दूसरा दीर्घ-कालीन । क्या अल्प-कालीन कार्यक्रम में कुछ पुस्तकें विशेष कर डा० राधा कृष्णन् की पुस्तक काल्की को सभी प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : माननीय सदस्य कृपया यह सुझाव राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को भेज दें ।

†श्री वाजपेयी : क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाषणों और लेखों का एक संग्रह भी प्रकाशित करने का विचार है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : अल्प-कालीन और दीर्घ-कालीन कार्यक्रमों का ब्योरा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने तैयार किया है और उस में कई पुस्तकें शामिल हैं । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये दोनों विवरण सभा-पटल पर रख दूंगा ।

नेपाल में भारतीय प्रतिनिधिमंडल

†*११४३. + श्री विभूति मिश्र :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री वाजपेयी :
श्री पाणिग्रही :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाली सेना को प्रशिक्षण देने तथा उस के पुनर्गठन के लिये एक भारतीय सैनिक प्रतिनिधिमंडल नेपाल भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने आदमी भेजे गये थे ;

(ग) उन्हों ने अब तक क्या काम किया है ; और

(घ) क्या यह सच है कि उन में से कुछ वहां मंत्रणा दल बनाने के लिये पीछे रह जायेंगे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी हां, अप्रैल १९४२ में ।

(ख) १३८ ।

(ग) प्रतिनिधिमंडल ने नेपाली सेना के पुनर्गठन का काम करीब करीब पूरा कर लिया है और ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी काफी उन्नति कर ली है ।

(घ) जी हां । १६ मई, १९५८ से प्रतिनिधिमंडल की जगह एक इंडियन मिलिटरी ट्रेनिंग एडवाइजरी ग्रुप ने ले ली है और इस के सदस्यों की संख्या भी बहुत कम कर दी गई है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जो इंडियन मिलिटरी मिशन नेपाल में सिखाने के लिये गया था, उस के ऊपर अब तक भारत सरकार का कुल कितना खर्च हुआ है ।

†**सरदार मजीठिया** : भारत सरकार को इस मिशन पर, १९५२-५३ में १४ लाख रुपये ; १९५३-५४ में ११ लाख रुपये ; १९५४-५५ में १० लाख रुपये ; १९५५-५६ में १० लाख रुपये और १९५६-५७ में नवम्बर तक ४ लाख रुपये का खर्च वहन करना पड़ा ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि अब तक नेपाल के विभिन्न ग्रेडों में किस किस तरह के आदमियों को किस किस प्रकार की शिक्षा दी गई है । ?

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार मजीठिया : जैसा कि उत्तर में बताया जा चुका है नेपाली सेना का पुनर्गठन करने और उसे भारत के स्तर तक लाने के लिये यह सब किया गया था और यह काम पूरा हो चुका है। इसलिये नेपाल सरकार के कहने पर 'मिशन' को 'मंत्रणा दल' में बदल दिया गया है और संख्या कम कर दी गई

†श्री वाजपेयी : क्या यह सच है कि नपाल सरकार ने भारतीय मिशन की वापसी की घोषणा अचानक ही कर दी और पहले से भारत सरकार को सूचित नहीं किया और इस से दोनों सरकारों में कुछ गलतफहमी पैदा हो गई थी ?

†सरदार मजीठिया : यह सही नहीं है । नेपाल और भारत सरकार के परस्पर सम्बन्ध बहुत ही अच्छे हैं ।

†श्री वाजपेयी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न में पूछी कई बातों में से एक का उत्तर दिया गया है ।

†श्री वाजपेयी : दूसरी बात का उत्तर क्यों नहीं दिया गया ?

†अध्यक्ष महोदय : वह एक ही प्रश्न में सब बातें क्यों पूछते हैं ? माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या वह मिशन अपने आप, बिना कोई सूचना दिए और बिना सरकार के आदेश के वापस आ गया था ।

†सरदार मजीठिया : मैं ने उत्तर दिया कि यह बात सही नहीं है ।

†श्री बोस : माननीय मंत्री ने जो खर्चे की राशि बताई क्या उस में वेतन, भोजन और वर्दी का वह खर्च भी शामिल है जो भारत में भी किया जाता है ?

†सरदार मजीठिया : जी हां । भारत सरकार ने जो खर्च किया उस में रिहायश और परिवहन के खर्चे के अतिरिक्त जो कि नेपाल सरकार ने किया था सभी खर्च शामिल हैं ।

†श्री बोस : अतिरिक्त व्यय कितना हुआ है ?

†सरदार मजीठिया : रिहायश के स्थान और परिवहन का अतिरिक्त खर्च नेपाल सरकार ने ही किया यह मैं बता चुका हूं ।

कुतुब मीनार

+

*११४४. { श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री ६ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुतुब मीनार में बिजली लगाने का काम इस बीच पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना धन व्यय हुआ ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). मीनार के भीतरी हिस्से में बिजली लगाने का काम पूरा हो गया है, इस में अन्दाजन ११,००० रुपये खर्च हुए हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कुतुब मीनार को सुशोभित करने का जो सुझाव सन् १९५६ में दिया गया था और पिछले माननीय मंत्री डा० श्रीमाली ने यह बतलाया था कि २९ नवम्बर, सन् १९५७ से काम शुरू होगा, तब उस में इतनी देरी क्यों लगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब पूरा हो गया है ।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि जब मुझे डा० श्रीमाली ने यह जवाब दिया था कि कि २९ नवम्बर, १९५७ को काम प्रारम्भ किया गया और १५ जनवरी, १९५८ तक यह पूरा हो जायेगा जब कि उस में इतनी देरी लग गई तो यह इतनी देरी क्यों हो जाती है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : भीतर बिजली लगायी जा चुकी है । सजावट के लिये जो बिजली लगाई जा रही है वह अभी पूरी नहीं हुई क्योंकि यह एक नये ढंग से लगाई जा रही है जिस में काफी समय लगेगा ।

दिल्ली में पानी की कमी के कारण हुए झगड़े

†*११४५. **श्री राधा रमण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में नलों से पानी भरते समय कई भयंकर झगड़े और हत्यायें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो १९५८ में कितने झगड़े हुए और उन में कितने व्यक्ति मरे अथवा घायल हुए; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : तीन झगड़े हुए, जिन में तीन व्यक्ति घायल हुए और एक मारा गया । अभियुक्त का चालान कर दिया गया । दो मुकदमों का निर्णय हो रहा है और तीसरे में दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया ।

†**श्री राधा रमण** : क्या कारपोरेशन की नवीन नीति यह है कि सार्वजनिक नलों को बंद कर दिया जाये और यदि हां, तो क्या इस अनुभव से उन की नीति में कुछ परिवर्तन हुआ है ?

†**श्री दातार** : कारपोरेशन ने ऐसा कोई निर्णय दिया हो यह मुझे मालूम नहीं । वस्तुतः प्रस्थापना यह है कि अधिक प्राइवेट कनैक्शन दे कर और सार्वजनिक नलों में पानी का दबाव बढ़ा कर जल के वितरण में और सुधार किया जाये ।

†**श्री राधा रमण** : मैं प्राइवेट कनैक्शनों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हों ने सार्वजनिक नलों का भी उल्लेख किया ।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि क्या इस अनुभव के कारण सार्वजनिक नलों की संख्या बढ़ाई जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दातार : मैं ठीक-ठीक संख्या नहीं बता सकता परन्तु यह झगड़ा ८ और १० वर्ष के बीच की आयु के दो बालकों में हुआ था। तब और लोग भी आ गये, झगड़ा हुआ और एक व्यक्ति घायल हो गया।

†श्री स० म० बनर्जी : माननीय मंत्री ने अभी-अभी कहा कि एक व्यक्ति मारा गया था। क्या सरकार इस के लिये कोई मुआवजा देगी क्योंकि यह स्थिति सरकार की असफलता के कारण ही उत्पन्न हुई।

†अध्यक्ष महोदय : मैं इस की अनुमति नहीं दे सकता। कूचे में कोई बेकार का झगड़ा हुआ होगा। क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि लोगों पर कर लगा कर हम इन झगड़ा करने वालों को बांटते रहें? माननीय जिम्मेदार लोग हैं; हम सरकार पर बेकार के उत्तरदायित्व क्यों लादें? मामले का फैसला हो जाने दीजिये यदि अधिक चोट लगी है, तो सभा में प्रश्न पूछा जाये अन्यथा ऐसे सुझाव क्यों दिये जायें कि जिसे भी चोट लगे उसे सरकार मुआवजा दे।

†श्री स० म० बनर्जी : मैं उस व्यक्ति के बारे में कह रहा था जिस की मृत्यु हो गई।

†अध्यक्ष महोदय : मृत्यु के भी कई कारण हो सकते हैं। माननीय सदस्य यहां ऐसी बातें करके लोगों की घृणा मोल लेते हैं।

हाथीबाड़ी में चूने के पत्थर की खानें

†*११४७. श्री सूपकार : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाथीबाड़ी में चूने के पत्थर की खानों से रूरकेला इस्पात कारखाने को संभरण कब तक आरम्भ हो जायेगा; और

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : (क) और (ख) : हाथीबाड़ी में चूने के पत्थर की खानों में खनन कार्य छोटे पैमाने पर आरम्भ हो गया है। यंत्रों द्वारा खनन १९६० के मध्य में आरम्भ होने की आशा है।

†श्री सूपकार : यह स्थान इस्पात के कारखाने से कितनी दूर है?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : ठीक-ठीक फासला बताने के लिये पूर्व-सूचना चाहिये।

†श्री सूपकार : क्या यह पता चला है कि यहां से चूने का पत्थर सप्लाई किया जाने वाला है वह बढ़िया किस्म का नहीं है। यदि हां, तो पड़ौसी क्षेत्रों से टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और अन्य इस्पात समवायों को जो चूना भेजा जाता है उस की तुलना में यह कैसा है?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : यह चूना काफी अच्छी किस्म का है और इस्पात कारखाने के निकट ही है। इस्पात कारखाने से यह १५ या २० मील दूर होगा।

†श्री सूपकार : हमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के किसी स्थान से बढ़िया किस्म के चूने का पत्थर रूरकेला कारखाने को सप्लाई किया गया था। यदि हां, तो रूरकेला कारखाने के लिये कितने प्रतिशत चूना उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया जायेगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : एक माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछते समय यह सुझाव दिया था परन्तु मैंने उसे स्वीकार नहीं किया ।

अगरतला का विकास

†*११५०. { **श्री दशरथ देब :**
श्री बांगशी ठाकुर : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) द्वितीय योजना कार्यक्रम में अगरतला नगर त्रिपुरा के विकास तथा निर्माण के लिये जो व्यवस्था की गई है उसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से विस्थापित व्यक्तियों के इस नगर में आ जाने के कारण इस का विकास करना और भी जरूरी हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो योजना कार्यक्रम को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) अगरतला में नागरिक सुविधाओं, जैसे कि पानी की सप्लाई, नालियां बनाना, सड़कें और म्यूनिसिपल मार्किट की व्यवस्था करना, की योजनायें तैयार की जा रही हैं । इन में से कुछ योजनाओं को स्वीकृति मिल गई है और काम भी शुरू हो गया है। इस के अतिरिक्त प्रशासन ने पुनर्वास विभाग में भी कुछ योजनायें आरम्भ की हैं क्योंकि इस क्षेत्र में विस्थापित व्यक्ति बहुत अधिक संख्या में आ गये हैं ।

(ख) यह सच है कि अगरतला में बहुत से विस्थापित व्यक्तियों के आ जाने से यह कार्य करने की आवश्यकता और भी बढ़ गई है ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित योजनाओं को योजना काल में ही कार्यान्वित करने का पूरा यत्न किया जायेगा ।

†**श्री दशरथ देब** : विकास कार्य पर कुल कितने खर्च का अनुमान लगाया गया है ?

†**श्री दातार** : प्रत्येक मद का अनुमान अलग है जैसे कि नालियां बनाने के लिये ७२ लाख रुपये । पानी की सप्लाई पर शायद १७ लाख रुपये, सड़कों आदि पर १.३० लाख रुपये; टाऊन हाल पर एक लाख रुपया खर्च होगा । पुनर्वास विभाग में राम नगर की सड़कों पर १.२० लाख रुपये और महाराजगंज में बाजार के निर्माण पर ४.३५ लाख रुपये खर्च होंगे ।

†**श्री दशरथ दब** : क्या सरकार को मालूम है कि ५० प्रतिशत शौचालयों में मेहतर द्वारा सफाई करने की व्यवस्था नहीं की गई है और इस से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है ?

†**श्री दातार** : जब नालियां बन जायेंगी तो माननीय सदस्य की शिकायत दूर हो जायेगी ।

†**श्री बांगशी ठाकुर** : क्या द्वितीय योजना कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये कोई समिति अथवा संस्था है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : कुछ एक योजनायें नगरपालिका समिति और अन्य को प्रशासन कार्यान्वित कर रहा है ।

†**श्री दशरथ देब** : क्या सरकार को हाल ही में अगरताला नागरिक समिति का कोई प्रतिवेदन मिला है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री दातार** : मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है ।

†**श्री बांगशी ठाकुर** : महाराजा के समय यह योजना बनाई गई थी कि भीड़ भाड़ को समाप्त करने के लिये अगरताला नगर को कुंजला पहाड़ियों की दिशा में बढ़ा दिया जाये । क्या सरकार इस योजना पर कार्यवाही करने के लिये तैयार है ?

†**श्री दातार** : उपयुक्त विस्तार के लिये जो योजनायें ज़रूरी हैं सरकार उन पर कार्यवाही करेगी ।

प्राइमरी और मिडिल स्कूल

†*११८३. **श्री बाजपेयी** : क्या **शिक्षा** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह जानकारी हो ;

(क) दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में इस वर्ष किन-किन प्राइमरी मिडिल स्कूलों को शिक्षा निदेशालय से असम्बद्ध कर दिया गया है ;

(ख) असम्बद्ध करने के क्या कारण हैं ;

(ग) इन स्कूलों के छात्रों को दूसरे स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(घ) इन स्कूलों में अध्यापकों को वेतन न मिलने के कारण जो कठिनाई हो रही है उसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २४]**

†**श्री बाजपेयी** : क्या इस विषय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में केन्द्रीय सरकार कुछ जानती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस बारे में माननीय सदस्य को मालूम होगा कि विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग ने सम्बद्ध कालेजों में अध्यापकों के वेतनक्रम निर्धारित किये ......

†**श्री बाजपेयी** : मेरे प्रश्न का नम्बर ११५१ है ।

उर्दू

†*११५१. { **श्री बाजपेयी** : **श्री जाधव** : **श्री सरजू पांडे** : **श्री मुहम्मद ताहिर** : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षा और

†मूल अंग्रेजी में

प्रशासन में उर्दू भाषा की स्थिति के बारे में कोई निदेश दिया है ;

(ख) यदि हां तो राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों ने इस पर किस प्रकार की कार्यवाही की ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) भारत सरकार का उर्दू भाषा सम्बन्धी विवरण, जिसकी एक प्रति सभा पटल पर भी रखी गई है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २५]** उत्तर-प्रदेश, बिहार और पंजाब की राज्य सरकारों को और दिल्ली के मुख्यायुक्त को सिफारिशों के साथ भेजा गया था और उन्हें कहा गया था कि वे विवरण के पैरा ५ में उल्लिखित बातों का उत्तर केन्द्रीय सरकार को भेजें ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली प्रशासन ने सूचना दी है कि उन्हें कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हिदायतें दी गई हैं ।

†**श्री बाजपेयी** : उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो कार्यवाही की है क्या केन्द्रीय सरकार इस से सन्तुष्ट है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : क्या वह अपने प्रश्न को दोहरायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से सन्तुष्ट है । सरकार के लिये इसका उत्तर देना कुछ कठिन है । माननीय सदस्य यह पूछें कि इन सुझावों को कहां तक कार्यान्वित किया गया है ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : उत्तर प्रदेश सरकार ने उल्लिखित विवरण में दी गई हिदायतों और नीति को स्वीकार करते हुये एक विज्ञप्ति जारी की । मैंने बताया कि यदि कहीं कोई शिकायत होती है तो वे उसे ठीक कर देंगे । उन्होंने नीति को पूर्णत: स्वीकार कर लिया है ।

†**श्री बाजपेयी** । इस विवरण में उल्लिखित सुविधाओं में मद ३ में कहा गया है कि "शिक्षा के माध्यमिक स्तर में भी उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था की जाये ।" क्या इसका यह अर्थ है कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा उर्दू में ही दी जाये या कि माध्यमिक स्तर में उर्दू भी पढ़ाया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों में कोई अन्तर नहीं है । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उर्दू भी एक विषय होगा या कि शिक्षा का माध्यम ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : जहां तक उर्दू के एक विषय के तौर पर अध्यापन का सम्बन्ध है यह प्रत्येक स्कूल में सम्भव है, चाहे वहां अधिक छात्र हों चाहे कम । इन स्थानों पर सवाल यह नहीं कि उर्दू पढ़ाई जाये परन्तु सवाल यह है कि शिक्षा मंत्री सम्मेलन ने उर्दू जानने वाले छात्रों की वह संख्या निर्धारित कर दी है जिसके पूरा होने पर स्कूल में शिक्षा का माध्यम उर्दू होगा ।

†**श्री प्र० सिं० दौलता** : क्या सरकार को विदित है कि पंजाब में सारा रिकार्ड उर्द में रखा जाता है और पटवारी केवल हिन्दी जानत हैं जिसके कारण राजस्व विभाग में सारा काम रुका हुआ है और केन्द्रीय सरकार ने लोगों को उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था करने की जो सिफारिश की है पंजाब सरकार उसकी भी परवा नहीं कर रही है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि पंजाब में राजस्व विभाग का काम रुका हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जाधव: कितने प्राइमरी स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाती है ?

†पंडित गो० ब० पन्त : जिन-जिन राज्यों में उर्दू बोलने वाले छात्र हैं जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं और जिनकी संख्या इस प्रयोजन के लिये निर्धारित संख्या के आस-पास अथवा अधिक है, वहां उर्दू पढ़ाई जाती है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के लिये भूमि का अर्जन

†*११५२. श्री पाणिग्रही : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ के अन्तर्गत कोयले वाले क्षेत्रों में अर्जित की गई भूमि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को सौंप दी गई है ;

(ख) क्या निगम का विचार उड़ीसा में किसी कोयले वाले क्षेत्र की खोज आरम्भ करने का है ; और

(ग) क्या निगम ने देश में नई कोयला खानें खोजना शुरू कर दिया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) निगम बिहार के निम्नलिखित कोयले वाले क्षेत्रों में भूमि और खनन अधिकार सौंपता रहा है ;

(१) कठारा

(२) सौंदा-गिडी

(३) बचरा

(ख) जी, हां । बलान्दा क्षेत्र में खोज आरम्भ हो गई है ।

(ग) जी हां ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या उन कोयला क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है जो पंच वर्षीय योजना के शेष दो वर्ष में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा अर्जन के लिये उपलब्ध किये जायेंगे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : वास्तव में ऐसा नहीं है कि किसी भी उपलब्ध कोयले वाले क्षेत्र को अर्जित कर लिया जाये । उत्पादन योजनाओं का सम्बन्ध कुछ निश्चित क्षेत्रों से है जहां के लिये खनन के अधिकार प्राप्त किये जायेंगे । उनके बारे में विस्तृत विवरण कई बार सभा-पटल पर रखे जा चुके हैं ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा अर्जित किये जाने वाले कोयला क्षेत्रों के विकास के लिये कोई राशि आवंटित की गई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे सहकारी ने जो तीन क्षेत्र बताये वहां कार्य आरम्भ हो चुका है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या उन तीन क्षेत्रों में जिन लोगों की भूमि अर्जित की गई थी उन्हें मुआवज़ा दे दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : आप मुआवज़े के बारे में जानकारी चाहते हैं ?

†**श्री जयपाल सिंह** : यह अजीब विधान बनाया गया है जिस के द्वारा राज्य सरकारों को यह अधिकार सौंप दिया गया है कि वह लोगों को मुआवज़ा दिये बिना कोयला क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर ले। निगम को तीन क्षेत्र सौंपे गये हैं क्या इन में से किसी क्षेत्र के लोगों को कोई मुआवज़ा दिया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा मुआवज़ा निर्धारित किया जा रहा है और शीघ्र भुगतान कराने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

†**श्री बोस** : क्या नये कोयला क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये निगम भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण से सम्पर्क बनाये रखता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी हां ।

कोयले का निर्यात

+
†*११५३. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन की प्रतिद्वन्दिता के कारण भारत के कोयले का निर्यात करने वाली विश्व की मंडियों में तेजी से कमी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) जी नहीं । हमारे कोयले का निर्यात मुख्यतः श्रीलंका करता है जिसने अपनी आवश्यकता की अधिकांश मात्रा १९५८ में चीन से प्राप्त की है ।

(ख) इसके कारण स्पष्ट नहीं हैं किन्तु ऐसा विश्वास है कि श्रीलंका द्वारा चीन को रबड़ भेजने के बदले में ही उन्हें कोयला मिलता है ।

श्री रघुनाथ सिंह : अभी माननीय मंत्री जी ने सीलोन के बारे में बतलाया। साउथ ईस्ट एशिया के देशों में आज से करीब आठ दस वर्ष पूर्व हिन्दुस्तान का कोल काफी तादाद में जाता था । लेकिन अब चाइनीज़ कोल उन देशों में ज्यादा जा रहा है और हिन्दुस्तान के कोल से सस्ता पड़ता है, और सीलोन में भी जो हमारा कोल जाता है उससे भी चाइना का कोल सस्ता पड़ता है । मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : सीलोन के जाने में कुछ कमी हुई है। इसकी वजह यह है कि सीलोन और चाइना की गवर्नमेंटों में रबर लेने की बात तै हुई है और उसी सिलसिले में कोयला के लेने की बात तै हुई है। इसी लिये वहां चीन से कोल जाता है। दूसरे देशों में हमारे कोल के जाने में ऐसी कमी नहीं हुई है। जो भी हम पहले भेज रहे थे वह अब भी भेजते हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि वर्ल्ड मारकेट में चाइनीज़ कोल का दाम क्या है और हिन्दुस्तान के कोल का दाम क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : हर देश में जहां सप्लाई होता है भाव मुख्तलिफ हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : भाड़े के प्रश्न से पृथक् माननीय सदस्य के पास यह जानकारी है कि पूर्वी देशों में हमारे कोयले का निर्यात कम हो गया है । माननीय सभा-सचिव ने उत्तर में कहा है कि तथ्यों से यह सिद्ध नहीं होता है । माननीय सदस्य अब यह जानना चाहते हैं कि क्या चीन के कोयले की कीमत भारत के कोयले से कम है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : विदेशी मंडियों में कोयले की कीमत अन्य वस्तुओं की भांति इस बात पर निर्भर है कि वह किस देश में जाती है और वहां कैसी स्थिति है । निर्यातकर्ता देशों के लिये निर्यात की कीमत निश्चित नहीं है । विदेशी मुद्रा की समस्या निर्यात मूल्य पर सदैव प्रभाव डालती रहती है । उदाहरणार्थ, जिस मूल्य पर हम चीनी विदेशों में भेज रहे हैं वह भारत में व्याप्त मूल्य से भिन्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उत्सुक हैं और वह जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हैं । इसमें उनका उद्देश्य यही है कि सरकार की सहायता की जाये । यदि निर्यात में वृद्धि हुई तो अच्छी बात है । यदि निर्यात की विदेशी मंडियों में कीमत यहां से कम हुई तो हम निस्संदेह ही इस बात का प्रयत्न करेंगे कि यहां भाव अधिक क्यों है । केवल इस प्रकार का सामान्य कथन कि कीमत में परिवर्तन होता रहता है यह सिद्ध करता है कि निर्यात की स्थिति गड़बड़ी से परिपूर्ण है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की कोई गड़बड़ीपूर्ण स्थिति है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय मंत्री नहीं जानते हैं तो स्पष्ट रूप में ऐसा कह दें । यदि वह उसकी कीमत जानते हैं अथवा यदि उनकी कीमत हमसे कम है तो वैसा उत्तर दे दें ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जहां तक निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमत का सम्बन्ध है उनका प्रकाशन नहीं किया जाता है । किसी भी देश को कोई वस्तु संभारित करने के लिये जो संविदे किये जाते हैं वे भी सदा प्रकाशित नहीं होते हैं । प्रायः उचित कीमत का पता मिलना भी सम्भव नहीं है क्योंकि हम जिन वस्तुओं का संभरण करते हैं वे विदेशों में प्रचलित नहीं हैं ।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार को यह मालूम है कि श्री लंका भारत के स्थान पर चीन से कोयला केवल इसलिये लेता है कि वह इससे रबड़ की अदला-बदली करता है ? क्या कीमत में अन्तर के कारण श्री लंका ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा कोयला चीन द्वारा संभरित किये जाने वाले कोयले से काफी महंगा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस अदला-बदली के समझौते के बारे में कुछ कहना कठिन है । श्री लंका चीन को जो वस्तु संभारित करता है उसकी कीमत का केवल अनुमान लगाया जा सकता है, निश्चित बात नहीं बताई जा सकती है ।

†**श्री कासलीवाल** : क्या पाकिस्तान ने इस वर्ष इतना ही कोयला लिया है जितना गत वर्ष लिया था ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : जी हां। पाकिस्तान उतना ही कोयला ले रहा है। हमने भूतकाल में जितना कोयला निर्यात किया था उतना ही इस वर्ष भी निर्यात करने का विचार करते हैं। यह अलग बात है कि उन्होंने चीन सरकार के साथ संविदा किया है। किन्तु इस करार का हमारे निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री लंका के बारे में भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह मण्डी हमारे हाथ से निकल गई है। रेलवे सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये श्रीलंका को संभरित किये जाने वाले कोयले की किस्म हमारी रिपोर्ट के अनुसार अच्छी नहीं है और इसमें बाद में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं।

†**श्री बिमल घोष** : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह जानती है कि जिन स्थानों में हम कोयले का निर्यात करते हैं वहां चीन का कोयला किस कीमत पर आयात किया जा सकता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : चीन के लिये वहां कीमतें देने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है जहां सामान्यतया हम कोयला भेजते हैं और न कोई अन्य देश हम पर ही इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा सकता है।

†**श्री प्रभात कार** : क्या मैं.......

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा के लिये स्वीकृति दे सकता हूं।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : जी, हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब हम किसी वस्तु का निर्यात कर रहे हैं तो हमें उस क्षेत्र में प्रतिद्वन्दी देश की कीमत मालूम होना चाहिये। किन्तु आश्चर्य है कि इस विषय का अध्ययन नहीं किया गया है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : चीन का कोयला सम्पूर्ण एशिया में छा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देने के लिये तैयार हूं।

त्रिपुरा अधिकारियों का प्रशिक्षण

†*११५४. **श्री घोषाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन के सब-डिवीजनल अधिकारी उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और वह कब से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). त्रिपुरा प्रशासन का एक सब-डिवीजनल अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत २४ मई, १९५८ से एक वर्ष की अवधि तक प्रशिक्षण के लिये भेजा गया है।

†**श्री घोषाल** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि त्रिपुरा में प्रादेशिक भाषा बंगला है क्या त्रिपुरा प्रशासन की पश्चिम बंगाल में प्रशिक्षण प्राप्त करने की इच्छा थी ? यदि हां, तो उन्हें इसके लिये अनुमति क्यों नहीं दी गई ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : हमने कुछ बड़े बड़े राज्यों से पूछताछ की थी और उत्तर प्रदेश ने प्रत्यंत कृपापूर्वक एक के पश्चात् दूसरे को लेते हुये तीन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की सम्मति दी थी । इसलिये पदाधिकार वहां भेजा गया है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी कोई पत्र प्रेषित किया था और क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशिक्षण प्रदान करने से मना कर दिया था ?

†**श्री दातार** : मुझे ज्ञात नहीं है ।

सेन्ट्रल फूड टेकनोलोजिकल रिसर्च इस्टीट्यूट मैसूर

†*११५६. **श्री हेम राज** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर की सेन्ट्रल फूड टेक्नोलोजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में सारकृत खाद्य[1] तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां । सेन्ट्रल फूड टेक्नोलोजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक सस्ता और प्रोटीन से परिपूर्ण उत्पाद तैयार किया है जिसे भारतीय बहुप्रयोजनीय खाद्य कहा जाता है । यह कम चरबी वाले मूंगफली के आटे तथा कुछ दालों के मिश्रण में आवश्यक खनिज और विटामिन मिलाने से तैयार होता है ।

(ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २६]**

†**श्री हेमराज** : विवरण से प्रकट होता है कि "इण्डियन मील्स फौर मिलियन्स एसोसिएशन" नामक एक संस्था का निर्माण किया गया है । क्या यह संस्था उपरोक्त खाद्यान्न का वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन करेगी और यह कितनी मात्रा में उसका उत्पादन कर रही है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : आजकल यह अग्रिम संयन्त्र में उत्पादित किया जा रहा है और प्रतिदिन आधा टन तैयार होता है । उत्पादन बढ़ाने के बारे में कुछ प्रस्ताव हैं । मैसूर सरकार का एक प्रस्ताव है और मद्रास सरकार की ओर से भी एक प्रस्ताव रखा गया है । इस आशय का भी एक सुझाव है कि हम यूनिसेफ से अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त कर एक संयन्त्र स्थापित करें जो प्रतिदिन पांच टन खाद्य पदार्थ उत्पादित कर सके ।

†**श्री हेमराज** : इस खाद्यान्न को लोक प्रिय करने से अनाज की खपत में प्रति दिन कितनी बचत होगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं । मैं इतना ही बता सकता हूं कि हमारी गणना के अनुसार चार नये पैसे की लागत से उत्पन्न एक औंस खाद्यान्न के उपभोग से उपभोक्ता को प्रोटीन, खनिज, चर्बी, घुलनशील विटामिन और रिवोफ्लेविन की पर्याप्त मात्रा—जिनकी औसत भारतीय की खुराक प्रायः कमी रहती है— मिल सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Concentrated food.

मनीपुर में शराब बनाना

†*११५७. **श्री ले० अचौ० सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर प्रशासन द्वारा निर्मित मंत्रणा बोर्ड ने सर्व सम्मति से यह सिफारिश की है कि मनीपुर में शेंगमाई तथा अन्य स्थानों में शराब बनना तुरन्त बंद कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो मनीपुर प्रशासन द्वारा इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). स्थानीय प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई मंत्रणा बोर्ड स्थापित नहीं किया गया था। किन्तु गत अप्रैल में मुख्य आयुक्त ने जनता के कुछ प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था और देशी शराब के निर्माण और उसकी बिक्री जिसके लिये उक्त राज्य क्षेत्र में प्रयुक्त प्रशुल्क अधिनियम के अधीन लाइसेंस जारी किये गये थे, बंद करने के प्रश्न पर उनसे परामर्श किया था। एक को छोड़ कर अन्य सब व्यक्तियों ने लाइसेंस देने की आधुनिक प्रथा बंद करने की सिफारिश की और इस विषय में स्थानीय प्रशासन से प्राप्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

†**श्री ले० अचौ० सिंह** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि यह विशिष्ट शराब जन स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त हानिप्रद है क्या सरकार ने शेंगमाई में इसके निर्माण को बन्द करने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

†**श्री दातार :** यह प्रश्न भी विचाराधीन है।

मछलियां

†११५८. **श्री आसर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल शोधनशालाओं द्वारा स्खलित दुर्गंधयुक्त तेल से दूषित होने के कारण माहुल-ट्राम्बे के तटवर्ती क्षेत्र की मछलियों में गंध उत्पादन हो गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त क्षेत्र की मछलियों का सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद है; और

(ग) क्या इस कारण उक्त क्षेत्र के मछुओं द्वारा अनुभूत कठिनाइयों से सरकार अवगत है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : सरकार को इस विषय मे कोई शिकायत नहीं मिली हैं। राज्य सरकारों से इन तथ्यों की पुष्टि की जा रही हैं और यथासम्भव लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जायेगा।

†**श्री विमल घोष** : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के नाम पर मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या दस दिन में भी बम्बई राज्य सरकार से उत्तर नहीं मिल सका।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि बम्बई सरकार उत्तर नहीं दे तो वे क्या कर सकते हैं।

†**श्री विमल घोष** : तब वह यह कह सकते हैं कि बम्बई सरकार उत्तर नहीं देती है।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : इसलिये हमने कहा है कि ज्यों ही हमें बम्बई सरकार से जानकारी मिल जायेगी हम इसे लोक-सभा के पटल पर रख देंगे।

†**श्री वें० प० नायर** : इसी स्थान के आसपास केन्द्रीय सरकार ने मत्स्य उद्योग निगम की स्थापना की है। क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय ने इस विषय में कृषि मंत्रालय से परामर्श किया है।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मैंने पहले ही बता दिया है कि किसी भी स्रोत से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और स्वाभाविक है कि जब तक बम्बई सरकार से हमें जानकारी नहीं मिलती है किसी भी प्रकार की जानकारी प्रारम्भ करना उचित नहीं होगा।

सीमावर्ती विवाद

†*११५९. **श्री पांगरकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और मैसूर के बीच सीमा-विवाद पश्चिमी जोनल कौंसिल को निर्दिष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कौंसिल इस पर कब चर्चा करेगी और कब तक अन्तिम कर लेने की आशा है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: (क) सम्बन्धित राज्य सरकारों में से एक ने अभी अभी सुझाव दिया है कि पश्चिमी जोनल कौंसिल की आगामी बैठक की कार्यवाही में यह विषय सम्मिलित कर लिया जाये।

(ख) पश्चिमी जोनल कौंसिल की अगली बैठक की तारीख अभी निश्चित नहीं हुई है। कौंसिल की आगामी बैठक में इस विषय पर चर्चा होने की सम्भावना है।

†**श्री वाजपेयी** : क्या मैसूर के मुख्य मंत्री और बम्बई के मुख्य मंत्री की वार्ता असफल रही है और यदि हां, तो इस विषय को हल करने में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**पण्डित गो० ब० पन्त** : मैं बम्बई और मैसूर के मुख्य मंत्रियों से अभी तीन दिन पहले ही मिला था मैं यह नहीं समझता कि वार्ता असफल रही है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या आप बातचीत का परिणाम बताने की कृपा करेंगे ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : वह अभी जारी है।

उड़ीसा में कुटीर उद्योगों की ट्रेनिंग

११६२. **श्री वै० च० मलिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुटीर उद्योगों में पिछड़े वर्गों के सदस्यों को ट्रेनिंग देने की केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में कितने व्यक्तियों को ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अभी तक कितने व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गई है ; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कितने व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जायेगी ?

†**गृहकार्य-उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री बै० च० मलिक** : उक्त ट्रेनिंग के लिये द्वितीय योजना में उड़ीसा को कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**श्रीमती आल्वा** : इससे यह प्रश्न कैसे उत्पन्न हो सकता है कि उड़ीसा में ट्रेनिंग के लिये कितने व्यक्ति गये हैं ।

†**श्री बै० च० मलिक** : मैं यह जानना चाहता हूं कि उड़ीसा राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई है ।

†**श्रीमती आल्वा** : मेरे पास सूचना नहीं है ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देने के लिये उड़ीसा में कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया है ?

†**श्रीमती आल्वा** : एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है । १९५७ और १९५८ के आंकड़े हमारे पास हैं । उड़ीसा राज्य द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित आदिम जातियों के ५९ और अनुसूचित जातियों के ४२ उम्मीदवार हैं तथा पिछड़े वर्गों से एक भी नहीं है । ये आंकड़े उन आंकड़ों से भिन्न हैं जो अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं । इसीलिये हमने यह मामला पुनः राज्य सरकार के पास भेज दिया है । हमें उनसे रिपोर्ट प्राप्त होने की आशा है ।

†**श्री बै० च० मलिक** : इस ट्रेनिंग के लिये उड़ीसा में नहीं प्रत्युत सम्पूर्ण राज्यों को द्वितीय योजना के अन्तर्गत कितनी रकम आवंटित की गई है ?

†**श्रीमती आल्वा** : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री तिमय्या** : क्या पिछड़े वर्गों के लिये ट्रेनिंग सम्बन्धी पृथक केन्द्र हैं ? यदि नहीं, तो कुटीर उद्योग ट्रेनिंग केन्द्र उद्योग मंत्रालय के अधीन किस प्रकार है ; गृह-कार्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के बीच इस रकम का समायोजन किस प्रकार होता है ?

†**श्रीमती आल्वा** : द्वितीय योजना में यह रकम अलग-अलग निर्धारित की गई है ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या उड़ीसा में विशेष रूप से पिछड़ी जातियों और वर्गों के लिये कोई अन्य ट्रेनिंग केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

†**श्रीमती आल्वा** : हम राज्य सरकार से रिपोर्ट की आशा कर रहे हैं और इसकी जानकारी उसी समय मिल सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेसर्स इण्डियन स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

†*११९३. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स इण्डियन स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को लगभग १४ करोड़ रुपये देना बाकी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनी द्वारा किये गये कार्यों का क्या स्वरूप है ; और

(ग) यह रकम किस आधार पर निश्चित की गई थी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २७]**

३ सितम्बर, १९५८ को लोक-सभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८४७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय अध्यक्ष ने यह इच्छा प्रकट की थी कि मैं इण्डियन स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी और परामर्शदाता अर्थात् इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा किये गये कार्यों के स्वरूप का अन्तर स्पष्ट करूं उसी इच्छा के अनुसरण में यह विवरण रखा जाता है।

†**श्री मुरारका** : यदि आप लोक-सभा के पटल पर रखे गये विवरण की ओर देखें तो स्पष्ट होगा कि यह कम्पनी सात किस्म के काम करेगी जिसके लिये हम उन्हें १४,१२,५२,००० रुपये देंगे। इन सात कार्यों में मद संख्या ३, ४ और ५ में बताया गया है कि किसी कार्य के लिये एक संगठन स्थापित किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस १४ करोड़ रुपये के बदले में कम्पनी वस्तुतः क्या क्या काम कर रही है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वे कार्य जो खण्डों में वर्णित हैं और जिनका मैंने उल्लेख कर दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह भी एक कार्य है।

†**श्री मुरारका** : श्रीमान्, अध्यक्ष महोदय, यदि आप विवरण की ओर दृष्टिपात करें तो....

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं मैं किसी विषय पर निर्णय घोषित करने के लिये यहां नहीं बैठा हूं। माननीय सदस्य को जब भी शंका हो प्रश्न पूछें। मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे। मैं यह निर्णय नहीं करता हूं कि उत्तर सही है अथवा गलत।

†**श्री मुरारका** : विवरण में बताया गया है कि यह इंजीनियर सात प्रकार के कार्य करेंगे। मद संख्या ३ में कहा गया है कि "कारखाने के प्रमुख विभागों के लिये दुर्गापुर में सहयोगी कम्पनियों का टेक्नीकल और प्रशासनिक संगठन।" मद संख्या २ में कहा गया है : "दुर्गापुर और कलकत्ता में कम्पनी के केन्द्रीय टेक्नीकल और प्रशासनिक संगठन।" मैं नहीं समझ पाया हूं कि ये क्या काम हैं। इंजीनियर एक संगठन बना रहे हैं। यह ठीक है। किन्तु वे क्या काम करेंगे ? हम १४ करोड़ और १२ लाख रुपये दे रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस प्रकार के विषय के बारे में और जानकारी चाहते हैं। सदस्य महोदय यह जानना चाहते हैं कि उन्हें किन-किन कार्यों के लिये १४ करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं।

†मूल अंग्रेजी में

सूची में जो काम बताये गये हैं उनमें एक स्पष्ट नहीं है। माननीय मंत्री यदि जानते हैं तो कह दें अन्यथा यदि सम्भव हुआ तो बाद में एक अनुपूरक टिप्पण दे दिया जायेगा।

†**सरदार स्वर्ण सिंह:** मैंने तीन पृष्ठ का विवरण दे दिया है यदि किसी अन्य बात के बारे में वह और जानकारी चाहते हैं तो इस विवरण के आधार पर वह और प्रश्न की सूचना दे सकते हैं। मैं उसका विस्तृत उत्तर दे दूंगा।

†**श्री मुरारका:** विवरण में बताया गया है कि रूरकेला और भिलाई में इसी प्रकार के कार्यों का उत्तरदायित्व सीधे परियोजना अधिकारियों पर है अथवा वे शुल्क में सम्मिलित हैं। यह योजना अधिकारी कौन है। इन कारखानों में कार्य करने वाले परियोजना अधिकारी कौन हैं---वे भारतीय हैं अथवा विदेशी फर्में हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह:** यदि संभरणकर्ता इसे प्रदान करेंगे तो इसकी कीमत उसी रकम में सम्मिलित है जो हम संभरणकर्ता को देंगे। और यदि परियोजना अधिकारी इसे देंगे---अर्थात् भारतीय अधिकारी इसे देंगे तो इसका व्यय-भार वही भारतीय परियोजना अधिकारी वहन करेंगे।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार:** किन कारणों में सरकार करोड़ रुपये का स्टर्लिंग अंश देने के लिये तैयार हो गई जब कि हम विदेशी मुद्रा की संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह:** क्योंकि हमें देश के भीतर यह उपलब्ध नहीं हो सका।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** क्या माननीय मंत्री अधिक विस्तृत उत्तर देंगे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह:** जी नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय:** उन्होंने केवल यह कहा है प्रश्न के उत्तर में तीन पृष्ठ का विवरण दे दिया गया है।

†**कुछ माननीय सदस्य:** दो पृष्ठ।

†**अध्यक्ष महोदय:** दो पृष्ठ---बस एक ही तो कम है। यदि किसी माननीय सदस्य को संदेह हो तो वह प्रश्न पूछ सकते हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** हमें फिर दस दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

†**अध्यक्ष महोदय:** मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के विवरण के लिये उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यदि वे माननीय सदस्य को लिखें तो वह बता सकेंगे।

†**श्री वें० प० नायर:** क्या आप कृपया यह निदेश भी देंगे कि जब सभा-पटल पर इतने लम्बे लम्बे विवरण रखे जायें तो उनके लिये आध घंटे का समय भी दिया जाना चाहिये ? आज इतने सारे विवरण हैं। उन सबको पढ़ कर प्रश्न पूछना असंभव है। यदि ये घंटे भर पहले दे दिये जाते तो शायद हम इन्हें पढ़ भी सकते थे।

†**अध्यक्ष महोदय:** उन्हें आज प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। वे किसी और दिन ये प्रश्न पूछ सकते हैं। वह पढ़ कर प्रश्न पूछें। विवरण देने का क्या उद्देश्य है। यह कोई मौखिक-परीक्षा थोड़े ही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि कोई माननीय सदस्य अपने प्रश्न पर यह लिख कर भेजेंगे तो मैं उस प्रश्न को प्राथमिकता देने और गृहीत करने का प्रयास करूंगा क्योंकि वह उस विवरण से पैदा हुआ । वह उसी दिन प्रश्न पूछें और मैं उसे गृहीत करने का प्रयास करूंगा । अगला प्रश्न ।

हैदराबाद में सर सालारजंग संग्रहालय

†*११६४. **श्रीमती लक्ष्मी बाई :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हैदराबाद के सर सालारजंग संग्रहालय को कुछ वित्तीय सहायता दी जाने वाली है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** इस संग्रहालय को लेकर इसे राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस बात को देखते हुये कि सालारजंग म्यूजियम हिन्दुस्तान के बहुत अच्छे म्यूज़ियमों में से एक है, इसकी इमारत को ठीक हालत में रखने के लिये क्या कोई इंतिजाम सरकार की तरफ से किया जायेगा ?

श्री हुमायून् कबिर : नैशनल म्यूज़ियम बनने का मतलब यह है कि जो कुछ दरकार होगा उसका इंतिजाम किया जायेगा ।

†**श्री रंगा :** मैं इस प्रश्न और उत्तर को समझ नहीं पाया ।

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैंने माननीय सदस्य को बताया है कि यदि सरकार इसे राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में लेगी तो इसे राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में रखने के लिये जो कुछ भी आवश्यक होगा, किया जायेगा ।

†**श्री रंगा :** क्या यह सच नहीं है कि आन्ध्र सरकार भारत सरकार के प्रस्ताव से सहमत हो चुकी है और क्या आन्ध्र सरकार के लिये इस सम्बन्ध में कुछ अंशदान करना आवश्यक है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** आंध्र सरकार ने संग्रहालय की इमारत की लागत में लगभग ५ लाख रुपये का अंशदान देने का प्रस्ताव किया है ।

†**श्री जाधव :** दर्शकों से इस समय कितना शुल्क लिया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** ब्यौरे की इतनी छोटी छोटी बातें ?

†**श्री जाधव :** दर्शक वहां जाते हैं लेकिन शुल्क बहुत ही ज्यादा है । इसलिये यथाशीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** हैदराबाद के इस संग्रहालय में ?

†**श्री जाधव :** जी हां ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे पता नहीं ।

†**श्री हुमायून् कबिर:** अभी यह एक राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है इसलिये मैं यह नहीं कह सकता कि वहां कितना शुल्क लिया जाता है । गैर-सरकारी तौर पर मुझे बताया गया है कि यह लगभग आठ आने है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**एक माननीय सदस्य** : एक रुपये दस आने है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन छोटी छोटी बातों को तो उठाया जाना चाहिये । शायद राष्ट्रीय संग्रहालय बनने के बाद यह कम हो जायेगा ।

अध्यापकों के शिक्षा सम्बन्धी पर्यटन

+

†*११६६. { **श्री जाधव** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री राम कृष्ण :

क्या शिक्षा मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) शिक्षा सम्बन्धी, ऐतिहासिक, भौगोलिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के स्थानों का दौरा करने के लिये अध्यापकों को प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों को सहायक अनुदान देने की योजना के अधीन कुल कितनी राशि मंजूर की गई है और इसमें से कितनी-कितनी राशि प्रत्येक राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र के लिये है ;

(ख) क्या यह सहायक अनुदान प्राइमरी और सेकेन्डरी स्कूलों के अध्यापकों के लिये भी है ; और

(ग) क्या इन दोरों का संगठन हो भी चुका है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) २५,००० रुपये चालू वर्ष के लिये और ७५,००० रुपये शेष योजना अवधि के लिये । ये राशियां राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये पृथक रूप से नहीं दी जातीं ।

(ख) मान्यता प्राप्त आरम्भिक स्कूलों के अध्यापकों और अध्यापकों की प्रशिक्षण संस्थाओं के छात्र-अध्यापकों के लिये ।

(ग) जी नहीं ।

यमुना में बाढ़

†*११६८. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में यमुना में बाढ़ आई हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका प्रभाव कितने गांवों पर पड़ा है ;

(ग) इस बाढ़ के फलस्वरूप हुई हानि का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) बाढ़-पीड़ित गांवों के निवासियों को किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) संभवतः माननीय सदस्य का आशय २६-२७ अगस्त, १९५८ को यमुना की सतह के बढ़ने से है । यदि हां, तो यमुना की सतह खतरे के बिन्दु से ७ फुट नीचे रही ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किनारे और यमुना के बीच में पड़ने वाले पांच-छः गांवों पर ।

(ग) और (घ). प्रायः कुछ भी हानि नहीं हुई क्योंकि गांव वालों को समुचित पूर्व चेतावनी दे दी गई थी । साथ ही, गांव वालों को वहां से हटाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बाढ़ तेजी से कम हो रही थी । पिछली बाढ़ के समय यहां के ढोर-डंगर हटाये जा चुके थे इसलिये उन पर भी कोई असर नहीं पड़ा ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो यह सात गांव यमुना और बांध के बीच में आते हैं उनको बसाने का काम बहुत दिनों से विचाराधीन है और वे अभी तक नहीं बसाये जा सके हैं और उनको हर साल जब भी पानी चढ़ता है तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है ?

पंडित गो० ब० पन्त : इसके लिये जमीन कभी हासिल कर ली गई थी और उनको जगहें भी मकान वगैरह के लिये दी गई थीं और यह भी कि बिल्डिंग लोन १५०० रुपये फ़ी फ़ैमिली दिया जायेगा, यह भी था मगर लोग अपने घरों को छोड़ने में बड़ी दिक्कत मानते हैं । इससे गवर्नमेंट मजबूर है । अब जबर्दस्ती उनको हटाने का काम तो वह करना नहीं चाहती और उनको जहां तक हो सके समझाने का काम जारी है ।

दिल्ली प्रशासन का पुनर्गठन

+

†*११६९. { **श्री राधा रमण** :
श्री वि० च० शुक्ल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरपालिका निगम की स्थापना के कारण दिल्ली प्रशासन का पुनर्गठन करने की जो आवश्यकता पड़ी है क्या उससे सम्बन्धित प्रस्ताव को अन्तिम रूप प्रदान किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी खास बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि पुनर्गठन के इस कार्य में काम का हर्ज न हो ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन के पुनर्गठन के लिये मोटे तौर पर प्रस्ताव तैयार हो गये हैं और अब उनका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है । इन प्रस्तावों का उद्देश्य है :

(क) सचिवालय की व्यवस्था को उचित ढंग का बनाना ;

(ख) सचिवालय के आकार को कम करना और यथासंभव इस बात की व्यवस्था करना कि विभागों के अध्यक्ष सचिव को बीच में डाले बिना सीधे चीफ़ कमिश्नर के अधीन काम कर सकें ; और

(ग) मामलों का शीघ्र निबटारा किया जाय ।

†**श्री राधा रमण** : क्या दिल्ली प्रशासन के पुनर्गठन की यह योजना शीघ्र ही पूरी हो जायेगी ? इसमें कितना समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित गो० ब० पन्त** : अब इसमें अधिक समय नहीं लगना चाहिये। मेरा ख्याल है कि एक या दो महीनों के भीतर ही इसे लागू करना संभव होगा लेकिन इसे लागू और क्रियान्वित करने के पूरे कार्य में कुछ और समय लग सकता है।

†**श्री राधा रमण** : क्या दिल्ली प्रशासन इस समय जिस स्थान पर कार्य कर रहा है वह खाली हो जायेगा और क्या उसे नगरपालिका निगम को उसके बढ़े हुये काम के लिये दे दिया जायेगा ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मेरा ख्याल तो नहीं है कि वह स्थान खाली होगा। यदि कोई स्थान खाली हुआ और उसे देना संभव हुआ तब विचार किया जायेगा कि उसके अच्छे से अच्छा क्या उपयोग हो सकता है।

†**श्री राधा रमण** : पुनर्गठन की जिस योजना पर विचार किया जा रहा है उससे कितनी बचत होने की संभावना है ? क्या उसके बारे में कुछ अनुमान है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : अभी ही कुछ निश्चित आंकड़े बताना संभव नहीं है। मैं बता चुका हूं कि व्यौरा तैयार किया जा रहा है और इसको अन्तिम रूप देने के बाद ही हम कुछ निश्चित संख्या बता सकते हैं।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो पुनर्गठन होगा तो उससे आर्थिक दृष्टि से कितनी बचत होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अभी ही इसका उत्तर दे चुके हैं।

पंडित गो० ब० पन्त : अब कोशिश तो है, होगी या नहीं, यह तो आखिर में मालूम होगा।

श्री वाजपेयी उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं कई प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति

+

†*११७१. **श्री राम कृष्ण** :
श्री वाजपेयी :
श्री पाणिग्रही :
श्री शिवनंजप्पा :
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १० अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तब से ऐसे उपयुक्त व्यक्तियों की अखिल भारतीय तालिका तैयार करने के प्रश्न पर विचार किया है जिनमें से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये चुनाव किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस तालिका में शामिल करने के लिये नामों की सूचियां भेजी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वह अपने अपने मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से न्यायिक पदाधिकारियों और वकीलों में से ऐसे व्यक्तियों की सूचियां तैयार करें जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त हों और इस सूची को भारत सरकार के पास भेज दें। अन्तिम सूची तैयार करने से पहले यह सूचियां भारत के मुख्य न्यायाधिपति को दिखा दी जायेंगी।

(ग) अब तक केवल कुछ ही राज्यों से उत्तर मिले हैं। अन्य राज्यों के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

†**श्री रामकृष्ण** : किन-किन राज्यों ने सूचियां भेज दी हैं ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : पश्चिम बंगाल, मद्रास, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर। इन राज्यों के बारे में मुझे निश्चित रूप से पता है।

†**श्री कासलीवाल** : क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसी कुछ हिदायतें भेजी हैं कि किन श्रेणियों के व्यक्तियों की इस पद के लिये सिफारिश की जानी चाहिये ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : इन श्रेणियों का तो उल्लेख किया ही जा चुका है। उन्हें वकील होना चाहिये या न्यायिक सेवा के सदस्य होना चाहिये और संविधान के अधीन ऐसे किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने का विचार नहीं किया जा सकता जो न्यायिक सेवा में दस वर्ष तक न रह चुका हो या १० वर्ष तक एडवोकेट न रह चुका हो।

†**श्री वाजपेयी** : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में राज्य पुनर्गठन आयोग ने कुछ सिफ़ारिशें की थीं क्या राज्य सरकारों ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : उन सिफारिशों के सिद्धान्त स्वीकार कर लिये गये हैं।

†**श्री पाणिग्रही** : उड़ीसा के लिये किन-किन न्यायाधीशों की सिफारिश की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इन नामों पर विचार करने के लिये हमें कोई समिति नियुक्त करनी है ? नहीं, नहीं—यह ठीक नहीं है।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : अभी वह मेरे पास नहीं है लेकिन बाद में उन्हें प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

†**श्री रंगा** : क्या उनके सुझावों के लिये कोई अधिकतम संख्या निश्चित की गई है ? पांच या दस नामों की कोई भी अधिकतम संख्या ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : कोई संख्या निश्चित नहीं की गई है।

†**श्री जगन्नाथ राव** : राज्यों ने जिन व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की है क्या उनमें से अब तक एक भी नियुक्त किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†पंडित गो० ब० पन्त : जहां तक इन सूचियों का सम्बन्ध है, हम अन्य राज्यों की सूचियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अभी कोई अन्तिम सूची तैयार नहीं की गई है ।

†श्री हेम राज : क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुनने में वकीलों और जजों की कोई प्रतिशत संख्या निश्चित की गई है ?

†पंडित गो० ब० पन्त : कोई प्रतिशत नहीं तय की गई है । राज्यों से अपने प्रस्ताव भेजने को कहा गया है ताकि एक अन्तिम तालिका बनाई जा सके ।

†श्री तंगामणि : क्या राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस बात की हिदायत दी गई है कि वह ऐसे वकीलों के नाम न भेजें जो कोई विशेष राजनीतिक विचार रखते हों ?

†पंडित गो० ब० पन्त : इस बात का मुझे ख्याल नहीं आया ।

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम

†*११७२. श्री मुरारका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई उच्च न्यायालय के हाल के उस फैसले की ओर आकृष्ट हुआ है जिसमें समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम की कुछ धाराओं को अवैध घोषित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) माननीय सदस्य का मतलब शायद बम्बई उच्च न्यायालय के उस निर्णय से है जो उसने अमीनचन्द वल्लभजी और अन्य बनाम एम० जी० अबरोल और अन्य के मामले में १९५७ के विविध आवेदन संख्या २१ पर दिया था । १५ मई, १९५८ को दिये गये इस निर्णय में न्यायमूर्ति श्री के० टी० देसाई ने यह विचार प्रकट किया कि धारा १७८-क में निहित उपबन्धों को, जहां तक उनका सम्बन्ध स्वर्ण से है, अनुचित और संविधान के अनुच्छेद १९(१)(च) और (छ) के अधीन गारंटी किये गये मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला माना जाना चाहिये ।

(ख) सरकार ने बम्बई कस्टम्स के कलेक्टर को बम्बई उच्च न्यायालय की अपेलेट बैंच के समक्ष इस निर्णय के विरुद्ध अपील दाखिल करने का निदेश दिया है । इसलिये यह मामला अभी न्यायाधीन है ।

†श्री मुरारका : इस निर्णय से क्या सरकार के लिये कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं, और यदि हां, तो क्या ?

†श्री ब० रा० भगत : कुछ अधिक तो नहीं हैं । उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जहां तक बम्बई राज्य का सम्बन्ध है अभी धारा १७८-क लागू नहीं की जानी चाहिये ।

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

छात्र वृत्तियां

†*११३८. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में विदेशी भाषाओं का अध्ययन करने के लिये भारतीय राष्ट्रजनों को प्रोत्साहित करने की योजना के अधीन अब तक कितने व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गयी हैं ;

(ख) क्या यह योजना चल रही है ;

(ग) क्या अध्ययन के पश्चात् कार्य क्षेत्र में लौटने वालों के साथ कोई सम्पर्क रखा जाता है ; और

(घ) इस योजना के अधीन जिन क्षेत्रों की परिकल्पना की गई थी उनमें कितने विद्वान विदेशी भाषाओं के अपने ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) ६६ ।

(ख) इसे चालू रखने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) जी हां । सभी अध्ययनार्थियों को अपना अध्ययन पूरा कर लौटने पर अपने अध्ययन और साथ ही अपने रोजगार के बारे में पूरी रिपोर्ट देनी होती है ।

(घ) विदेशों में अपना अध्ययन पूरा कर अब तक ५५ अध्ययनार्थी वापस लौटे हैं । इन में से ४४ व्यक्ति ऐसे स्थानों पर काम कर रहे हैं जहां उनके ज्ञान का पूरा उपयोग किया जा सकता है ।

बाल संग्रहालय और बाल-भवन

†*११३६. { **श्री सुबोध हंसदा :**
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तिम रूप से स्वीकृत बाल संग्रहालय और बाल-भवन की योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या इसके भवन का निर्माण करने के लिये सरकार ने आवश्यक भूमि प्राप्त कर ली है ;

(ग) यदि हां, तो क्या तब से निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(घ) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २८**]

(ख) जी हां ।

(ग) बालभवन का निर्माण आरम्भ हो गया है लेकिन बाल-संग्राहालय का निर्माण कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है ।

(घ) बालभवन के निर्माण का कुछ अंश पूरा हो गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोहे और इस्पात का आयात

†*११४६. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में लोहे और इस्पात के आयात में कमी होने की आशा है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ;

(ग) क्या आयात में इस कमी का देश की विकास योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो किस रूप में ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) विदेशी मुद्राओं की कमी के कारण ;

(ग) जी हां, कुछ हद तक ।

(घ) यद्यपि योजना के मुख्य भाग की योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन अन्य परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में औसतन एक वर्ष की देर होने की संभावना है ।

हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा विमान की खरीद

†*११४८. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड ने हाल ही में एक विमान खरीदा है;

(ख) हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवे) लिमिटेट को विमान खरीदने की आवश्यकता पड़ने के विशिष्ट कारण क्या हैं;

(ग) यदि इस विमान को खरीदने से कुछ बचत हुई हो तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(घ) इस विमान की देख-रेख और संचालन पर अब तक कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) इस्पात के तीनों कारखानों वाले स्थानों को, विशेष रूप से रूरकेला और भिलाई में नियमित विमान सर्विसें नहीं जातीं । गाड़ियों के समय भी सुविधाजनक नहीं हैं और गाड़ियों के समय में हेर फेर करने की भी कुछ सीमा होती है । इस कम्पनी के डाइरेक्टरों, वरिष्ठ कार्याध्यक्षों और इन तीनों कारखानों के प्रमुख विशेषज्ञों के लिये शीघ्रगामी यातायात की व्यवस्था के लिये एक विमान का होना अत्यावश्यक माना गया था क्योंकि उन्हें इन परियोजनाओं के स्थानों पर अक्सर जाना पड़ता है ।

(ग) यह विमान मुख्य रूप से शीघ्रगामी परिवहन की व्यवस्था के लिये खरीदा गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) अब तक इस विमान ने कुछ १०० घंटे की उड़ान की है और प्रति घंटे की उड़ान की लागत, जिसमें देख रेख और चालक वर्ग के वेतन शामिल हैं, २९१.४३ रुपये, अर्थात् १.९४ रुपये प्रति मील कूती गई है ।

पश्चिमी बंगाल को इस्पात का संभरण

†*११४९. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में इस्पात की मांग में और आयरन एण्ड स्टील कन्ट्रोलर द्वारा उस राज्य को संभरण किये जाने वाले इस्पात में, परिमाण और किस्म दोनों ही दृष्टियों से समन्वय का अभाव है; और

(ख) १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में अब तक पश्चिम बंगाल को कितने इस्पात का संभरण किया गया और वास्तव में उनकी मांग कितनी थी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) जी हां ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में पश्चिमी बंगाल राज्य की मांग, आवंटन और संभरण का विवरण इस प्रकार है :

	मांग टन	आवंटन टन	भेजा गया टन
१९५५-५६ . .	१३५,३३७	५४,१७३	पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है।
१९५६-५७ . .	१७८,९५४	६४,०४४	-वही-
१९५७-५८ . .	२०६,७४५	५०,२८८	३२,९७६

विश्वविद्यालयों के अध्यापक

†*११५५. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को एक परिपत्र भेजा है जिसमें उनसे कहा गया है कि वे अपने अध्यापकों के वेतन-क्रमों में सुधार करें और यह कि वह अध्यापकों के बढ़े हुए वेतन क्रम का ५० प्रतिशत अंश देने को तैयार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब क्रियान्वित की जायेगी और आयोग इस संबन्ध में कितनी राशि का भुगतान करेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). यह योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन विश्वविद्यालयों और संबद्ध कालेजों में अध्यापकों के वेतन-क्रमों के सुधार के संबंध में है। इस योजना के अधीन महिला-कालेजों के बढ़े हुए व्यय

†मूल अंग्रेजी में

का ७५ प्रतिशत और पुरुषों के कालेजों का ५० प्रतिशत भार आयोग उठायेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्तर प्रदेश में आगरा, इलाहाबाद, बनारस और लखनऊ विश्वविद्यालयों को परिपत्र भेजे हैं। लेकिन न संबंधित विश्वविद्यालय और न राज्य सरकार निर्धारित आधार पर व्यय उठाने को तैयार हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक कालेज को छोड़ कर और किसी भी कालेज ने आयोग द्वारा दी जाने वाली राशि के बराबर राशि का उपबन्ध करने की इच्छा नहीं प्रगट की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस कालेज से उसके अध्यापकों को किये जाने वाले बकाया भुगतान के बारे में लिखा-पढ़ी कर रहा है।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अभी यह बताना संभव नहीं है कि उत्तर प्रदेश के संबंधित विश्वविद्यालयों के कालेजों में कब यह योजना क्रियान्वित की जा सकेगी और आयोग इस संबंध में कितनी राशि का भुगतान करेगा।

दिल्ली की प्रतिलिपि एजेंसी[1]

†*११६०. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली की प्रतिलिपि एजेंसी से अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने में लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जाने वाली है?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) सरकार को अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने में देर होने आदि की शिकायतें मिली हैं।

(ख) प्रतिलिपि एजेंसी का पुनर्गठन किया जा रहा है।

छात्रवृत्तियां

†*११६१. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **शिक्षा** मंत्री निम्नलिखत जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां देने के लिये १९५८ में छात्रवृत्ति विभाग को कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) इन छात्रों की संख्या कितनी है जिनके प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये हैं और उनमें से कितने छात्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ; और

(ग) कितने छात्रों को उपरोक्त स्कूलों में भर्ती किया गया है।

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ३४५४।

(ख) प्रारम्भिक अवस्था में ७१६ थे। इन में से २२ अनुसूचित जातियों के थे और १७ अनुसूचित कबीलों के।

(ग) मालूम नहीं, क्योंकि अभी तक अन्तिम रूप से चुनाव नहीं हुए हैं।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Copying Agency Delhi.

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५

†*११६५. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उपादन-शुल्क) अधिनियम के अधीन प्राप्त शक्तियों का उपयोग उस प्रकार की वस्तुओं पर लगाये जा सकने वाले शुल्क में आंशिक अथवा पूर्ण से छूट देने के लिये किया गया है ; और

(ख) इस प्रकार का उपयोग किस सीमा तक किस ढंग से किया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां।

(ख) इन के संबंध में छूट दी गयी है :

(१) बन्धित फैक्ट्रियों या भाण्डागारों से अस्पतालों, डिस्पेन्सरियों या ऐसी अन्य यातव्य संस्थाओं को सीधे संभरण की जाने वाली औषधीय सामग्री जो ग़रीबों को मुफ्त दवा देते हैं।

(२) स्वजनित एल्कोहल[1] युक्त आयुर्वेदिक औषधीय सामग्री जिसमें २ प्रतिशत प्रूफ स्पिरिट से अधिक न मिली हो।

(३) स्व-जनित एल्कोहल युक्त ऐसे आयुर्वेदिक औषधीय सामग्री जो चिकत्सकों ने केवल अपने रोगियों की दवा में देने के लिये ही तैयार की हो। इसके अलावा नियमों में यह उपबन्ध भी है जिस के अधीन सरकार सरकारी गज़ट में अधिसूचना निकाल कर व्यवसाय या लोकहित में उन वस्तुओं के, जिन पर शुल्क लगाया जा सकता है, शुल्क में आंशिक अथवा पूरी छट दे सकती है लेकिन अभी तक इस उपबन्ध के अधीन छूट देने का कोई अवसर नहीं आया है।

अनिवार्य शारीरिक शिक्षा

†*११६७. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार १९–२२ वर्ष के आयु-समूह के लड़कों के लिये अनिवार्य शारीरिक शिक्षा लागू करने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस मामले में कुछ अंतिम निर्णय हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस निर्णय को कब लागू किया जायगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में।

1 Self generated Alcohol.

मुख्य न्यायधीशों का सम्मेलन

†*११७०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप कुछ सिफारिशें या सुझाव केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार और निर्णय के लिये प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की सिफारिशों की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सम्मेलन की कार्यवाही सारांश की एक प्रति के साथ उसके निष्कर्षों की प्रति भेजने की कृपा की थी। जिन सुझावों पर केन्द्रीय सरकार को कार्यवाही करनी थी उनका और की गयी कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है :—

सम्मेलन के निष्कर्ष	केन्द्रीय सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही
१. विचाराधीन मामलों को निबटाने के लिये उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किये जायें	१. कुछ अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किये गये हैं। जब भी राज्य सरकारों से नये प्रस्ताव आते हैं, केन्द्रीय सरकार उन पर पूरे ध्यान से विचार करती है।
२. "बाहरी स्थानों में" नियुक्ति के लिये पदारूढ़ डिस्ट्रिक्ट जजों की अखिल भारतीय तालिका तैयार की जाय लेकिन एडवोकेटों की इस प्रकार की तालिकायें बनाना कठिन होगा। पदारूढ़ उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों की अन्य राज्यों को बदली संबंधित न्यायाधीश की सहमति से ही की जाय।	२. राज्य सरकारों को लिखा गया है कि वह अपने अपने मुख्य न्यायाधीशों की राय से ऐसे न्यायिक पदाधिकारियों और वकीलों की तालिकायें तैयार कर लें जिन्हें उच्चन्यायालयों के न्यायाधीश नियुक्त करने के लिये उपयुक्त समझा जाये। किसी न्यायाधीश की इच्छा के विरुद्ध उसका तबादला अन्य राज्यों में नहीं किया गया है।

पश्चिमी बंगाल में पाकिस्तानी

†*११७३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष उन पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है जिनके बारे में यह पता चला कि वे पश्चिमी बंगाल में अपने आप को भारतीय नागरिक घोषित करके रह रहे थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : उन व्यक्तियों को, जो कि झूठ में ही अपने आप को भारतीय नागरिक घोषित करके पश्चिमी बंगाल में रहते हुए पकड़े गये हैं, विदेशवासी विधियां (संशोधन) अधिनियम, १९५७, के अधीन वापिस पाकिस्तान भेज दिया गया है, उन लोगों पर, जो कि अनधिकृत रूप से रहते हुए पकड़े गये हैं ; उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अभियोग चलाया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी कर्मचारियों को उपदान

†*११७४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार केन्द्रीय सरकारी अस्थायी कर्मचारियों के उपदान देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना का स्वरूप क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). वेतन आयोग (१९५७) की नियुक्ति से कुछ समय पूर्व भारत सरकार इस प्रस्थापना पर विचार कर रही थी कि केन्द्रीय सरकार के उन अस्थायी कर्मचारियों को उपयुक्त 'स्केल' के अनुसार उपदान दिया जाये जो कि स्थायी अथवा अस्थायी बनने से पहले ही सेवा से निवृत्त हो जायें, छटनी में आ जायें अथवा मर जायें। परन्तु क्योंकि अब यह विषय वेतन आयोग के निर्देश पद में सम्मिलित कर दिया गया है, इसलिये यह निर्णय किया गया है कि आयोग की सिफारिशें आने तक उस पर विचार करना स्थगित कर दिया जाये।

यमुना नदी का मार्ग परिवर्तन

†*११७५. { **श्री राधारमण** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यमुना नदी की धारा को उन पक्के घाटों के निकट लाने के लिये कोई कार्य करने का विचार रखती है, जो कि नदी के रास्ते के बदल जाने से उस समय सूने और बेकार हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का कार्य करने का विचार है ; और

(ग) क्या उसके लिये कोई राशि निर्धारित की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). किन्हीं प्राकृतिक कारणों से यमुना नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है और अब वह कुदसिया और निगमबोध घाटों से लगभग २,००० फुट दूर बह रही है। नदी को घाटों के निकट लाने के लिये अस्थायी कार्यवाही के रूप में नदी पर एक मिट्टी का 'स्पर' बना दिया गया है और एक बुलडोजर के द्वारा घाटों के पास एक नहर बना दी गयी है। इस कार्य के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा ६,४०५ रुपये अदा किये गये हैं। नदी को दायीं ओर लाने के लिये स्थायी कार्यवाहियां करनी पड़ेंगी और वे पूना में केन्द्रीय जल पथ गवेषणा संस्था द्वारा प्रयोग किये जाने के बाद ही की जा सकेंगी। मौनसून के बाद नदी को दायीं ओर लाने के लिये सर्वेक्षण किये जायेंगे और उसके बाद ही इस प्रकार के प्रयोग किये जा सकेंगे।

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री जे० एल० टेलर

†*११७६. { **श्री वाजपेयी :**
श्री रघुनाथ सिंह :
सरदार इक़बाल सिंह : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ जुलाई, १९५८ को पश्चिमी पाकिस्तान के असिसटेण्ट इंस्पैक्टर जनरल आफ पुलिस, श्री जॉन लेज़ली टेलर वागा नामक स्थान पर भारत की सीमा में दाखिल हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनके पास ब्रिटिश पार पत्र था ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के समाचार-पत्रों की खबर की ओर आकृष्ट किया गया है कि वह पाकिस्तान बेतार संचार संहिता की चाबियां ले कर पाकिस्तान से गायब हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी हां।

(घ) बाद में भारत स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग ने बताया कि वह रिपोर्ट ग़लत है।

हिमालय बैंक लिमिटेड

†*११७७. **श्री हेम राज :** क्या **वित्त** मंत्री ९ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २१२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रक्षित बैंक ने हिमालय बैंक लिमिटेड कांगड़ा (पंजाब) के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन पूरा कर लिया है और सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) जी, हां।

(ख) बैंक के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का फिलहाल तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अभी मामला कचहरी में है।

त्रिपुरा में प्राइमरी स्कूल

†*११७८. **श्री दशरथ देब :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के कितने प्राइमरी स्कूलों को इस समय सरकारी सहायता मिल रही है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) १९५७–५८ में उनमें से प्रत्येक स्कूल को कितनी राशि दी गयी थी ;

(ग) क्या इन स्कूलों के लिये स्वीकृत राशियां प्रति मास समय पर पहुंच जाती हैं ; और

(घ) क्या इस राशि को अब बढ़ा देने का कोई विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) १२६।

(ख) ३६० रुपये प्रत्येक स्कूल को।

(ग) प्राय: जब किसी नये स्कूल के लिये अनुदान दिया जाता है अथवा किसी अनुदान का पुनर्नवन किया जाता है तो उस समय कुछ देर लग ही जाती है।

(घ) फिलहाल तो नहीं।

राष्ट्रमंडल सेनाध्यक्ष सम्मेलन

† **११७९. श्री अ० क० गोपालन् :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन में राष्ट्रमण्डल के सेनाध्यक्षों का एक सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्मेलन के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन में की गयी बातचीत अनौपचारिक तथा प्राइवेट है।

छात्रावास

†*११८०. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यार्थियों के लिये छात्रावास बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) उस योजना के अनुसार १९५६–५७ से ही काम किया जा रहा है।

(ख) सम्बद्ध कॉलिजों, माध्यमिक स्कूलों, शिक्षक प्रशिक्षण कॉलिजों और बुनियादी तथा समाज शिक्षा संस्थाओं के लिये छात्रावास बनवाने के लिये ऋण देने की योजना १९५६–५७ से ही लागू है। राज्य सरकारों से यह कहा जाता है कि वे हर तरह से पूर्ण प्रस्थापनायें भेजें उदाहरणार्थ, राज्यों के लोक-निर्माण विभागों द्वारा नक्शों और कूतों की स्वीकृति ; छात्रों के सम्बन्ध में सभी आंकड़ों का संग्रहण ; स्थान की जन संख्या ; भूमि की उपलब्धि सम्बन्धी (प्रमाणपत्र) आदि जिनमें किसी उल्लिखित तिथि तक का प्राथमिकता क्रम बताया गया हो।

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्थापनाओं पर विचार किया जाता है और किसी वर्ष विशेष में उपलब्ध राशि को ध्यान में रखते हुए किसी संस्था को धन देने के सम्बन्ध में निर्णय किया जाता है।

विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्बद्ध कालेजों को भी छात्रावासों और शिक्षकों के क्वार्टरों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर ऋण दिये जाते हैं।

मूल योजना में तो यह विहित था कि छात्रावासों के लिये दिये जाने वाले ऋणों पर कोई व्याज न लिया जाये, परन्तु हाल ही में यह निर्णय किया गया है कि ३१ मई, १९५७ के बाद अदा किये जाने वाले ऋणों पर व्याज भी लगेगा, और वह व्याज प्रचलित दर के अनुसार होगा। ये ऋण अधिक से अधिक १३ वर्षों तक की अवधि में आसान किस्तों में वापिस किये जा सकते हैं।

बोकारो इस्पात कारखाना

†*११८१. { **श्री मुरारका :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री प्र० के० देव :
श्री सूपकार : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बोकारो को द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत खोले जाने वाले प्रस्थापित इस्पात कारखाने को बोकारों में स्थापित करने के सम्बन्ध में कितनी प्रारम्भिक कार्यवाही हुई है ;

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** उस स्थान का हमारे इस्पात परा-मर्शदाता इन्टर्नेशनल कांस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है। परामर्श-दाता इंजीनियरों ने दृश्य अनुसंधान और भूमि की हालत के आधार पर इस्पात कारखाने और सम्बद्ध बस्ती के स्थान अस्थायी रूप से चुन लिये हैं। पानी के लिये दामोदर नदी पर एक बंद बनाने की दृष्टि से मोटे तौर पर एक नक्शा तैयार कर लिया गया है। हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड ने दुगदा कोल वाशरी के एक भाग के रूप में बंद बनाने के सम्बन्ध में एक प्रस्थापना तैयार की है। उसने उस क्षेत्र का एक अनुसंधानत्मिक सर्वेक्षण किया है और वह इस समय पांच-पांच फुट का धरातल सर्वेक्षण करने, अस्थायी कार्यालय व अस्थायी क्वार्टर बनाने और कम्पनी के वायुयान के उतरने के लिये स्थान तैयार करने के सम्बन्ध में प्राक्कलन तैयार कर रहा है।

सैनिक इंजीनियरिंग सेवा निर्माण समिति

†*११८२. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वाजपेयी : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ७ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सैनिक इंजीनियरिंग सेवा निर्माण समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर विचार कर लिया गया है और उस बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) उपरोक्त (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इस विलम्ब का क्या कारण है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जी, हां। प्रतिवेदन ११ जुलाई, १९५८ को प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग). प्रतिवेदन इस समय छप रहा है। छपने के बाद उसकी प्रतियां उपलब्ध होते ही सर्विसिज़ हेडक्वार्टरों तथा अन्य सम्बद्ध विभागों के परामर्श से उस पर विचार किया जायेगा।

भारत सेवक समाज के कैम्प

†***११८४. श्री अ० क० गोपालन् :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सेवक समाज ने चालू वित्तीय वर्ष में देहाती क्षेत्रों में युवक कैम्प लगाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने कैम्प लगाये जायेंगे ;

(ग) उन कैम्पों का व्यौरा क्या है ; और

(घ) उन पर लगभग कितना खर्च आयेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां।

(ख) धन की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुये लगभग १,३२० कैम्प।

(ग) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २९]**

(घ) १८·५ लाख रुपये। परन्तु अब ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार उसके लिये १४·२ लाख रुपये से अधिक अनुदान न दे सकेगी।

असैनिकों के प्रयोग के लिये हथियार

†**१८३२. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में आयुध कारखानों में असैनिकों के प्रयोग के लिये कितने हथियार तैयार किये गये ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** गत तीन वर्षों में आयुध कारखानों में असैनिकों के प्रयोग के लिये निम्नलिखित हथियार तैयार किये गये :—

क्रम संख्या	प्रकार	१९५५–५६ संख्या	१९५६–५७ संख्या	१९५७–५८ संख्या
१.	१२ बोर डबल बैरिल ब्रीच लोडिंग शाट गन (नान-इजक्टर टाइप)	३२७०	१२८६	३३९६
२.	·३१५" स्पोर्टिंग राइफल	२५	६	१६५

†मूल अंग्रेजी में

शस्त्रास्त्रों में आत्मनिर्भरता

१८३२. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शस्त्रों के मामले में भारत कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : जितना जल्दी हो सके आत्मनिर्भर हो पाने और बाहर के मुल्कों के भरोसे रहने को इतना कम करने के लिये कि कम से कम और अतीव जरूरी चीज़ें बाहर से मंगाई जायें, देश में उत्पादन बढ़ाने की हर कोशिश की जा रही है। ताहम देश की औद्योगिक उन्नति की मौजूदह हालत में शीघ्र भविष्य में आत्मनिर्भर हो पाना संभव नहीं।

त्रिपुरा में प्रयोगात्मक सहायता-कार्य[1]

†**१८३३. श्री बांगशी ठाकुर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय त्रिपुरा के किस किस क्षेत्र में प्रयोगात्मक सहायता-कार्य किया जा रहा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३०]**

बम्बई में प्रादेशिक भाषायें

†**१८३४. श्री पांगरकर :** क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में बम्बई सरकार को प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये कितना सहायक अनुदान देने का विचार है ; और

(ख) यह राशि किन किन कार्यों पर खर्च की जायेगी ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है।

बम्बई में समाज सेवा कैम्प

†**१८३५. श्री पांगरकर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में अभी तक केन्द्रीय सरकार की सहायता से बम्बई राज्य में कितने समाज सेवा केन्द्र कैम्प लगाये गये हैं ; और

(ख) कुल कितनी राशि खर्च की गई है और उसमें कुल कितने लड़कों और लड़कियों ने भाग लिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क)

१९५७-५८	१९५८-५९
१५५	६६

(ख)

खर्च की गई कुल राशि	(रुपये)	भाग लेने वालों की संख्या लड़के	लड़कियां
१९५७-५८	४,०२,१८०.८७*	१५७३६	२०३९
१९५८-५९	१,२६,०८१.१७*	३५९९	५३१

*ये आंकड़े परीक्षित लेखों की प्राप्ति पर पुनरीक्षित भी किये जा सकते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Test relief works.

बम्बई में कल्याण विस्तार परियोजनायें

†१८३६. **श्री पांगरकर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की कितनी एकीकृत कल्याण विस्तार परियोजनायें चल रही हैं ; और

(ख) वे परियोजनायें किस किस स्थान पर चल रही हैं ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) २० ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी निहित है । **[देखिये परशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३१]**

भूतपूर्व राजाओं की गद्दियों के उत्तराधिकार

†१८३७. **श्री प्र० के० देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व भारतीय रियासतों की गद्दियों के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में इस समय कितने विवाद हैं ;

(ख) इन राज्यों के क्या क्या नाम हैं ;

(ग) क्या इन मामलों को किसी समिति अथवा जांच आयोग को सौंपा गया था ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस आयोग अथवा समिति का निर्माण २९ अक्तूबर, १९२० के भारत सरकार के संकल्प संख्या ४२६-आर के उपबन्धों के अनुसार था ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) तीन ।

(ख) धौलपुर, मनीपुर और बौध ।

(ग) धौलपुर में, एक समिति ने, जिसमें राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश और दो राजा थे, विभिन्न दावेदारों के दावों के सम्बन्ध में जांच की थी । मनीपुर और बौध में यह जांच क्रमशः मनीपुर के न्यायिक कमिश्नर और गंजम-नयागढ़ के डिस्ट्रिक्ट जज ने की थी ।

(घ) जी, नहीं । २९ अक्तूबर, १९२० का भारत सरकार का संकल्प उस समय जारी किया गया था जब कि भारत सरकार का उस समय की रियासतों से एकछत्रधारी साम्राज्य के रूपमें सम्बन्ध था । परन्तु अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह संकल्प समाप्त हो गया है ।

(ङ) संविधान के अनुच्छेद ३६६(२२) के अनुसार राष्ट्रपति को राजाओं को मान्यता देने का अधिकार है और उस शक्ति के अनुसार इस बात पर विचार करना उन्हीं पर छोड़ दिया गया है कि क्या उत्तराधिकार सम्बन्धी विवादग्रस्त मामलों में कोई जांच करने की आवश्यकता है या नहीं ; और यदि है, तो किस प्रकार की जांच की जाये । उक्त तीनों मामलों में की गई जांच अपनी अपनी परिस्थितियों में सब से अच्छी जांच मानी गई है ।

आन्ध्र को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अनुदान

†१८३८. **श्री म० वें० कृष्णराव :** क्या शिक्षा मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि १९५७–५८ और १९५८–५९ में केन्द्रीय समाज कल्याण

---

†मूल अंग्रेजी में

बोर्ड द्वारा आन्ध्र की किन किन सार्वजनिक संस्थाओं और संगठनों को सहायता दी गई थी और कितनी कितनी दी गई थी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। जिसमें अपेक्षित जानकारी निहित है।

लक्कादीव में प्रकाश स्तम्भ

†१८३९. **श्री नल्लाकोया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कादीव द्वीप समूह के कुछ एक द्वीपों में एक प्रकाश स्तम्भ बनाने की कोई प्रस्थापना थी ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रकाश स्तम्भ किस द्वीप में बनाया जायेगा ; और

(ग) इस समय उस प्रस्थापना की क्या स्थिति है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). अन्द्रोथ और किल्टन में सामान्य प्रकाश स्तम्भ और कवारथी में एक स्थानीय प्रकाश स्तम्भ बनाने की एक प्रस्थापना है।

(ग) मुख्य भूमि और उन द्वीपों में एक स्टीमर सेवा प्रारम्भ होते ही परिवहन तथा संचार मंत्रालय के मेरीन आफिस के कर्मचारी अन्द्रोथ और किल्टन द्वीपों में जायेंगे और सर्वेक्षण के बाद उस सम्बन्ध में योजना तैयार करेंगे।

जहां तक कवारथी का सम्बन्ध है, अस्थायी रूप से एक नारियल का खम्भा लगा रखा है और उसके स्थान पर एक प्रकाश स्तम्भ लगा दिया जायेगा।

लक्कादीव द्वीप समूह

†१८४०. **श्री नल्लाकोया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कादीव द्वीप समूह के आस पास देशी नौकाओं के लिये जल मार्गों में से चट्टानों को हटाने की प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस कार्य को कब से प्रारम्भ करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) आशा है कि मुख्य भूमि और इन द्वीपों के बीच स्टीमर सेवा प्रारम्भ होते ही अतिरिक्त चीफ़ इंजीनियर (संघ राज्य क्षेत्र) वहां पर जायेंगे। वह उन द्वीपों के आस पास के सागर का सर्वेक्षण करने के बाद उसके लिये एक योजना तैयार करेगें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

१८४१. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब तक सागर विश्वविद्यालय और जबलपुर विश्वविद्यालय को कितना अनुदान दिया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सम्बद्ध कालेजों और विशेषतः सागर तथा जबलपुर विश्वविद्यालयों के सम्बद्ध कालेजों को अपने अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के लिये कितना अनुदान दिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क)

	सागर विश्वविद्यालय रु०	जबलपुर विश्वविद्यालय
१९५३–५४	१,९०,०००	अभी तक कुछ नहीं ।
१९५४–५५	९,३२,०८०	
१९५५–५६	५,७६,६००	
१९५६–५७	३,५२,०५०	
१९५७–५८	९९,५२५	
१९५८–५९ ८–८–१९५८ तक	७६,७००	

(ख) कुछ नहीं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये भूमि

†**१८४२. श्री कुम्भार :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में अभी तक संघ राज्य-क्षेत्रों की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कृषि योग्य भूमि का जो आवंटन किया गया है, उसका क्या व्यौरा है ; और

(ख) कितने एकड़ कृषि योग्य भूमि अभी खाली है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

आदिम जातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें

†**१८४३. श्री कुम्भार :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों ने आदिम जातीय क्षेत्रों में इस दृष्टि से स्वास्थ्य सम्बन्धी सर्वेक्षण किये हैं कि १५ और १६ फरवरी, १९५८ को दिल्ली में हुये राज्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार आदिम जातियों के कल्याण के लिये उपयुक्त योजनायें बनाई जा सकें ;

(ख) यदि हां, तो मलेरिया की रोकथाम और संक्रामक रोगों के उन्मूलन के लिये क्या क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा):** (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मिले जुले लोगों की बस्तियां

†१८४४. **श्री कुम्भार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों ने १५ और १६ फरवरी, १९५८ को दिल्ली में हुये राज्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार मिली जुली बस्तियों तथा संस्थाओं में रहने वाले गैर-हरिजनों को भी वही सुविधायें दे कर, जो कि अनुसूचित जातियों को दी जाती हैं, उन्हें कोई प्रोत्साहन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों में किस किस स्थान पर इस प्रकार की मिली जुली बस्तियां तथा संस्थायें प्रारम्भ की गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

इस्पात कारखानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति

†१८४५. **श्री कुम्भार** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २८ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात कारखानों के विभिन्न केन्द्रों और सेक्शनों में अभी तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति विभिन्न वेतन क्रमों में स्थायी तथा अस्थायी पोंदों पर नियुक्त किये गये हैं ; और

(ख) उनके व्योरे क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड से यह रिपोर्ट मिली है कि इस्पात कारखोनों के नियमित वर्गों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के निम्नलिखित व्यक्ति काम कर रहे हैं :—

परियोजना	दूसरी श्रेणी		तीसरी श्रेणी		चौथी श्रेणी	
	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
रूरकेला	१	—	११	१८	३५	३७
भिलाई	—	—	३३	५	१८२	१६
दुर्गापुर	—	—	७	—	३१	६

उक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त विभिन्न केन्द्रों में ८ अनुसूचित जातियों के और ६ अनुसूचित आदिम जातियों के प्रशिक्षणार्थी इंजीनियर प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे है ।

प्रवीण श्रमिकों के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा संस्थानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति

†१८४६. **श्री कुम्भार :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री २५ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा संस्थापनों के विभिन्न केन्द्रों और सेक्शनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्तियों को विभिन्न वेतन-क्रमों में स्थायी तथा अस्थायी पदों पर अभी तक नियुक्त किया गया है ; और

(ख) उनके व्यौरे क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). अतारांकित प्रश्न संख्या १६४८ के उत्तर में दिय गये आश्वासन के अनुसरण में संसद्-कार्य मंत्री द्वारा ५ सितम्बर, १९५८ को लोक सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया था ।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान

†१८४७. **श्री कुम्भार :** क्या गृह-कार्य मंत्री १८ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में उड़ीसा राज्य में जिलावार तथा वर्षवार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कुल कितने परिवारों को अभी तक बस्तियों तथा हटमेंटों में आवास स्थान दिये गये हैं ; और

(ख) उक्त जातियों के कितने आवेदनपत्र अभी तक अनिर्णीत अवस्था में हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३३]**

(ख) जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

राजस्थान के अनुसूचित जातियों के छात्र

†१८४८. **श्री ओंकार लाल :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति के ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जिन्हें १९५४ से सरकारी छात्रवृत्ति देकर उच्च अध्ययन के लिये विदेश भेजा गया ;

(ख) ऐसे लोग किन-किन देशों को भेजे गये ; और

(ग) उनमें से राजस्थान के अनुसूचित जातियों के कितने लोग हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथासमय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

राजस्थान में राष्ट्रीय सेनाछात्र दल

†१८४९. **श्री ओंकार लाल :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में इस समय कितने राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के कितने यूनिट हैं; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) फिलहाल कितने डिवीजन काम कर रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५ अनुबन्ध संख्या ३४]

राजस्थान को लोहे और इस्पात का संभरण

†१८५०. **श्री ओंकार लाल** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में राजस्थान राज्य को कुल कितने लोहे और इस्पात का आंवटन किया गया और उक्त काल में वास्तव में कुल कितना संभरण किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि हाल में संभरण रोक दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) पिछले तीन वर्षों में राजस्थान राज्य को आंवटित और संभरण की मात्रा संबंधी जानकारी निम्न विवरण में दी गई है :—

वर्ष	आंवटन	भेजा गया
	टन	टन
१९५५–५६	२०,७३३	७,७२७
१९५६–५७	१३,५३०	१०,७२२
१९५७–५८	११,४२२	८,३४७

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राजस्थान उच्च न्यायालय में आय-कर सम्बन्धी मुकदमे

†१८५१. **श्री ओंकार लाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण में १९५६ से आय-कर संबंधी कितने मुकदमें दायर किये गये ; और

(ख) अब तक कितने मुकदमों का निपटारा हो चुका है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) (१) राजस्थान उच्चन्यायालय में २१

(२) राजस्थान के मुकदमे जो दिल्ली बेंच के आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर किये गये ५३६

(ख) (१) उच्च न्यायालय द्वारा १०

(२) न्यायाधिकरण द्वारा २९९

†मूल अंग्रेज़ी में

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

†**१८५२. श्री कुम्भार :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों में कार्य करने वाले केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के भिन्न-भिन्न केन्द्रों में अनुसूचित जाति की स्त्रियों को वेतन देकर मजदूरों के रूप में नियुक्त किया गया था ;

(ख) क्या उनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार की सेवा में रक्षित कोटे के प्रतिशत के अनुसार की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) १० अप्रैल, १९५८ को इन्हीं सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २२५४ के उत्तर में दिये गये आश्वासन को कार्यान्वित करने के बारे में जानकारी अभी एकत्र की जा रही है जो उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

न्यायालयों के प्रशासन में भ्रष्टाचार

†**१८५३. श्री श्री नारायण दास :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २६ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालयों के प्रशासन में भ्रष्टाचार निवारण के लिये कार्यवाही करने के बारे में क्या राज्य सरकारों ने सूचना दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार उनके द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) और (ख). राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३५]** ।

कर जांच आयोग

†**१८५४. श्री श्री नारायण दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद् द्वारा दिये गये सुझावों को दृष्टिगत रखते हुये कर जांच आयोग की सिफारिश संख्या १८१, १८५ और १८६ पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) :** (क) जी हां।

(ख) 'रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर अधिनियम, १९५६' बन जाने से रेलवे मंत्रालय ने सिफारिश संख्या १८५ पहले ही कार्यान्वित कर दी है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

१९५७–५८ के आयव्ययक में रेलवे भाड़े पर अधिभार और यात्रियों के किराये पर जो शुल्क लगाया गया है उसे देखते हुए यह महसूस होता है कि यात्रियों और माल पर सीमा-कर लगाने की जो सिफारिश करारोपण जांच आयोग ने की है, फिलहाल उसको कार्यान्वित न किया जाये।

बम्बई में टेक्निकल शिक्षा

†१८५५. **श्री पांगरकर :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई में १९५७–५८ और १९५८–५९ में टेक्निकल शिक्षा के विस्तार के लिये कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** बम्बई राज्य में १९५७–५८ में टेक्निकल शिक्षा के विकास के लिये सहायतानुदान के रूप में २८,७३,८८६ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी जो सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार की टेक्निकल शिक्षण संस्थाओं के लिये थी।

बम्बई राज्य की गैर-सरकारी टेक्निकल शिक्षण संस्थाओं के लिये १९५८–५९ में १ सितम्बर, १९५८ तक ६,४८,१७५ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं के लिये चालू वर्ष में सहायतानुदान के रूप में १४,५०,००० रुपये की राशि नियत की गई है।

पंजाब का पुरातत्वीय सर्वेक्षण

†१८५६. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब राज्य के पुरातत्वीय और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) और (ख). जी हां। कार्य पहले से ही प्रगति पर है और जुलाई, १९५८ के अन्त तक २७० गावों का सर्वेक्षण किया जा चुका है।

हिन्दी शब्दावली

†१८५७. **श्री राम कृष्ण :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी में टेक्निकल वैज्ञानिक, विधिक तथा प्रशासकोय शब्दावली के विकास के संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गई है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जुलाई, १९५८ के अन्त तक सभी विषयों में १,२०,८३४ शब्द संग्रह किये गये हैं;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) श्री क० भे० मालवीय के लोक-सभा में १७-१२-५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १२०३ के उत्तर के भाग (क) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

इस्पात कारखानों में विदेशी

†१८५८. **श्री भुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के प्रत्येक इस्पात संयंत्रों में कितने विदेशी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) उनकी योग्यताएं और कार्य क्या हैं ;

(ग) उन्हें कुल कितना वेतन मिलता है ; और

(घ) इसके लिये अब तक विभिन्न संयंत्रों में उन्हें कुल कितनी राशि दी गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (घ). हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जितने विदेशी लोग लगाये गये हैं उनकी संख्या बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३६]**

इनके अतिरिक्त ठेकेदारों और परामर्श देने वाले इंजीनियरों ने भी कुछ विदेशियों को नौकर रखा है।

संस्कृत आयोग

†१८५९. { **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री राम कृष्ण :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री वाजपेयी :

क्या **शिक्षा** मंत्री २४ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७०१ के उत्तर के सबंध में एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन में की गई प्रत्येक सिफारिश पर को गई कार्यवाही अथवा की जाने वाली कार्यवाही दिखाई गई हो ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : संस्कृत आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की अभी जांच की जा रही है। वांछित आंकड़े एकत्र करने और आलोचना प्राप्त करने के लिये इसका निर्देश राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्कृत के संगठनों आदि को कर दिया गया है। जानकारी प्राप्त हो जाने और विस्तृत जांच पूरी होते ही विशिष्ट प्रस्ताव किये जायेंगे और उन पर निर्णय किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

परीक्षा पद्धति

†१८६०. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बाल्मीकी :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **शिक्षा** मंत्री ७ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५०८ के उत्तर के संबंध में एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें राज्य सरकारों, माध्यमिक शिक्षा बोर्डों और विश्वविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली परीक्षा पद्धतियों में क्रान्तिकारी सुधार लागू करने के संबंध में और आगे विस्तृत ब्योरा दिया गया हो ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

टेक्निकल शिक्षण संस्थाओं के अध्यापक

†१८६१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री १५ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६५२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि टेक्निकल शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों के अखिल भारतीय आधार पर वेतन क्रम बढ़ाने और उनका अभिनवीकरण करने की योजना के संबंध में कितनी प्रगति की गई है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : योजना कार्यान्वित की जाने के लिये आवश्यक निधि प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार के विचाराधीन है।

जीवन बीमा निगम के डाक्टर

†१८६२. { श्री दामानी :
श्री दलजीत सिंह : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के जीवन बीमा निगम द्वारा कुल कितने डाक्टर नियुक्त किये गये हैं; और

(ख) उनमें से महिला डाक्टरों की संख्या कितनी है ?

†राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) : (क) १०,६७९ .

(ख) ९५९ .

राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित अराजपत्रित कर्मचारी

†१८६३. श्री विभूति मिश्र : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप बिहार के अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन और वरिष्ठता पर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) सम्भवतः प्रश्न बिहार के उन अराजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में है जिनका हस्तांतरण राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम-स्वरूप पश्चिमी बंगाल को कर दिया गया है। यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि सामान्य रूप से उन पर वेतन और वरिष्ठता के सम्बन्ध में कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य-क्षेत्र का हस्तांतरण) अधिनियम, १९५६ में इस प्रकार का आवश्यक उपबन्ध कर दिया गया है कि अस्थायी रूप से अथवा अन्तिम रूप से जो व्यक्ति पश्चिमी बंगाल के लिये नियत कर दिया गया है, उसकी 'सेवा की शर्तें' जो उसके ऊपर लागू होती हैं निश्चित दिन से तत्काल पहले, केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति बिना उसे हानि पहुंचाने वाला कोई परिवर्तन उन शर्तों में नहीं किया जा सकेगा। अभी तक केन्द्रीय सरकार को केवल एक शिकायत वेतन में कथित कटौती के बारे में प्राप्त हुई है जिसकी जांच पश्चिमी बंगाल से परामर्श करके की जा रही है।

बाल अपराधी

†१८६४. श्री राधा रमण : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल अपराधी जिन पर मुकदमा चलता होता है और १४ वर्ष से कम आयु वाले अपराधी दिल्ली जेल के एक अलग वार्ड में फिर भी अन्य कैदियों के साथ रखे जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से कुछ अपराधी मामूली से अपराध जैसे घर से भाग कर और इधर-उधर घूमते हुये पकड़े जाने के अपराध में काफ़ी दिनों से यहां रहते हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें स्थायी रूप से अपराधी बनने की ओर प्रवृत्त होने से बचाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) बाल अपराधियों को दिल्ली जेल के एक अलग वार्ड में रखा जाता है और उन्हें साधारण कैदियों से नहीं मिलने दिया जाता। १६ वर्ष से कम के बालकों को या तो बाल-गृह, दिल्ली और या सुधारात्मक स्कूल, हिसार को, जैसा भी न्यायालय निदेश दे, भेज दिया जाता है। दो मास से काम से कम दण्ड पाने वाले बाल अपराधियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी बाल अपराधी को जेल में नहीं रखा जाता है।

(ख) बाल अपराधियों का दण्ड काल रात भर से लेकर ३—४ मास का होता है। उनमें से अधिकांश बम्बई बाल अधिनियम की धारा ७ के अधीन आते हैं जो दिल्ली में भी लागू है और जो उन बालकों पर लागू होता है जो घर से भाग जाते हैं और जिन्हें इधर-उधर घूमते हुये पकड़ा जाता है। उन पर कुछ और भी साधारण सा अपराध लगाया जा सकता है।

(ग) जिन बाल अपराधियों पर मुकदमा चलता होता है उन्हें दिल्ली जेल के एक अलग वार्ड में रखा जाता है और साधारण कैदियों से नहीं मिलने दिया जाता। अपराधियों को बाल-गृह अथवा सुधारात्मक स्कूल में रखने का प्रयोजन उन्हें सुधारने और स्थायी रूप से अपराधी बनने से रोकना है। दिल्ली में एक नया बाल प्रतिप्रेषण गृह खोलने का निश्चय किया गया है जिसमें केवल वे ही बालक रखे जायेंगे जिन पर मुकदमा चलता होगा।

†मूल अंग्रेज़ी में

सांची के स्तूप

१८६५. श्री ग्रमर सिंह डामर : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा ग्रौर सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सांची में बौद्ध स्तूपों की देख-रेख तथा व्यवस्था के लिये कोई धन राशि नियत की है, ग्रौर

(ख) यदि हां, तो वर्ष १६५८-५६ के लिये इस प्रयोजन के हेतु कितनी धन राशि नियत की गई है ?

वैज्ञानिक गवेषणा ग्रौर सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां ।

(ख) ३६,३०० रुपये ।

तम्बाकू की खेती

१८६६. श्री ग्रमर सिंह डामर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मध्य भारत क्षेत्र में इस समय कुल कितने एकड़ भूमि में तम्बाकू की खेती की जा रही है ; ग्रौर

(ख) १६५५-५६ १६५६-५७ ग्रौर १६५७-५८ में राज्य में तम्बाकू का कुल कितना उत्पादन हुग्रा ?

राजस्व तथा ग्रसैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) :

(क) १६५७—५८ फसली वर्ष

२,३३५ एकड़

(ख)

वर्ष		पौंड
१६५५-५६	.	४६,६८,३०१
१६५६-५७	.	४८,०२,०८८
१६५७-५८	.	२१,३१,७७६

पाकिस्तानी राष्ट्रजन

१८६७. श्री ग्रमर सिंह डामर : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस ने १६५७ के बाद से कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को भारत में बिना बीसा (द्रष्टांक) रहने ग्रथवा बीसा की कालावधि समाप्त होने के बाद ठहरने के ग्रपराध में गिरफ्तार किया; ग्रौर

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) १५५ ।

(ख) सम्बन्धित एक्ट के मातहत ग्रदालती कार्यवाही की जा रही है ।

मैट्रिक से आगे अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†१८६८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य में १९५७-५८ में पिछड़े वर्ग के छात्रों को मैट्रिक से आगे पढ़ने के लिये छात्रवृत्तियां देने पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: पंजाब राज्य के मैट्रिक से आगे पढ़ने के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को भारत सरकार द्वारा १९५७-५८ में देश के अन्दर दी जाने वाली छात्रवृत्तियों पर निम्न प्रकार व्यय किया गया है :—

समुदाय का नाम	किया गया व्यय
	(रुपयों में)
अनुसूचित जातियां	११,०९,५४५.००
अनुसूचित आदिमजातियां	२४,८९४.००
अन्य पिछड़े वर्ग	७३,३६८.००
योग .	१२,०७,८०७.००

पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में कल्याण विस्तार परियोजनायें

†१८६९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा १९५८ में अब तक पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में कितनी कल्याण विस्तार परियोजनायें आवंटित की गई हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : पंजाब—एक भी नहीं।

हिमाचल प्रदेश—एक

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

†१८७०. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५, १९५६, १९५७ और १९५८ की पहली तिमाही में अब तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के कितने मामलों का पता लगाया गया ; और

(ख) क्या पता लगाये गये इन मामलों में से किसी के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) आवश्यक जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३७]**

(ख) जी हां, पता लगाये गये मामलों में से या तो न्यायनिर्णयन संबंधी कार्यवाही अथवा न्यायालयों में मुकदमे चलाये गये थे।

†मूल अंग्रेज़ी में

इंग्लैण्ड में भारतीय इंजीनियर एसोसियेशन

†१८७१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंग्लैण्ड में भारतीय इंजीनियरों और छात्रों ने एक एसोसियेशन बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस एसोसियेशन के प्रमुख कार्य क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) इस एसोसियेशन के प्रमुख कार्य निम्न हैं :—

(१) इंजीनियरिंग तथा उससे संबंधित विषयों के ज्ञान और अभ्यास को बढ़ावा देना, और उन सभी विषयों पर विचार तथा चर्चा करना जिनका प्रभाव भारतीय इंजीनियरों और इंग्लिस्तान के इंजीनियरी के छात्रों पर पड़ता है ;

(२) सदस्यों के बीच आवागमन के साधनों को बढ़ावा देना और भारत में इंजीनियरी की समस्याओं पर विचार-विमर्श करना ;

(३) भारतीयों में इंजीनियरी के ज्ञान की अभिवृद्धि के लिये अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं से सहयोग करना ;

(४) एसोसियेशन के सदस्यों और उनके मित्रों के साथ सामाजिक सम्पर्क स्थापित करने के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करना ;

(५) सदस्यों के लिये उद्योग देखने के शैक्षणिक दौरों का प्रबन्ध करना ;

(६) भारतीय इंजीनियरों और भारतीय इंजीनियरी के छात्रों का भारतीय उद्योग के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करना ;

(७) उसके सदस्यों को उद्योग के व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता देना ;

(८) उसके सदस्यों को इंजीनियरी संबंधी शिक्षा देना ;

(९) एक वार्षिक पुस्तिका प्रकाशित करना जिसमें उसके सदस्यों की सूची तथा उपयुक्त लेख एवं फोटोग्राफ हों ।

भारतीय भूतपूर्व सैनिक सन्था का सम्मेलन

†१८७२. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल में भारतीय भूतपूर्व सैनिक सन्था का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सम्मेलन द्वारा पास किये गये संकल्प की कोई प्रतिलिपि सरकार को प्राप्त हुई है ;

(ग) क्या सरकार ने इस पर कोई विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) भारतीय भूतपूर्व सैनिक सन्था का दूसरा वार्षिक सम्मेलन दिल्ली में २५ और २६ अप्रैल, १९५८ को हुआ था।

(ख) जी हां, १९ जुलाई, १९५८ को।

(ग) और (घ). सम्मेलन द्वारा पास किये गये संकल्पों पर विचार किया जायेगा। चूंकि इन में से कुछ संकल्प ऐसे हैं जिनसे कुछ महत्वपूर्ण मामले उत्पन्न होते हैं और जिनका संबंध भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों से है, अतः अन्तिम निर्णय करने में कुछ समय लगेगा।

तेल के लिये छिद्र करने वालों को प्रशिक्षण

†**१८७३. सरदार इकबाल सिंह,** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल के लिये छिद्र करने वालों के प्रशिक्षण की कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की है ; और

(ग) इस योजना के अधीन अब तक कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). तेल के लिये छिद्र करने वाले भारतीयों के प्रशिक्षण पर आरम्भ से ही तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ध्यान दिया जा रहा है :

(१) मिकेनिकल इंजीनियरी में योग्यता प्राप्त तथा तेल के कुयें खोदने का जिन लोगों को कुछ अनुभव है उन्हें छिद्रण में और आगे प्रशिक्षण देने के लिये सोवियत रूस और फ्रांस भेजा गया है। इनमें से कुछ लोगों को आसाम आयल कम्पनी और स्टैण्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी में छिद्रण वाले स्थानों में प्रशिक्षण मिल चुका है।

(२) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के छिद्रण कर्मचारियों को विशेषज्ञ के साथ काम करना पड़ता है और वे ज्वालामुखी, होशियारपुर और कैम्बे में जहां छिद्रण की जगहें हैं रूसी और रूमानिया के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(३) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ज्वालामुखी में छिद्रण कार्य करने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये एक स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और योजना का ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

२. अभी तक विदेशी विशेषज्ञों से ४ छिद्रणकर्ता, २३ सहायक छिद्रणकर्ता और १२ छिद्रण सहायक इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और कुछ लोग अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन ८ प्रशिक्षार्थियों में से जिन्हें संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा प्रशुल्क करार के अन्तर्गत छिद्रण में एक वर्ष के प्रशिक्षण के लिये सोवियत रूस भेजा गया था, वहां से वापस आने पर उनकी नियुक्ति विभिन्न तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग छिद्रण के स्थान पर कर दी गई है। एक पदाधिकारी फ्रांस में, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, १२ प्रशिक्षणार्थियों को आसाम आयल कम्पनी में दिग्बोई में प्रशिक्षण दिया गया था तथा ६ प्रशिक्षणार्थियों को एस० वी० ओ० सी० के छिद्रण स्थान पर प्रशिक्षण मिला था।

---

†मूल अंग्रेजी में

३. कोलम्बो योजना, संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा प्रशुल्क करार आदि योजनाओं के अधीन विदेशों में जाकर छिद्रण में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कुछ कर्मचारियों के नाम भी प्रस्तावित किये गये हैं।

अनुसूचित जातियां, अनुसूचित आदिमजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्ग

†१८७४. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में अब तक प्रत्येक राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये क्या सहायता दी गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : १९५८-५९ में योजना के राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्रों के लिये विभिन्न राज्यों को अस्थायी रूप से आवंटित अधिकतम केन्द्रीय सहायता बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३८]** नई प्रक्रिया के अधीन इस सहायता का तीन चौथाई भाग उन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा अर्थोपाय अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा जो नौ बराबर किश्तों में होगा जिसका आरम्भ मई से किया जायेगा तथा अन्तिम भुगतान मई १९५९ में प्रथम तीन तिमाहियों में किये गये वास्तविक व्यय एवं अन्तिम तिमाही के प्राक्कलित व्यय के आधार पर किया जायेगा जिसका समायोजन आगामी वर्ष में सम्पूर्ण वर्ष में किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर होगा ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये इंजीनियर

†१८७५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के कितने भारतीय इंजीनियरों को अब तक इंग्लिस्तान प्रशिक्षण के लिये भेजा गया है ; और

(ख) उनका प्रशिक्षण किस प्रकार का होगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) ६८।

(ख) इंजीनियरों को इस्पात के निर्माण कार्यों में संयंत्र प्रशिक्षण विभिन्न विभागों के चलाने और उनकी देखभाल करने दोनों में दिया जाता है।

कच्चा लोहा व इस्पात का आवंटन

†१८७६. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री म० वें० कृष्ण राव : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से अगस्त, १९५८ के दौरान में विभिन्न राज्यों को कितना कितना कच्चा लोहा व इस्पात आवंटित किया गया ; और

(ख) उक्त काल में वास्तव में कितनी मात्रा का संभरण किया गया ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३९]**

---

†मूल अंग्रेजी में

फीरोजपुर और अम्बाला छावनियों का विकास

†१८७७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा फीरोजपुर और अम्बाला छावनियों के बोर्ड को अनुदान के रूप में १९५७-५८ और १९५८-५९ की विकास योजनायें कार्यान्वित करने के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(ख) इन योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४८**]

औद्योगिक वित्त निगम स्थापित करने के लिये राज्यों को ऋण

†१८७८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री १७ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११८५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, १९५१ के अधीन राज्य वित्तीय निगम की पूंजी में राशि देने के लिये किन-किन राज्यों ने केन्द्र से ऋण की मांग की है ; और

(ख) ऐसे राज्यों ने कितनी राशि की मांग की है और सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)**: (क) और (ख). मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४१**] ।

पंजाब में लिगनाइट के निक्षेप

†१८७९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में लिगनाइट मिलने की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या ऐसे स्थानों की ब्यौरेवार छानबीन हो चुकी है जहां लिगनाइट मिलने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस छानबीन का क्या ब्यौरा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) पंजाब में लिगनाइट मिलने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली।

(ख) और (ग). प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते।

शस्त्र अधिनियम

†१८८०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५७ में प्रत्येक राज्य में शस्त्र अधिनियम के अधीन कुल ऐसे कितने मामले दर्ज हुये हैं जिनमें उचित लाइसेंसों के बिना लोगों के पास बंदूकें थीं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस अवधि में ऐसे कितने मामलें हुए हैं जिनमें सरकार ने बंदूकें जब्त कर ली हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जिन राज्यों से अब तक उत्तर प्राप्त हो चुके हैं उनसे संबंधित आवश्यक जानकारी बतलाने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिय परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४२]** अन्य संबंधित राज्यों से जानकारी प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

पंजाब में काम करने वाले भौमिकीविद्[1]

†१८८१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के कितने भौमिकीविद् अथवा उनके दल आजकल पंजाब राज्य में कार्यरत हैं ; और

(ख) उनकी खोज का विषय क्या है ?

†**तेल और खान मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). पंजाब राज्य में सन् १९५७-५८ में भारत के भौमिकी सर्वेक्षण विभाग के जो भौमिकीविद् कार्य कर रहे थे और जो १९५८-५९ में भी काम करते रहेंगे उनकी संख्या ३१ है। १९५८-५९ में खोज के विषय निम्न-लिखित होंगे :—

ऊपरी ब्यास घाटी के सर्वेक्षण के लिये पूर्व-परीक्षण।

भाखरा बांध परियोजना की द्वितीय प्रावस्था के निर्माण के समय ब्यौरेवार भौमिकी-खोज।

यमुना के कछार में बांध के स्थलों की खोज।

यमुना नदी पर कोच्र-बांध स्थल की भौमिकी-खोज।

फीरोजपुर जिले की पूर्वी नहर और ग्रे नहर के आसपास पाताली कुयें लगाने की छानबीन।

फीरोजपुर क्षेत्र में वाटर लागिंग की खोज।

अन्वेषणात्मक छिद्रण के लिये स्थलों का चुनाव।

गुड़गांव, हिसार, अम्बाला, रोहतक, करनाल, जिंद, महेन्द्रगढ़ और होशियारपुर जिलों के अन्वेषणात्मक छिद्रणों की मूलभूत बातों का इकट्ठा किया जाना।

ऊपर बताये गये मदों के उल्लिखित क्षेत्रों के नल-कूप छिद्रणों को बिजली से बंद करना।

प्रयोगात्मक क्षेत्रों में भूकम्पीय[2] भुजायन तथा विद्युतीय प्रतिरोधित्व का अन्वेषण।

प्रयोगात्मक क्षेत्रों के भू-निक्षेपों की बिछाई जाने वाली बजरी के लिये परीक्षण।

१९५७-५८ के खुले मौसम में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के ५ क्षेत्र दलों के १९ भौमिकी-विदों ने पंजाब का भौमिकी नक्शा बनाया था और ५ अतिरिक्त भौमिकीविद् पंजाब की छिद्रण परियोजनाओं की देख-रेख कर रहे हैं। क्षेत्र-दल तेल तथा गैस के अन्वेषण तथा परीक्षात्मक -छिद्रण के भौमिकी कार्य से संबंधित भौमिकी नक्शा बनाने में लगे हुये थे।

शिशुपालगढ़, उड़ीसा में खुदाई

†१८८२. **श्री बोस** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Geologist.

[2]Seismic Refraction.

(क) क्या उड़ीसा के शिशुपालगढ़ में खुदाई के काम पर पुरातत्व विभाग ने पहिले ही काफी बड़ी रकम खर्च कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो खुदाई में कुल कितना रुपया खर्च हुआ है और उसके परिणामस्वरूप क्या खोज हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). शिशुपालगढ़ में खुदाई पर ७९,५८९ रुपये खर्च किये गये थे। खुदाई की ब्यौरेवार रिपोर्ट "एन्सियंट इंडिया" की १९४९ की ५वीं प्रति के पृष्ठ ६२—१०५ में मिल सकती है और वह संसद् के पुस्तकालय में प्राप्य है ।

बीमा एजेंट

†१८८३. { **श्री जाधव :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम में कितने बीमा एजेंटों के नाम दर्ज हैं ;

(ख) उनमें से कितने क्रियाशील हैं; और

(ग) उनकी औसत मासिक आमदनी कितनी है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) ३१ मई १९५८ को २,१५,५२३ बीमा एजेंटों के नाम दर्ज थे ।

(ख) ९०,६७० ।

(ग) बीमा एजेंटों की अल्पतम मासिक औसत आमदनी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु १९५७ में एजेंटों ने औसतन् लगभग २४० रुपये कमीशन में लिये थे ।

रुद्र-महालय के पास महादेव मन्दिर

†१८८४. **श्री आसर** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चार वर्ष पहिले सिद्धपुर के रुद्र-महालय के रक्षित स्मारक के संबंध में जिला माहेसाना (गुजरात) के सिद्धपुर को जानेवाली जनता और यात्रियों ने एक अभ्यावेदन भेजा था ;

(ख) क्या यह सच है कि उनकी मांग के बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उस बारे में कब तक निर्णय हो जायेगा ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) : जी, हां ।

(ख) जी , नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कानपुर की हारनेस एण्ड सेडलरी फैक्टरी के श्रमिकों के लिये मकान

†१८८५. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर की हारनेस एण्ड सेडलरी फैक्टरी के मजदूरों के लिये बनाये गये मकान निश्चित आकार-प्रकार के नहीं हैं ;

(ख) क्या १९५८ की पहिली बारिश के बाद ही वे चूने लगे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कोई जांच की जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

भारत सेवक समाज

†१८८६. **श्री कुमारन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में नवयुवक शिविर चलाने के लिये सरकार ने भारत सेवक समाज को कितनी राशि दी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : ११,९७,१३५ रुपये ३६ नये पैसे। पिछले साल के खर्च न किये गये अनुदानों को अनुमानित ५.४८ लाख की राशि को भी इसी प्रयोजन के लिये खर्च करने की अनुमति समाज को दे दी गई है ।

छात्रों में अनुशासन

१८८७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों में अनुशासन, नैतिकता एवं ज्ञान की पिपासा उत्पन्न करने के लिये कोई उपयुक्त योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) सरकार ऐसी कोई विशिष्ट योजना नहीं बना रही है । तथापि शिक्षा मंत्रालय इस विषय में राज्य सरकारों को समय समय पर सुझाव देता रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों को प्रतिनिधि मंडल

†१८८८. { **श्री दलजीत सिंह** :
श्री जाधव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक १९५८–५९ विभिन्न मंत्रालयों के तत्वावधान में कितने शासकीय प्रतिनिधि-मंडल विदेशों को गये हैं ।

(ख) इन प्रतिनिधि मंडलों के जाने का उद्देश्य क्या था ;

(ग) वे किन देशों को गये थे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) प्रत्येक पर कितना रुपया खर्च हुआ है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)**: (क) से (घ). १-४-५८ से ३१-८-५८ तक कुछ मंत्रालयों/विभागों से संबंधित जानकारी बताने वाला एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४३]** । शेष मंत्रालयों/विभागों से संबंधित जानकारी मांगी गई है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विश्व युवक सभा[1] का सम्मेलन

†**१८८९. श्री अ० क० गोपालन :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विश्व युवक सभा का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक देश से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ; और

(ग) भारत के कितने प्रतिनिधि थे और वे किन संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). विश्व युवक सभा एक गैर-सरकारी संगठन है और यह जानकारी भारत सरकार को सरलता से नहीं मिल सकी ।

तृतीय पंच वर्षीय योजना में प्रारम्भिक शिक्षा

†**१८९०. श्री हेम बरूआ :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना में केवल प्रारंभिक शिक्षा के लिये सरकार ३०० करोड़ रुपये अलग से रखने का प्रस्ताव कर रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक सरकार का यह प्रयत्न होगा कि वह ६--११ वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिये समस्त देश में मुफ्त तथा अनिवार्य प्राथमिक शक्षा की व्यवस्था कर दे । परन्तु उस के लिये कितनी रकम रखे जाने की संभावना है ; उसके बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा मुकदमेबाजी

†**१८९१. सरदार इकबाल सिंह :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८ और अब तक १९५८-५९ में मुकदमेबाजी के कितने मामलों में केन्द्रीय सरकार को एक पक्ष बनाया गया था ;

(ख) ऐसे मुकदमों के बचाव अथवा उन्हें दायर करने में कितना खर्च हुआ है ; और

(ग) दावों की कुल कितनी रकम है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है । मैं उसे विभिन्न मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों से मंगा रहा हूं परन्तु उसे प्राप्त करने में समय लगेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] World Assembly of Youth.

चंडीगढ़ में छावनी

†१८९२. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ में छावनी बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये कोई योजना बनाई गई है ;

(ग) उस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस में कितनी प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन्)** :(क) से (घ). चंडीगढ़ में छावनी बनाने का फिलहाल कोई पक्का विचार नहीं है। जहां मकान उपलब्ध हैं, वहां एककों को रखने के प्रस्ताव पर विचार हो चुका है। चंडीगढ़ समेत ऐसे स्थानों पर सेना रखने के प्रस्ताव पर विचार होना है जहां बने बनाये मकान नहीं हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कोयला संसाधनों का उपयोग[1]

†**१८९३. सरदार इकबाल सिंह :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में देश के कोयला संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये अतिरिक्त कोयला उत्पादन का लक्ष्य सालाना २२० लाख टन रखा गया था। उसमें से १०० लाख टन गैर-सरकारी क्षेत्र को और १२० लाख टन सरकारी क्षेत्र को आवंटित किये गये थे।

(२) गैर-सरकारी क्षेत्र को कोयला खानों के लिये आवश्यक मशीनों का आयात करने के लिये सभी संभव सुविधायें दी गई हैं। लोहा, इस्पात और अन्य कच्चे माल का उपयुक्त कोटा भी उन्हें दिया गया है। इस क्षेत्र द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में संतोषप्रद प्रगति की गई है।

(३) सरकारी क्षेत्र में सिंगरेनी कोयला क्षेत्र में सालाना १५ लाख टन का उत्पादन अलग से बढ़ाने के सिवाय, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को मुख्यतः नये कोयला क्षेत्रों से सालाना १०५ लाख टन का उत्पादन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

(४) इस लक्ष्य की सिद्धि के लिये अपेक्षित विभिन्न प्रावस्थाओं में निम्नलिखित बातें आती हैं :—

भू-अर्जन तथा खनि-अधिकारों को प्राप्त करना, छिद्रण के लिये प्राप्त जानकारी इकट्ठी करना, खानों की रूप रेखा बनाना, विदेशों से आवश्यक मशीनें मंगाना, अपेक्षित प्रविधिक कर्मचारियों का प्रशिक्षण और नयी रेलवे लाइनों की रूप रेखा तैयार करने और उनका निर्माण करने के लिये अतिरिक्त साइडिंगें और पुल बनाना हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]**Exploitation of Coal Resources.**

इन मदों के सम्बन्ध में संक्षेपतः निम्नलिखित प्रगति हुई है :--

(१) भू तथा खनि अधिकार

कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ के अधीन कठारा, गिडी और सौंडा के नये कोयला क्षेत्रों के लिये आवश्यक भूमि और खनि अधिकारों का अर्जन कर लिया गया है । शेष क्षेत्रों के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(२) छिद्रण तथा खोज

कुछ क्षेत्रों में छिद्रण तथा कोयले की खोज का काम पूरा हो गया है और शेष क्षेत्रों में यह काम भारत के भौमिकी सर्वेक्षण विभाग, भारतीय खनि विभाग, तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा किया जा रहा है ।

(३) संयंत्र और मशीनें

७ करोड़ रुपयों की कीमत वाले संयन्त्रों और मशीनों का आर्डर भेजा जा चुका है । उसका अधिकांश भाग आ चुका है और नये कोयला क्षेत्रों में काम में लाया जा रहा है । एक्ज़िम बैंक क्रेडिट के आवंटन के अन्तर्गत बाकी की जरूरतों को पूरा करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

(४) रेलवे लाइनें

सरकार ने मध्य भारत के कोयला क्षेत्रों में ५० मील लम्बी बिजुरी--कारोन जी लाइन बनाने, हसदो नदी पर पुल बनाने समेत चम्पा-कोरबा लाइन के विस्तार करने और दामोदर नदी पर पुल बनाने समेत पत्रुत--दामोदर लाइन का विकास करने की मंजूरी दे दी है । बिजुरी--कारोन जी लाइन पर कोरिया के कोयला क्षेत्र को प्रस्तावित चिरमिरी रोड स्टेशन से जोड़ने वाली १० मील लम्बी रेलवे लाइन बनाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

(५) प्रशिक्षण

कनिष्ठ प्रविधिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये ४ प्रशिक्षण खोले जा चुके हैं । खनि--इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिये धनबाद स्कूल आफ माइन्स तथा देश के अन्य इंजीनियरिंग कालेजों में व्यवस्था कर दी गई है । विदेशी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सुविधाओं से भी फायदा उठाया जा रहा है ।

कठारा जैसी खानों तथा गिडी, सौंडा और बाचरों के कुछ हिस्सों में जहां खानों को ओपिन-कट तरीके से बनाने का प्रस्ताव है, वहां ऊपरी मिट्टी आदि मशीनों की सहायता से हटायी जा रही है । खदानों में जमीन के भीतर प्रवणकों[1] की खुदाई संतोषप्रद रूप से चल रही है । लक्ष्य पूर्ति के लिये अन्य गौण कार्यों से संबंधित कार्यवाही को पूरा करने के लिये जी तोड़ प्रयत्न किया जा रहा है ।

राज्यों को कोयला संभरण

†१८९४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६, १९५७-५८ और अब तक १९५८-५९ में प्रत्येक राज्य को कितना कोयला बांट में निर्धारित किया गया था और कितना दिया जा चुका है ?

†मूल अंग्रेजी में

[1]Inclines.

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४४]**

नौसेना शस्त्र सम्भार डिपो, अलवाय

†**१८९५. श्री कोडियान** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौसेना हथियार डिपो, अलवई की सीमा के किसी भी बिन्दु से लगभग ४,४४५ फुट के घेरे के भीतर आने वाले क्षेत्र के खतरापूर्ण घोषित किये जाने की संभावना है ।

(ख) क्या इस बात को अधिसूचित कर दिया गया है कि उपर्युक्त क्षेत्र स्थायी असैनिक निर्माण कार्यों जैसे मकानों, दुकानों, कारखानों आदि के लिये सुरक्षित नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र के भू-स्वामियों को हर्जाना देने के लिये कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां ।

(ख) केरल सरकार ने, जिस से इस निहित खतरे के बारे में जनता को सूचित करने के लिये कहा गया था, उस के बारे में एक अधिसूचना राजपत्र में निकाल दी है ।

(ग) हर्जाना देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

राजस्थान में तांबा

†**१८९६. श्री सूपकार** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) राजस्थान के खेतरी के तांबा खानों से सालाना कितना तांबा निकलता है ; और

(ख) ये निक्षेप देश की तांबों की जरूरतों को कहां तक पूरा करेंगे ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). राजस्थान के खेतरी की तांबा खानों का भारतीय खनि विभाग द्वारा व्यौरेवार समन्वेषण किया जा रहा है । वर्तमान प्रावस्था में यह कहना असंभव है कि इस क्षेत्र से कुल कितना तांबा निकलेगा ।

समितियां और आयोग

†**१८९७. श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी से ३१ जुलाई १९५८ तक गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन कितनी समितियां और आयोग कार्य कर रहे थे और उनके क्या नाम हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : वे इस प्रकार हैं :—

१. स्थायी आग सलाहकार समिति ।

२. भारत में खोले जाने वाले अग्नि गवेषणा केन्द्रों की स्थापना के लिये तदर्थ समिति ।

३. जेल पुस्तिका समिति ।

४. दिल्ली सलाहकार समिति ।

---

†मूल अंग्रेजी में

५. हिमाचल प्रदेश सलाहकार समिति ।

६. मनीपुर सलाहकार समिति ।

७. त्रिपुरा सलाहकार समिति ।

८. नियम पुर्नविलोकन समिति ।

९. मान-ऋम-पत्र समिति ।

आदिम जाति का कल्याण

†१८६८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ और अब तक १९५८-५९ में आदिम जाति कल्याण के लिये केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये पंजाब सरकार को कुल कितनी रकम दी गई है; और

(ख) किन योजनाओं के लिये यह रकम दी गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : अनुसूचित जातियों के कल्याण तथा अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिये केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं को पूरा करने के लिये पंजाब सरकार को १·२४५ लाख रुपये दिये गये थे । चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजन के लिये १०·५५ लाख रुपयों की अधिकतम राशि परीक्षा के बतौर रखी गयी है । पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा सहायता अनुदान "अर्थोपाय अग्रिम" शीर्ष के अंतर्गत हर महीने दी जाती है और अंत में वास्तविक खर्च के आधार पर उसका हिसाब लगाया जायेगा ।

(ख) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४५]** ।

पंजाब को सहायता

†१८९९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में पंजाब सरकार को अराजपत्रित अधिकारियों तथा कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिये सहायता की कितनी राशि दी गई है;

(ख) इस में राज्य के अंशदान का क्या अनुपात है; और

(ग) क्या इसे पूर्णतः दिया गया है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)**: (क) पंजाब राज्य के कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों, स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों, और गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन-भत्ते आदि बढ़ाने में पंजाब सरकार को जो खर्च होगा उसके दो तिहाई भाग की राशि अर्थात् १३,३८,००० रुपये (तेरह लाख अड़तीस हजार रुपये) १९५७-५८ में वित्त मंत्रालय द्वारा पंजाब सरकार को अनुदान के रूप में मंजूर कर दिये गये हैं । यह अनुदान उस वार्षिक रकम के आधार पर समायोजित किये जाने के अधीन होगा जिसके लिये पंजाब का हक है ।

(ख) वेतन बढ़ाने के कुल खर्च का दो तिहाई भाग ।

(ग) पहिले राज्य सरकार को वेतन तथा भत्ते बढ़ाने का सारा खर्च स्वयं भुगतना पड़ेगा । इसके पश्चात् भारत सरकार खर्च के अपने हिस्से को उन शर्तों के पूरा किये जाने पर देती है जो केन्द्रीय सरकार के लिये विहित है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुमिडीपिंडी का भारतीय वायु सेना केंद्र

†१९००. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष जुलाई के पहिले सप्ताह में मद्रास के पास गुमिडीपिंडी के सत्यवेदु जंगल में भारतीय वायु सेना द्वारा ४००० पौण्ड के कुछ बम नष्ट किये गये थे;

(ख) उनकी कीमत क्या है; और

(ग) किन कारणों से उन्हें नष्ट करने का निर्णय किया गया था ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). बम बेकार हो गये थे । अतएव कीमत का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत प्रशासन सेवा (विशेष भर्ती)

†१९०१. **श्री वें० च० मलिक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २४ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के राज्य वार ऐसे कितने उम्मीदवार हैं जो भारतीय प्रशासन सेवा (विशेष भर्ती) के लिये सफल घोषित कर दिये गये हैं; और

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों से चुने गये अब तक कितने उम्मीदवारों को ले लिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क)

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
आन्ध्र प्रदेश	१	१
आसाम	कोई नहीं	कोई नहीं
बम्बई	१	कोई नहीं
मद्रास	१	कोई नहीं
पंजाब	१	कोई नहीं
उत्तर प्रदेश	१	कोई नहीं
पश्चिम बंगाल	१	कोई नहीं

(ख) नियुक्ति के लिये चुने गये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति का प्रस्ताव भेज दिया गया है ।

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १९५५

†१९०२. **श्री झूलन सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसवों तथा अरिष्ठों के बनाने और बेचने से सम्बन्धित औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १९५५ तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के लागू किये जाने के कारण आयुर्वदिक

---

†मूल अंग्रेजी में

संगठनों को जो कठिनाइयां हो रही हैं और जो बाधायें आ रही हैं क्या उनके सम्बन्ध में इन संगठनों ने भारत सरकार से कोई अभ्यावेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का प्रस्ताव है ?

†**राजस्व तथा असैनिक-व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) :** (क) जी हां, सरकार को कुछ आयुर्वेदिक संगठनों का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) अभ्यावेदन की मुख्य बातें निम्नलिखित मदों से सम्बन्धित हैं :—

(१) आयुर्वेदिक औषधियों पर शुल्क की छूट; (२) नियमों में निर्धारित लेखा-फार्मों को सरल बनाना; और (३) आयुर्वेदिक औषधियों की बिक्री में कुछ राज्यों में होने वाली कठिनाइयां। इस मामले में नीचे लिखी कार्यवाही की गई है :—

(१) फिलहाल केवल दो आयुर्वेदिक दवाइयों नामत: द्राक्षासव और द्राक्षारिष्ठ पर शुल्क लगाया गया है क्योंकि इनके बारे में यह समझा जाता है कि उनका उपयोग साधारण मद्य-पेयों के समान हो सकता है। संगठनों को यह सूचित किया गया है कि यदि वे सोचते हैं कि ये दोनों दवाइयां साधारण मद्य-पेयों के समान काम में नहीं लाई जा सकतीं, वे जांच के लिये इस नियम के अधीन बनाई गई स्थायी समिति के पास उनके नमूने भेजें।

(२) लेखा-फार्मों को सरल बनाने का प्रश्न राज्य सरकारों को बता दिया गया है जो इस अधिनियम के अधीन शुल्क वसूली करती हैं और जिनको इससे राजस्व मिलता है तथा उनके जवाब आ जाने पर शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(३) इन संगठनों को यह सूचित कर दिया गया है कि इन दवाइयों की बिक्री का नियंत्रण इस अधिनियम के बाहर है और उन्हें इस मामले में संबंधित राज्य सरकार से लिखा-पढ़ी करनी चाहिये।

हिमाचल प्रदेश में व्यापारियों को ऋण

१९०३. श्री पद्म देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीनी (जिला महासू) हिमाचल प्रदेश के व्यापारियों से तिब्बत के साथ व्यापार करने के लिये ऋण के हेतु कोई प्रार्थना-पत्र मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :(क) जी हां; चीनी ट्रेडर्स एसोसियेशन (हिमाचल प्रदेश) की ओर से सरकार को एक आवेदन-पत्र मिला है जिसमें उन्होंने व्यापार के लिये कर्ज मांगा है।

(ख) इस पर विचार किया जा रहा है।

पंजाब की अनुसूचित जातियां, अनुसूचित आदिम जातियां तथा अन्य पिछड़े हुए वर्ग

†**१९०५. श्री दलजीत सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक १९५८-५९ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये पंजाब राज्य को बांट में दी गई राशि में से कितनी राशि खर्च हो चुकी है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जिन योजनाओं पर रुपया खर्च हुआ है, वे किस प्रकार की हैं?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). जून १९५८ को समाप्त होने वाली तिमाही के खर्च का विवरण अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ। १९५८-५९ में इन जातियों के कल्याण के लिये बांट में दी गई राशि और कार्यान्वित की जाने के लिये प्रस्तावित योजनाओं के स्वरूप को बतलाने वाला एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४६]**

हिमाचल प्रदेश में विज्ञान मन्दिर

†१९०६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के किन स्थानों में सन् १९५८-५९ में विज्ञान मंदिर स्थापित किये जायेंगे ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : फिलहाल १९५८-५९ में हिमाचल प्रदेश में विज्ञान मंदिर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हिमाचल प्रदेश के सुन्दरनगर (जिला मंडी) में एक विज्ञान मंदिर पहिले ही खोला जा चुका है।

शराब बन्दी

†१९०७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से शराब बन्दी के लिये वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इस कार्य के लिये कितनी राशि देने का इरादा रखती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सैनिक शिविरों में मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम

†१९०८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सैनिक केन्द्रों में रोगों के प्रत्याक्रमण निवारक उपाय किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सैनिक केन्द्रों के क्या नाम हैं; और

(ग) रोगों के प्रत्याक्रमण निवारक उपचार के लिये मलेरिया की औषधियां वितरण करने का ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी नहीं; भारत में मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम का स्थान अब मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ने लिया है; और उत्तरवर्तीय योजना के अन्तर्गत रोगों के प्रत्याक्रमण निवारक उपचार सम्बन्धी कोई उपबन्ध नहीं है।

(ख) और (ग). उपरोक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए (ख) और (ग) भागों के उत्तर उत्पन्न नहीं होते।

†मूल अंग्रेजी में

भू-अभिलेख विभाग हिमाचल प्रदेश

†१९०९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के भू-अभिलेख विभाग में सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें स्थानीय कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) उनमें अनुसूचित जातियों के लोग कितने हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). इस राज्य-क्षेत्र के भू-अभिलेख विभाग में कर्मचारियों की संख्या लगभग ६७० बतायी जाती है, जिसमें से ५० को छोड़ बाकी सभी स्थानीय हैं ।

(ग) २१

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त

†१९१०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के कार्यालय पर १९५७-५८ में कुल कितना संस्थापन व्यय हुआ है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: १९५७-५८ में आयुक्त के सदर मुकाम स्थित कार्यालय पर २·९७ लाख रुपये और क्षेत्रीय कार्यालयों पर २·९० लाख रुपये व्यय हुए ।

पंजाब आदिम जाति क्षेत्र

†१९११. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के आदिम जाति क्षेत्रों के लिये १९५८-५९ में कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई; और

(ख) यह राशि किन योजनाओं पर व्यय की जायेगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : पंजाब के अनुसूचित क्षेत्रों के विकास तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये राज्य सरकारों के क्षेत्र में २·९६ और केन्द्रीय क्षेत्र में १०·५५ लाख रुपये की अधिक से अधिक सहायता देने का निश्चय किया गया है ।

(ख) योजनाओं के नामों के दो विवरण राज्यों और केन्द्र के क्षेत्रों के अलग अलग रूप में सभा पटल पर रख दिये गये हैं । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४७**]

गुप्तवार्ता विभाग

†१९१२. **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :**
श्री द० आ० कट्टी :
श्री माने :
श्री नाना पाटिल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ और १९५८ में अब तक गुप्तवार्ता विभाग में उपनिरीक्षकों (सब-इंस्पेक्टर्स) के कितने पदों के लिए विज्ञापन दिया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन में से कितने अनुसूचित जातियों और कितने अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रक्षित थे ;

(ग) इन स्थानों के लिए कितने अनुसूचित जातियों और कितने अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को इन्टरव्यू के लिए बुलाथा गया ; और

(घ) कितनों का चुनाव किया गया और कितनों की नियुक्ति हुई ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) गृह-कार्य मंत्रालय ने इस काल में उप-निरीक्षकों के लिए पांच विज्ञापन दिये, उन में खाली स्थानों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं था।

(ख) क्योंकि विज्ञापन में पदों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं था, इस लिए रक्षित संख्या निर्धारित नहीं थी। यह कहा गया था कि अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित आदिम जातियों के अच्छे उम्मीदवार हुये तो उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

(ग) १०७ अनुसूचित जातियों और १८ अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार बातचीत के लिये बुलाये गये थे।

(घ) एक की नियुक्ति हो गयी है और दो और चुन लिये गये हैं, जिनकी नियुक्ति अभी की जानी चाहिए। पांचवें विज्ञापन के परिणाम स्वरूप अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ और उसे कोई अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

सरकारी कर्मचारी और राजनीति

†१९१३. { **श्री यादव** :
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६, १९५७ और १९५८ में अब तक कितने केन्द्रीय सरकार क कर्मचारियों के विरुद्ध यह शिकायतें प्राप्त हुई कि वे सक्रिय राजनीति में भाग लेते हैं ; और

(ख) ऐसे कितने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं जिनको चेतावनी दी गयी अथवा जिनके विरुद्ध, राजनीतिक आधार पर, कार्यवाही की गयी।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

फ्रांस में भारतीय वायु सेना के कर्मचारी

†**१९१५. श्री दिनेश सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फ्रांस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय वायु सेना के कर्मचारियों की पदानुसार कितनी संख्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : कोई नहीं।

आगरे के किले की मोती मस्जिद

†**१९१६. श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही वर्षा से आगरे के किले की मोती मसजिद को बहुत भारी हानि पहुंची है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जंग लगने से लोहा टूट गया और मोती मस्जिद के दक्षिण की ओर के बुर्ज का पत्थर गिर गया जिस से कुछ हानि हुई ।

(ख) एक मंच सा खड़ा कर दिया गया है और मरम्मत हो रही है । मस्जिद की विशेष मरम्मत के लिए २,५०० रुपये की व्यवस्था कर दी गयी है ।

पुस्तकों के आयात पर रोक

†१९१७. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या गृह-कार्य मंत्री सभा पटल पर यह विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत १९५६-५७ और १९५८ के अगस्त तक जिन पुस्तकों का आयात भारत में वर्जित है उन के नाम, उन के लेखकों के नाम और जिन देशों में वे प्रकाशित हुई हैं उन के नाम क्या हैं ;

(ख) भाग (क) में उल्लिखित प्रकाशनों के आयात पर रोक लगाने के क्या कारण हैं, और इस प्रकार के निर्णयों की सामान्य प्रक्रिया क्या है ; और

(ग) भाग (क) में उल्लिखित समय में और भाग (क) में उल्लिखित प्रकाशनों में से प्रत्येक की कितनी कितनी प्रतियां सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने अवरुद्ध कीं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) (१) ओबरे मेनन द्वारा लिखित रामायण जो कि अमेरिका से प्रकाशित है;

(२) अजीज बेग द्वारा लिखित 'कैदी काश्मीर' (कैप्टिव काश्मीर) जो कि पाकिस्तान से प्रकाशित हुई है ।

(ख) पुस्तकों का आयात जन हित में ही बन्द किया गया था । इसकी प्रक्रिया यही है कि समुद्र-सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८, की धारा १९ के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित कर दी जाती है कि भारत में अमुक वस्तुओं के आयात की मनाही है ।

(ग) कोई नहीं ।

गृह-कार्य मन्त्रालय

†१९१८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गृह-कार्य मंत्रालय में कितने एसिस्टेंट और कितने क्लर्क कार्य कर रहे हैं; और

(ख) इन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की संख्या क्या है?

† मूल अंग्रेज़ी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** :

अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :

पद का नाम	काम पर लगाये गये लोगों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति लोगों की संख्या	अनुसूचित आदिम-जाति लोगों की संख्या
एसिस्टेंट . . .	३१९	१३	—
क्लर्क . . .	६८४	८८	१३

स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : मैं ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने उसे अस्वीकार कर दिया है।

†**श्री वाजपेयी** : क्या आप इस प्रस्ताव को ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव के रूप में रखने की अनुमति देंगे।

† **अध्यक्ष महोदय** : अभी कल ही विभिन्न दलों के नेताओं के सम्मुख मैं ने यह सुझाव दिया था कि यदि मैं स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई ऐसा आदेश दूं जिस से सदस्य संतुष्ट न हों, तो वे मुझ से मेरे कमरे में परामर्श कर सकते हैं। मैं उस पर पुनः विचार कर, यदि उचित होगा तो अपना निर्णय बदल सकता हूं और वह स्थगन प्रस्ताव अगले दिन सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिये मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आप मेरे निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो मुझ से मेरे कमरे में आकर मिल लें। यदि मैं उसे महत्वपूर्ण समझूंगा तो वह कल सभा में रखा जा सकता है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे सभा में इस प्रकार के मामले न उठायें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : मैं संविधान के अनुच्छेद ३२० (५) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम, १९५८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०-९०५/५८]

दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

† **श्री दातार** : मैं दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४७९ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) दिल्ली गजट अधिसूचना संख्या ४०/५/५८ (एक) दिल्ली दिनांक २२ अगस्त, १९५८ में प्रकाशित दिल्ली नगर निगम (पानी देने की अंतिम दर का निर्धारण) नियम, १९५८।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०-९०९/५८]

† मूल अंग्रेजी में

(२) दिल्ली गजट अधिसूचना संख्या ४०/५/५८ (दो) दिल्ली दिनांक २२ अगस्त, १९५८ में प्रकाशित दिल्ली नगर निगम (मल हटाने के खर्च का निर्धारण) नियम १९५८ ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०-९१०/५८]

केन्द्रीय उत्पादन नियमों में संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३० अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० ९०७/५८]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि केन्द्रीय बिक्री कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९५८ के बारे में, जिसे लोक सभा ने २८ अगस्त, १९५८ को अपनी बैठक में पारित किया था, राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

मुझे सभा को यह भी बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह संदेश भी मिला है कि लोक सभा द्वारा २६ अगस्त, १९५८ को पारित चीनी निर्यात संवर्द्धन विधेयक, १९५८ को राज्य सभा ने अपनी ८ सितम्बर, १९५८ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

याचिका का उपस्थापन

दोषयुक्त कृति (टॉर्ट) में राज्य का दायित्व

† **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा)**: मैं टॉर्ट (दोषयुक्त कृति) में राज्य के दायित्व के बारे में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षर की हुई एक याचिका पेश करता हूं ।

पठानकोट में गोला बारूद की पेटियों में विस्फोट के बारे में वक्तव्य

† **प्रतिरक्षा मंत्री के सभासचिव (श्री फतेह सिंहराव गायकवाड़)** : २४ फरवरी, १९५८ को पठानकोट में हुए विस्फोटों के सम्बन्ध में २५ और २७ फरवरी, १९५८ को प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा जो वक्तव्य दिया गया था, उस के सिलसिले में आगे सूचना देते हुए मुझे यह निवेदन करना है कि उक्त विस्फोट की जांच करने के लिये नियुक्त जांच न्यायालय ने अपना काम समाप्त कर लिया है ।

† **अध्यक्ष महोदय** : यदि यह लम्बा है तो इसे सभा पटल पर रख दिया जाय ।

† मूल अंग्रेज़ी में

वक्तव्य का शेषांश जो पटल पर रख दिया गया

न्यायालय के प्रतिवेदन के अनुसार, विस्फोट से आहत नागरिकों की संख्या ३७ थी जिन में से ३४ मर गये। ११ शव प्राप्त हुए और पहिचान लिये गये। शेष २३ व्यक्तियों का पता नहीं चला, अनुमान है कि वे भी मर गये होंगे। १६ सैनिक कर्मचारी आहत हुए जिन में ८ मर गये। ५ शव प्राप्त हुए और पहिचान लिये गये। ३ व्यक्ति लापता थे जिन्हें मरा हुआ समझ लिया गया। जांच न्यायालय के अनुमान के अनुसार रेलवे सम्पत्ति को १,२५,३०० रुपये की हानि हुई। प्रतिरक्षा सम्बन्धी सम्पत्ति तथा सामग्री के हुए नुकसान का अभी हिसाब नहीं लगाया गया है। अनुमान है कि यह ११ लाख रुपये के करीब होगा।

विस्फोटकों को उतारने का काम अनुभवी व प्रशिक्षित कर्मचारियों की देख-रेख में किया जा रहा था और उनकी ओर से असावधानी होने का कोई प्रमाण नहीं है। मालगाड़ी के डिब्बे पठान-कोट में सुरक्षित पहुंचे और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह विस्फोट ध्वन्सात्मक कार्यवाही द्वारा हुआ था। माल उतारने वाले असैनिक व्यक्ति भी पठानकोट स्टेशन के युद्धास्थ सामग्री केन्द्र के नियमित कर्मचारी थे। माल डिब्बों में जो विस्फोटक पदार्थ थे उनकी, लादते समय, नियमों के अनुसार जांच की जा चुकी थी। बहुत से महत्वपूर्ण साक्षियों के तत्काल मर जाने के कारण दुर्घटना के वास्तविक कारण के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से कुछ निश्चय करना संभव नहीं था। सुरक्षा सम्बन्धी सभी सावधानियां बरती गई थीं, इस कारण दुर्घटना का किसी की असावधानी के कारण होना संभव प्रतीत नहीं होता। इस पर भी सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को कठोर अनुदेश दे दिया गया है कि गोला बारूद अथवा विस्फोटकों को उतारने व चढ़ाने में तत्सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय।

असैनिक व्यक्तियों में से, जो मजदूर थे, और जिन्हें प्रतिरक्षा सेवाओं की राशि से ही वेतन दिया जाता था, ३४ मारे गये, ३ घायल हुए, जिन में से २ को हलकी चोटें आई। प्रत्येक मृतक के परिवार को २०० रुपये प्रति परिवार के हिसाब से और एक घायल व्यक्ति को १०० रुपये की तत्काल सहायता अग्रिम प्रतिकर के रूप में श्रमिक प्रतिकर अधिनियम १९२३ के अधीन प्रतिकर मिलने के पूर्व दी गई। उक्त अधिनियम के अधीन प्रतिकर की राशि का ७२,६०० रुपये का एक बिल तत्सम्बन्धी पत्रों के साथ लेखा परीक्षा अधिकारियों के पास भेज दिया गया है। आशा है कि यह रुपया जल्दी ही दे दिया जायेगा।

दुर्घटना में मरे हुए सैनिक कर्मचारियों की मृत्यु को सैनिक सेवा करते हुए मृत्यु हुई मान लिया गया है। उन के पारिवारिक पेंशनों के दावे, सामान्य प्रक्रिया के अधीन नागरिक प्राधिकारियों के परीक्षाधीन हैं। तथापि संबंधित व्यक्तियों को मुसीबत से बचाने के लिये, मृतक द्वारा नाम निर्देशित या उस के परिवार के सब से बड़े सदस्य को जांच होने तक कुछ आर्थिक सहायता, जो पारिवारिक पेंशन के बराबर है, दे दी गई है। यह सहायता ७ मामलों में दे दी गई है। आठवां मामला विवादग्रस्त है क्योंकि उस के दो दावे दार हैं। इस मामले पर प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जा रहा है।

८ सैनिक कर्मचारी जो दुर्घटना में घायल हो गये थे उनका सैनिक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। चिकित्सा अधिकारियों का यह कथन है कि शायद उन में से एक व्यक्ति को नौकरी से हटाना अनिवार्य होगा। उसके अपाहिज होने पर, चिकित्सकों की रिपोर्ट पर उस को निर्योग्यता पेंशन देने पर विचार किया जायेगा।

कार्य मंत्रणा समिति

उनतीसवां प्रतिवेदन

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन से, जो १० सितम्बर, १९५८ को सभा में उपस्थित किया गया था, सहमत है"

† **अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि दो महत्वपूर्ण विषययों, को एक कलकत्ता बन्दरगाह के सम्बन्ध में और दूसरा गंगा में बांध बनाने की परियोजना के संबंध में सिंचाई और विद्युत् मंत्री के वक्तव्य को, एक साथ रख दिया गया है। और इस के लिये केवल २ घंटे का समय दिया गया है। यह समय बहुत कम है, मैं चाहती हूं कि इसे बढ़ा कर २ 1/2 घंटा कर दिया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : समय आधा घंटा बढ़ा दिया जायेगा। प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन से, जो १० सितम्बर, १९५८ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक

† **अध्यक्ष महोदय** : सभा अब दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी। श्री प्र० सिं० दौलता अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

†**श्री प्र० सिं० दौलता** (झज्जर) : मैं कल आपको बता रहा था कि केवल किराये दार विधि में संशोधन चाहते थे। सरकार ने यह दावा किया है कि विधेयक किरायेदारों और मकान मालिक दोनों के लाभ के लिये है लेकिन यदि विधेयक का गौर से अध्ययन किया जाय तो यह ज्ञात होगा कि यह विधेयक मकान मालिकों के लाभ के लिये बनाया गया है।

कारण यह है कि सरकार ने इस विधेयक के द्वारा दिवानी अदालत की कार्यवाही को संक्षिप्त कर दिया है। व्यवहार न्याय संहिता में प्रतिवादी को और अपराधी न्याय संहिता में अपराधी को बहुत से अधिकार मिले रहते हैं। लेकिन हाल से सरकार का यह रवैया रहा है कि उन सब अधिकारों का अपहरण कर लिया जाय और इस प्रकार मुकदमा चलाने वालों की सहायता की जाय। किराये के सम्बन्ध में जितने मुकदमे होते हैं उन में लगभग ९८% मकान मालिकों द्वारा चलाये जाते हैं। अतः इस विधेयक का पहिला लाभ उन्हें मिलेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि नियंत्रकों को खुली छूट न दी जाय और वे सलाहकारी समितियों की सलाह पर कार्य करें।

सरकार ने इस विधेयक का दूसरा उद्देश्य यह रखा है कि किरायेदारों से उचित किराया लिया जाय और मकानों के निर्माण के लिये पूंजी लगाने में भी प्रोत्साहन मिले। वस्तुतः यह एक असंभव उद्देश्य है। किराये दार के लिये उचित किराये का तात्पर्य यह होगा कि वह अपनी क्षमता

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० सिं० दौलता]

के अनुसार किराया दे। लेकिन उसकी किराया देने की क्षमता, दिन प्रति दिन बढ़ते हुये मूल्यों के कारण कम हो रही है लेकिन मकानों में लगने वाले सामान का मूल्य प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है अतः दोनों को खुश रखना मुश्किल है।

नियमोचित किराये के लिये मकानों को तीन वर्गों में बांटा गया है। पहिले वर्ग में वे मकान आते हैं जो २ जून १९४४ के पहिले ही किराये पर दिये जा चुके हैं। इन मकानों के सम्बन्ध में नियमोचित किराया वह निश्चित किया गया है जो आधारभूत किराये में १० प्रतिशत वृद्धि करने के बाद होगा। वस्तुतः इन मकानों के मालिक पहिले ही अपने मकान की कीमत से कई गुना किराया वसूल कर चुके हैं, इसलिये इन मकानों के किरायों में वृद्धि नहीं होनी चाहिये।

दूसरे वर्ग में वे मकान आते हैं जो १९४४ से १९५१ के बीच में बने हैं या किराये पर दिये गये हैं। इन मकानों में भी १० प्रतिशत वृद्धि करने का उपबन्ध किया गया है।

१९५१ के बाद के बने हुये मकानों को भी दो वर्गों में रखा गया है। पहले वर्ग में वे मकान आते हैं जो १९५१ से १९५५ के बीच में बने और दूसरे वर्ग में वे मकान आते हैं जो १९५५ के बाद बने या किराये पर दिये गये। इसमें पहले वर्ग के मकानों पर ७ वर्ष तक और दूसरे वर्ग के मकानों पर ५ वर्ष तक वही किराया रहेगा जो किरायेदार व मकान मालिक के बीच में तय हुआ है। तत्पश्चात् उस किराये में भी १० प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है।

वस्तुतः इस विधेयक से किसी भी किरायेदार का किराया कम नहीं हुआ है अपितु इसके पारित होने के बाद किरायादारों को हजारों रुपये मकान मालिकों को चुकाने होंगे। किरायेदारों की बेदखली के सम्बन्ध में सभी उपबन्ध जो वर्तमान अधिनियम में थे वे तो रखे ही गये हैं उसके अलावा दो और उपबन्ध बढ़ा दिये गये हैं।

खंड १० के अनुसार मकान मालिक जिस दिन से किराये को बढ़ाने की अर्जी देगा उसी दिन से उसे बढ़ा किराया लेने का अधिकार होगा। उन्होंने लिखा है कि पगड़ी स्वीकार नहीं की जायेगी। पगड़ी को कभी न्यायालय में मान्यता नहीं दी गई। जहां तक हानिपूरण का अधिकार देने का सम्बन्ध है, यह निष्प्रयोजन है क्योंकि एक बार मकान से बेदखल हो जाने पर कोई किरायेदार इस चक्कर में नहीं पड़ता है।

अतः मेरा निवेदन है कि यह विधेयक पूरी तरह से मकान मालिकों के लाभ के लिये है। इससे नगर में रहने वाले किरायेदारों का कोई लाभ नहीं होगा। वस्तुतः वर्तमान सरकार किरायेदारों के लाभ का विचार ही नहीं कर सकती। उसके लिये जनता को तब तक ठहरना पड़ेगा जब तक कि हमारे दल के हाथों में सरकार नहीं आ जाती।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (अम्बाला): अध्यक्ष महोदय, कई वर्षों से इन्तज़ार हो रहा था कि किरायेदारों के लिये आप यहां पर कोई बिल लाने वाले हैं। कई वर्षों से किरायेदार जद्दोजहद कर रहे थे, बहुत बहुत कमेटियां बनीं और बहुत बहुत उस पर विचार हुआ। किरायेदारों की बहुत बहुत एसोशियेशंस बनीं और बहुत बहुत डेपुटेशंस गये हुकूमत के पास और आज जब वह बिल आया तो ऐसा मालूम हुआ जैसे कि किरायेदारों पर वज्रपात हो गया। मैंने अभी कल और आज उधर की ओर बैठने वाले आनरेबुल मेम्बर की स्पीच सुनी जिन्होंने यह कहा कि यह लैंडलार्ड्स का बिल है। मैं इसमें उनके साथ बिलकुल मुत्तफ़िक़ हूं क्योंकि इतने अर्से से दिल्ली के किरायेदारों को जो परेशानी

हुई उसका किसे अन्दाज़ा है ? अध्यक्ष महोदय, यह बिल तो देख कर ऐसा मालम हुआ कि जिन लोगों ने इस बिल को ड्राफ्ट किया उनको किरायेदारों की तक़लीफ़ों का क़तई अन्दाज़ा नहीं था क्योंकि वे लोग इस्टेट आफ़िसर के घरों में रहते हैं जैसे कि हम सब लोग रहते हैं और अगर इस्टेट आफ़िसर हमारे साथ वही सलूक करे जो दिल्ली में मकान मालिक अपने किरायेदारों के साथ करते हैं तो हम लोगों को अन्दाज़ा हो कि किरायेदार कितनी तक़लीफ में रहते हैं ।

यहां पर मुकद्दमों की बात होती है । हम लोग जानते हैं कि नामुनासिब किराया देने के बाद भी जब उसको निकालने का सवाल होता है तो कितने किरायेदारों पर मुक़द्दमे होते हैं मकानों के ? बहुत कम किरायेदार ऐसे होते हैं जिन पर मुक़द्दमा होता है, ज्यादा तादाद तो उनकी होती हैं जिनको कि मारपीट कर वैसे ही निकाल दिया जाता है । बेशुमार ग़रीब आदमी जिनको कि धमका कर, मारपीट करके, पैसा देकर लोगों को बुला कर उनको यूं ही निकलवा दिया जाता है । पुलिस के ज़रिये और वैसे भी लोगों को हायर करके उनसे मारपीट करवा कर निकाल दिया जाता है । कई किरायेदार ऐसे होते हैं जिनको कि एक थानेदार और एक हैड कान्स्टेबुल की एक धमकी से बाहर निकाल दिया जाता है । बहुत सारे किरायेदार ऐसे होते हैं जिनको कि किस्म किस्म के इलज़ाम लगाकर, चोरी के इलज़ाम में पकड़वा दिया जाता है, जिनके कि वारंट आसाम से पंजाब से और दूर दूर जगहों से झूठे वारंट ले लिये जाते हैं । क्या वे बेचारे अपने डिफेंस में अदालत में वकील साहब को ले जा सकते हैं । आज उन लोगों की पुकार को लेकर यहां पर किस्म किस्म की एसोसियेशंस बनीं और उन्होंने अपनी तक़लीफ़ें और परेशानियां गवर्नमेंट के सामने रक्खीं लेकिन मुझे यह कहना पड़ता है कि आप अभी तक उसका कोई इलाज नहीं कर पाये हैं । आज किरायेदारों की सब से बड़ी परेशानी और तक़लीफ़ उनकी मकानों से बेदख़ली है । आज दिल्ली के बेशुमार मकान मालिक किरायेदारों को निकाल रहे हैं । वे यह कह कर कि हमें खुद अपने लिये मकान चाहिये किरायेदार से मकान खाली करवा लेते हैं और उसको मकान से एविक्ट कर देते हैं । इस सिलसिले में मैं सदन और मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहती हूं कि यहां पर इस चीज़ की ज़रूरत समझी गई कि एक टेम्पोरेरी इंजंक्शन दिया जाय जिससे कि दिल्ली के बेशुमार एविक्शंस को एकदम से रोका जाय, फौरन चौबीस घंटे के अन्दर रोका जाय और दिल्ली स्टेट ने और दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन ने यह चीज़ मानी कि इसके लिये एक आर्डिनेंस पास किया जाय । उस आर्डिनेंस की मांग के बाद भी एक साल लगा जिस के बाद कि वह बिल आया जो इन किरायेदारों को टेम्पोरेरी रिलीफ़ (अस्थायी सहायता) देता है । उसमें एक क्लाज़ था कि मकान मालिक किरायेदार को अपने लिये सफीशेंट एकोमोडेशन न होने पर निकाल सकता था । हमने बहुत कोशिश की कि किसी तरीक़े से इस क्लाज को उस बिल में से निकाल दिया जाये और मुझे खुशी है उस वक्त जो हमारे वर्क्स और हाउसिंग के मिनिस्टर थे, जिन्होंने वह बिल पेश किया था, वह उस वक्त उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिये मदद करना चाहते थे । लेकिन आज इस बिल में उस चीज़ पर बिल्कुल पानी फिर गया । कहा गया कि जो पुराना ऐक्ट है वह थोड़ी देर और रहेगा और उसको यह टच नहीं करेगा । पर वह तो पहले ही खत्म होने वाला है । हम लोग सोचते तो यह थे कि यह जो टेम्पोरेरी ऐक्ट (अस्थायी अधिनियम) आया है इसके बाद कुछ और खोज की जायेगी और कोई इससे बेहतर ऐक्ट आयेगा जो किरायेदारों को रिलीफ़ देगा । मुझ को इस बात का अफसोस है कि इस चीज़ को इस बिल में कतई नज़रअन्दाज़ कर दिया गया है । जो टेम्पोरेरी एक्ट बना था उसमें प्रेमिसेज की डेफीनीशन में एक वेकेंट साइट इन्क्ल्यूड किया गया था । दिल्ली में कम से कम ५०,००० लोग ऐसे हैं जो दूसरों की ज़मीनों पर अपने मकान बना कर आज भी रह रहे हैं । इनको अमलेदार कहा जाता है । इन लोगों के इविक्शन (बेदख़ली) हो रहे थे और उनको कानून से कोई मदद नहीं मिल रही थी । दिल्ली के चीफ़ कमिश्नर जो बहुत क्रांतिकारी नहीं हैं, उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि किसी तरह से इन इविक्शन्स को रोक सकें । वह सिर्फ इसीलिये यह नहीं करना चाहते थे कि ये लोग गरीब आदमी हैं, बल्कि इसलिये भी कि दिल्ली में मकानों की

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

पहले ही बहुत कमी है और दिल्ली की हुकूमत के पास कोई ऐसा कानून नहीं है कि वह इन लोगों को मकान दे सके ।

अभी थोड़े दिन पहले आपने कानून पास किया कि जो गवर्नमेंट के प्रेमीसेज़ हैं उनसे आप लोगों को निकाल सकते हैं । यहां पर फिगर्स कोट हुये जिनसे मालूम हुआ कि ऐसे लोगों की तादाद हजारों में है जिनको निकालने की पावर गवर्नमेंट ने ली है । पर हमने उस पर कोई ऐतराज़ नहीं किया क्योंकि यह पावर गवर्नमेंट की है । जब वह उस पावर को इस्तेमाल करेगी तो वह लोगों की चीख़ पुकार सुन सकती है और फरियाद सुन सकती है । हम लोग भी जाकर उससे अपील कर सकते हैं । पर यहां तो आप यह पावर उन लोगों को दे रहेहैं जो कि प्राइवेट मकान मालिक हैं जो कि किरायेदारों का खून चूसते रहे हैं और जिनके सामने पैसा बनाने के अलावा और कोई चीज़ नहीं है । तो यह चीज़ मेरी समझ में नहीं आती । मुझे इस बात का अफ़सोस है कि पहले आपने जो अमलेदारों को रिलीफ़ दिया था उसको अब डेफीनीशन (परिभाषा) में से हटा दिया है ।

दूसरी एक चीज़ से मुझे बहुत ताज्जुब है और वह इस चीज़ से कि आपने इस बिल में बोनाफ़ायडी ज़रूरत की हालत में मकान खाली कराने की इजाजत दे दी है । किरायेदारों को इस क्लाज से बहुत तकलीफ़ है । हम लैंडलार्ड्स (मकान मालिकों) से सब कुछ नहीं ले लेना चाहते । लेकिन जब इतनी जद्दोजहद के बाद यह बिल आया, इतनी परेशानी के बाद जब यह बिल आया, तो मेरे मन में यह बात आयी कि इस तरह के बिल की बात करना बेकार ही है । मुझे ऐसा लगा कि मकान मालिकों और किरायेदारों के ताल्लुकात को कोई रेग्यूलेट कर नहीं सकता । अगर हमारी सोशलिस्ट हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती तो कौन कर सकता है । तो मेरे मन में यह बात आयी कि हमको एक फार्मूला ईजाद करना चाहिये । वह यह कि जब किरायेदार मकान की कीमत अदा कर चुके तो किरायेदार को मकान मालिक बना देना चाहिये और उसको नहीं निकाला जाना चाहिये । मुझे तो इसके मानी नहीं समझ में आते कि किस तरह से हम टिनेन्ट्स को प्रोटेक्शन (किरायेदारों को संरक्षण) दे रहे हैं । आपने पिछले बरसों के लिये किराये रेग्यूलेट किये पर आगे के लिये खुली छूट दे दी कि जो चाहे सो लो । हमने समझा था कि पहले कानून का पीरियड खत्म होने वाला है, हमारी हुकूमत किरायेदारों की इस तक़लीफ़ को महसूस करेगी और जो पहले छूट दे दी थी उससे किरायेदारों की तक़लीफ़ बढ़ी है , उस तरह की गलती आगे नहीं होगी । पर हम देखते हैं कि जो कानून बना उसमें यह है कि जितना चाहो लो । जो छीन लिया वह तो तुम्हारा हो ही गया और आगे जो छीन ले वह उसका । आज कोई मेरा सामान छीन ले मेरी किसी परेशानी और मजबूरी की वजह से, और मैं फरियाद लेकर जाऊं तो हमारे होम मिनिस्टर साहब कहें कि इसने जो छीन लिया वह तो इसका और उसको और आगे छीनने की इज़ाजत दे दें । यह बात तो इस तरह की हुई । कहा जाता है कि इससे मकान मालिकों को इन्सेन्टिव मिलेगा । आज हम प्राइवेट एंटरप्राइज़ को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दे रहे हैं । लेकिन खुराक का मसला और मकान का मसला ऐसा नहीं है कि जहां पर लोगों को इस तरह की खुली छट दे दी जाये ।

अक्सर मकान मालिकों की तरफ़ से यह प्ली (तर्क) ली जाती है कि इन मकान मालिकों में बेशुमार विधवायें हैं जिनकी कमाई का कोई और ज़रिया नहीं है, सिर्फ एक कोठरी से उनकी आमदनी होती है । पर मकान मालिकों में विधवाओं की गिनती बहुत ज्यादा नहीं है । किरायेदार भी बेशुमार तादाद में विधवा बहिने हैं यह मैं होम मिनिस्टर साहब से अर्ज़ करना चाहती हूं । आज हो यह रहा है कि किसी ने एक मकान बना लिया, बरसों उसका किराया

लिया जा रहा है । दिल्ली में किराया ज्यादा होने की वजह से बाहर के पैसे वाले एट्रेक्ट हुये और वे पैसे की थैलियां लेकर आये और उन्होंने ज़मीन खरीदीं और मकान बनाये और जो यहां पर पहले से ही ज़मीन की दिक्कत थी उसको और बढ़ा दिया । जो पहले से मकानों की किल्लत थी उसको इन लोगों ने और बढ़ा दिया । और आज आप ने कह दिया कि उन लोगों से कि जो तुम ने किया वह बहुत अच्छा किया, पांच, दस बरस तुम को और छुट्टी है जो चाहो लेते जाओ । तो हम लोग इस बिल को देख कर परेशान हैं और यह हमारी समझ में नहीं आता ।

अभी एक माननीय सदस्य ने सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों से रिक्वेस्ट की कि वे इसमें कुछ सुधार कर सकेंगे । लेकिन मुझ को उम्मीद नहीं कि सिलेक्ट कमेटी इसमें कुछ सुधार कर सकेगी क्योंकि यह तो शुरू से आखिर तक गलत है, और इतना नामुनासिब है कि सिलेक्ट कमेटी इसकी कौन कौन सी लाइन बदलेगी, और कौन कौन सी इसमें चेंज करेगी । ऐसा करना बहुत मुश्किल है । इसलिये मैं होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगी कि सिलेक्ट कमेटी के अलावा भी वे देखें कि इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं ।

इस बिल में गवर्नमेंट ने इस काम के लिये एक स्पीडी मैशिनरी बना दी है । अभी तक तो यह होता था कि किरायेदार अदालत में बार बार जाता था और किसी तरह से साल दो साल निकाल देता था । हमारे पार्लियामेंट के मुताल्लिक़ जो पिटीशन होते हैं उनमें पांच पांच साल लग जाते हैं । तो इसी तरहसे बहुत से किरायेदार भी मकानों में बैठे रहते थे । पर यह जो मैशीनरी बना दी गयी है यह इस काम को तेजी से करेगी और निकलने वालों की तादाद बेशुमार बढ़ जायेगी । अभी तो सिविल जज इस काम को करते हैं । उनके पास सिर्फ यही काम तो होता नहीं और भी बहुत से काम रहते हैं । लेकिन यह जो नई मैशिनरी बनायी जायेगी इसको तो मकानमालिकों का भगवान बना दिया गया है, क्योंकि इसके पास तो किरायेदारों को निकालने के सिवा और कोई काम नहीं रहेगा । वह रोज़ रोज़ इसी काम को किया करेगी । इसलिये मेरी होम मिनिस्टर साहब से दरखास्त है कि इस बिल को अभी भी ठीक करने की कोशिश करें, इसके सिवा और कोई इलाज नहीं हो सकता । इस बिल से दिल्ली के किरायेदारों को बहुत मायूसी हुई है, और हम लोगों को भी जिन्होंने बरसों तक इस काम के लिये कोशिश की बहुत मायूसी हुई है । और जो आपने टिनेन्ट्स को प्रोटेक्शन दे रखा था उस पर तो इस बिल से कतई पानी फिर गया है । आपने जो पहले १०० रुपये तक के किरायेदार को प्रोटेक्शन दिया था वह भी इस बिल में गायब है । अब उसको भी प्रोटेक्शन नहीं रहेगा । उसको जो पहले प्रोटेक्शन मिला हुआ था वह भी इस कानून से खत्म हो जायेगा । मैं पूछती हूं कि किसने इस बिल की मांग की थी, कौन इसके लिये आपके पास आया था, किसने इसके लिये ऐजीटेशन किया था ? किरायेदारों ने, जो कि बेहद परेशान हैं और जिनकी गिनती दिल्ली में हजारों में है । लेकिन जो आज आप बिल लाये हैं उससे जैसा कि मैं ने पहले कहा, दिल्ली के किरायेदारों की तक़लीफ़ बढ़ जायेगी । मैं दरख्वास्त करती हूं कि आप इस पर सोचें, और इस बिल को ठीक करने की कोशिश और उनकी उम्मीदों पर पानी न फेरें ।

डा० सुशीला नायर (झांसी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कानून सदन के सामने रखा गया है, उसमें सुधार की काफी गुंजाइश है, इस से मैं सहमत हूं । इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सरकार के सामने हर एक सवाल के दोनों पहलू रहने चाहिय और यह कानून बनाते वक्त भी दोनों पहलू सामने रखे गये हैं । इस बिल के अनुसार एविक्शन के लिये जो स्पीडी मशीनरी बनाई गई है, उसमें मैं कोई बहुत बड़ा दोष नहीं देखती हूं, क्योंकि आज जिन जगहों पर अन-अथाराइज्ड आकुपेशन किया गया है, वहां अन-अथाराइज्ड आकुपेंट्स को—अनधिकृत तौर पर क़ब्ज़ा करने वालों को—भी कोई नहीं निकाल सकता है ।

[डा० सुशीला नायर]

मैं जानती हूं कि अस्पतालों और स्कूलों की जगह पर अन-अथाराइज्ड आकुपेशन (अनधिकृत कब्जा) किया जाता है, लेकिन उस जगह को खाली नहीं कराया जा सकता है। मैं जानती हूं कि कई गरीब छोटे टीचर्ज़ को इस कारण से बड़ी तक़लीफ़ होती है। एक टीचर बदल जाता है। उसकी जगह दूसरे टीचर को आकर रहना है, लेकिन पहला टीचर नहीं निकलता है। वह क्या करे? सरकार कहती है, स्कूल की मैनेजिंग कमेटी कहती है कि हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है कि हम यह मकान खाली करवा कर उस टीचर को दे सकें, जिसको कि यहां रहना चाहिये। अस्पतालों की नर्सिज़ के किस्से मेरे पास हैं। एक नर्स बर्खास्त हो जाती है या रिटायर हो जाती है। वह अपने मकान से निकलती नहीं है। जिस नई नर्स को आकर अस्पताल में काम करना है, उस का वहां रहना ज़रूरी है, लेकिन वह नहीं रह सकती है। मैनेजमेंट कहता है कि "बहन जी, हम क्या करें? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जिस से हम मकान खाली करवा सकें।" मैं समझती हूं कि ऐसे केसिज़ में, जहां अनधिकृत लोग आकर बैठ जाते हैं, बैठे रहते हैं, खाली नहीं करते हैं, जगह खाली करवाने के लिये स्पीडी मशीनरी का होना आवश्यक है और वह इस बिल में रखी गई है, यह एक बहुत योग्य काम किया गया है। लेकिन मिनिस्टर साहब को यह देखना है कि जब यह मशीनरी इसी काम के लिये है कि लोगों को निकालना है, तो जैसा कि अभी सुभद्रा जी ने कहा है, वह कहीं लैंड-लार्डज़ की मशीन न बन जाय—कहीं लैंड-लार्डज़ की सेविका न बन जाय और वह कहीं बिना डिस्क्रिमिनेशन, जहां जिसको चाहे, उठा उठा कर निकालने न लगे और उन बेचारों को कह दिया जाय कि तुम मुकदमा लड़ते रहो। ज़ाहिर है कि उन लोगों के पास मुक़दमा लड़ने की ताकत नहीं है। आज किरायेदार को निकालना एक ज़हमत है, किठनाई की बात है। उसमें कम से कम दो साल लग जाते हैं। आज दिल्ली की अदालतों में पांच छः हज़ार केसिज़ एविक्शिन के पड़े हुये हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। ऐसी सूरत में मिनिस्टर महोदय से मेरा यह निवेदन है कि उनमें कुछ ऐसे केसिज़ हैं, जिनको इस कानून के पास होने के बाद प्रोटेक्शन मिलेगी। क्या मिनिस्टर महोदय से यह कहना कुछ बहुत बड़ी मांग होगी कि जब तक नया कानून लागू होता है, तब तक ये पांच छः हज़ार केसिज़ मुल्तवी कर दिये जायें और उन लोगों को एविक्शिन से बचा लिया जाय? यह एक मुनासिब मांग है और मेरा ख्याल है कि मिनिस्टर महोदय इसकी तरफ़ तवज्जह देंगे। मैं समझती हूं कि इस कानून के लागू होने में दो चार महीने लग जायेंगे—दिसम्बर, जनवरी आ जायगा, ऐसा सुना जाता है। तो इन दो चार महीनों में कोई बहुत बड़ा नुक्सान नहीं हो जाने वाला है। मालिक-मकानों ने जहां साल-साल, दो दो साल तक पहले मुकदमे लड़े हैं, वहां दो चार महीने और ठहरने से कोई बहुत बड़ा फ़र्क़ नहीं पड़ने वाला है। अगर इन केसिज़ को मुल्तवी कर दिया जाता है, तो जिन लोगों को आज के कानून के मुताबिक़ निकाला जा रहा है और आने वाले कानून से जिन की रक्षा हो सकती है, कम से कम उनको इतनी सुरक्षा मिल जायगी, और वह सुरक्षा नहीं मिलने वाली होगी, तो कम से कम नई जगह ढूंढने के लिये उनको दो चार महीने का समय मिल जायगा। इसलिये अगर इन केसिज़ की तरफ़ मिनिस्टर महोदय तवज्जह दे सकें, तो अच्छी बात होगी।

जहां तक किराये का सवाल है, यह आशा रखना कि कानून बनाने से पगड़ी बन्द हो जायगी, मेरा ख्याल है कि यह कुछ बहुत रीयलैस्टिक व्यू नहीं है। इस वक्त दिल्ली में ऐसे मकान बने हैं, जिन के लिए लोगों ने पांच पांच साल का किराया एडवांस—पगड़ी के तरीके से—वसूल किया है, जिसका नतीजा यह है कि अगले पांच साल में उनको सारी की सारी आमदनी होने वाली है, उनको नफ़ा ही नफ़ा है। जो एडवांस लिया है, उससे मकान का खर्च वसूल हो गया और उन को सिर्फ़ ज़मीन की कीमत देनी पड़ी होगी। इस कानून से पगड़ियां बन्द हो जायेंगी, ऐसा मुझे नज़र नहीं आता है। मुझे तो लगता है कि पगड़ियों को बन्द करने का एक ही तरीका हो सकता है और वह यह है कि अधिक से अधिक

कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट खुद करे। कम से कम आज जितने सरकारी नौकर हैं—स्कूलों में, अस्पतालों में और दूसरी जगहों में जो सरकारी नौकर हैं—उन सब लोगों की जरूरत के लिए मकान सरकार के पास होने चाहिए, इस में मुझे शक नहीं है। आज क्या होता है ? आज बड़े अफ़सरों के लिए तो मकान बन जाते हैं, उन के लिए तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन जो क्लास फ़ोर के लोग हैं—वे चाहे अस्पताल में हों, स्कूल में हों, या कालेज में हों—उन के लिए एकामोडेशन काफ़ी नहीं है। आप स्वीपर्ज़ को देखिए, जमादारों को देखिए। उन के लिए यहां ज्यादा एकामोडेशन नहीं है। इस सदन में कई दफ़ा यह चर्चा हुई है कि अनअथाराइज्ड स्ट्रक्चर्ज़ बढ़ते जा रहे हैं। मुझे भी इस बात का अफ़सोस है कि अनअथाराइज्ड स्ट्रक्चर्ज़ खड़े होते हैं और नए नए स्लम्ज़ बनते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। लेकिन आप विचार करें कि ऐसा क्यों होता है। नई दिल्ली में जहां बापू जी आ कर रहा करते थे वहां पर एक भंगी कालोनी है, बाल्मीकि मन्दिर है। १९५० में हम में से कुछ लोगों ने यह ख़याल किया कि इस के पीछे गन्दी गन्दी झोंपड़ियां हों, स्लम्ज़ हों, लोग बुरी कन्डीशन में रहते हों, यह कोई अच्छी बात नहीं है। कई लोगों ने मिल मिला कर मेहनत की और स्वीपर्ज़ के लिए ४०० क्वार्टर्ज़ बन गए। उन लोगों को वहां बसा दिया गया, लेकिन जो पुरानी झोंपड़ियां थीं, वे फिर बढ़ गईं। क्यों बढ़ गईं? एक तो इसलिए बढ़ गईं कि म्यूनिसिपैलिटी ने अपनी कार्यवाही ठीक तरह से नहीं की, लेकिन असल कारण उनके बढ़ने का यह था कि वहां की गन्दी से गन्दी झोंपड़ियां भी शहर के भीतर के स्लम्ज़ से बेहतर थीं। जो सैंकड़ों, हजारों लोग—खास कर के स्वीपर क्लास के लोग—दिल्ली शहर के भीतर के स्लम्ज़ में रह रहे थे, वे वहां से उठ कर इन टूटी फूटी झोंपड़ियों में, जहां सैनिटेशन वग़ैरह कुछ मुनासिब नहीं है, रहने लग गए, क्योंकि वहां के हालात शहर के हालात से बहुत बेहतर हैं—कम से कम वहां की हवा तो शहर की गन्दी हवा से बेहतर है। इसलिए मैं समझती हूं कि मकान-मालिकों को ज्यादा इन्सेन्टिव देकर मकान बनवाने की जो आशा रखी गई है, वह बहुत कुछ ज्यादा मुनासिब चीज़ नहीं है। उस की जगह पर सरकार खुद अपने इनिशिएटिव पर ज्यादा से ज्यादा मकान बनाए। वह इस किस्म के मकान बनाए, जिसमें ग़रीब आदमी मुनासिब किराया देकर रह सकें और उन को हैरासमेंट करने वाला कोई न हो।

इसके साथ ही साथ यह भी ज़रूरी है कि सरकार के पास उन केसिज़ में कार्यवाही करने का अधिकार हो, पावर हो, जहां लोगों को दिल्ली में उन मकानों में रहने का अधिकार नहीं है, जो खाली इस शौक से रह रहे हैं कि दिल्ली में बसे हैं, जिन की नौकरी खत्म हो गई है, गांव में घर बार है, लेकिन वहां जाने के बदले जो हमेशा के लिए दिल्ली में बसना चाहते हैं। जिसका काम दिल्ली में है, जिसका दिल्ली में रहना ज़रूरी है, उन के लिए, यह आवश्यक है कि सरकार खुद मुनासिब किराये के मकान बनाए और अगर किसी से बनवाना है, तो जहां तक दस परसेंट किराया बढ़ा कर मालिक-मकानों को प्रोत्साहन देने की बात है, वह नामुनासिब है। सरकार खुद बनाये या एनशोअर करे कि मुनासिब किराये पर गरीब आदमी मकान में रहे और उतना ही किराया अदा करे जितना कि उसकी ताकत में है ताकि वहां पर रह कर वह अपना गुज़र बसर कर सके।

इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करती हूं कि यह कानून जब तक लागू होता है तब तक के लिए पांच छः हज़ार केसिस जो दिल्ली की कोर्टस में पड़े हुए हैं उनको रुकवा दिया जाए और जो भी प्रोटेक्शन उनको दी जा सकती है दी जाए। मैं यह भी चाहती हूं कि ज्वायंट कमेटी जिस को कि यह बिल जा रहा है, इस बात की तरफ अधिक से अधिक ध्यान दे कि जहां तक अनआथोराइज्ड औक्यूपेशन वालों को निकालना आवश्यक है, जल्दी भी निकालना आवश्यक है वहां जो जेन्विन केसिस हैं, जो सचमुच में मुसीबत के मारे हुए ग़रीब लोग हैं, उन लोगों को हैरास करने के लिये यह मशीनरी मकान मालिकों की कहीं टूल न बन जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाए।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, यह जो किराया नियंत्रण विधेयक हमारे सम्मुख उपस्थित है, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि दिल्ली में जो किराये के मकानों में रहते हैं, उनके अन्दर इस बिल के प्रकाशित होने के बाद कुछ ऐसी भावना पैदा हो गई है, कि उनको इससे सन्तोष नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब किरायदारों की खातिर इस बिल को यहां उपस्थित किया गया है, तो यह देखा जाना चाहिए कि उनको कुछ सन्तोष मिले, कुछ राहत मिले और उनके हितों की ओर अधिक ध्यान दिया जाए। यह बिल किरायेदारों की प्रार्थना पर ही यहां लाया गया है।

जैसा कि श्रीमती सुभद्रा जोशी ने कहा मैं भी यह जरूर चाहूंगा कि यहां दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे किरायेदार हैं जिन्होंने केवल ज़मीन ही किराये पर ली हुई है और वे उस पर अपने छोटे छोटे घर बना कर बैठे हुए हैं, उनको भी इस बिल में कुछ संरक्षण दिये जाने चाहियें थे, जो कि नहीं दिये गये हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यहां पर एक कटड़ा गौरी शंकर है। आज से कोई बीस बरस पहले राजस्थान के कुछ मजदूर जो कि मकान बनाने का काम करते हैं, यहां आये और उस ज़मीन पर बस गये। उस समय उस भूमि की कोई कीमत नहीं थी। एक रुपया महीना के ऊपर एक झौंपड़ी या एक घर बनाने के लिए उनको किराये पर मकान दिये गये। वहां पर उन परिवारों ने, जिनकी संख्या कोई डेढ़ दो सौ है, मकान बनाये जब उन लोगों ने मकान बना लिये तो धीरे धीरे वहां की आबादी बढ़ती गई, मकान बनते गये और आज वह इलाका बीच में आ गया है। पिछले दिनों उस जगह का जो लैंडलार्ड है, जो कि एक बहुत बड़ा लैंडलार्ड है, तथा जिसके बहुत मकान हैं और व्यापार भी वह यही करता है, उन लोगों के खिलाफ डिग्री ले ली। उस केस में दो तरह के फैसले हुए एक जज ने एक तरह का फैसला दिया तथा दूसरे जज महोदय ने दूसरी तरह का। एक ने तो यह कहा कि जो बिल्डिंग है उसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि जो स्ट्रक्चर होगा ऊपर बना हुआ वही बिल्डिंग होती है। वह कहते हैं कि जब तक भूमि नहीं होगी तब तक बिल्डिंग कैसे खड़ी हो सकती है। इस तरह से वह कहते हैं कि भूमि और बिल्डिंग दोनों को मिला कर बिल्डिंग बनती है। किन्तु इसके विपरीत दूसरे जज महोदय ने कहा कि बिल्डिंग का अर्थ वह स्ट्रक्चर है जो कि उस ज़मीन पर खड़ा किया जाता है। इसका अर्थ ज़मीन से बिल्कुल नहीं है। इसलिए ज़मीन से उसको बेदखल कर देना चाहिये। उनका यह भी कहना है कि जो दीवारें उस पर खड़ी की गई हैं उनको उठा लेना चाहिये। इस तरह के ये दो अलग अलग फैसले हैं। इसके बाद सोचा गया कि शायद गन्दी बस्तियों के बारे में जो अधिनियम बना हुआ है उसके अन्तर्गत इनको कुछ राहत मिल जाए किन्तु उसमें भी इनके लिए किसी प्रकार के संरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इस तरह के केसिस को कवर करने के लिए इसमें कुछ धारायें जोड़ दी जायें। इन लोगों के यहां पर बड़े बड़े नगर बने हुए हैं। एक ठक्कर बापा नगर है और वहां पर सब के सब इसी तरह के लोग रहते हैं। एक सान सिंह नगर है, वहां पर भी इसी तरह के लोग बसे हुए हैं। इसी तरह से और भी जगहें हैं जहां पर कि इस तरह के लोग बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। अगर आपने इन लोगों को संरक्षण प्रदान करने की कोई व्यवस्था कर दी तो इनको बहुत संतोष मिलेगा। इनको राहत पहुंचाने का, मैं चाहता हूं, कोई न कोई रास्ता अपनाया जाना चाहिए।

चूंकि किरायेदारों को सिर छिपाने के लिए जगह चाहिए होती है, इस लिए जब वे मकान मालिक के पास जाते हैं तो उससे प्रार्थना करते हैं कि मकान को उनको किराये पर दे दिया जाए तो मकान मालिक उनसे कहता है कि मकान बहुत बड़ा है इस लिए क्या तुम अकेले इसको किराये पर ले सकते हो। वह व्यक्ति कहता है कि मेरे में इतनी हैसियत नहीं है कि मैं अकेला इस को किराये पर लूं। इस पर वह मकान मालिक कहता है कि तुम किसी और किरायेदार को अपने साथ

रख लो। इस पर वह किरायेदार किसी दूसरे व्यक्ति की तलाश में भागा फिरता है और जब वह दो तीन आदमियों को साथ लेकर उस मकान मालिक के पास आता है और बातचीत करता है तो मालिक मकान उसको बतलाता है कि तुम में से एक ही इस सारे मकान को किराये पर लो, फिर चाहे तुम दूसरों को अपने साथ रखलो। अगर तुम दूसरों को अपने साथ रख लो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है लेकिन मैं अलग-अलग रसीदें तीनों के नाम नहीं दूंगा। मैं किसी भी एक के नाम पर रसीद दूंगा और वह पैसा इकट्ठा करके मुझे दे सकता है और उसी के नाम पर मैं रसीद दिया करूंगा। उस समय तो सद्भावना होती है और किरायेदारों को भी ज़रूरत होती है क्योंकि उनके पास सिर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं होती है, इस वास्ते वे मान जाते हैं लेकिन कुछ वक्त बाद वह सद्भावना खत्म हो जाती है और तब मकान मालिक कहता है कि भाई तुम ने तो ये दो और किरायेदार यहां बसा लिये हैं, तुम ने मकान को सब-लेट कर दिया है और इस बिना पर वह उनको हैरास करना शुरू कर देता है। मैं चाहता हूं कि ऐसे केसिस में किरायेदारों को प्रोटेकशन देने के वास्ते इस विधेयक में कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सन् १९५२ का जो विधेयक है उसमें इस तरह की बात है, उसमें इस तरह का आश्वासन दिया गया है और मैं चाहता हूं कि अगर यह चीज़ आगे भी कायम रहे तो अच्छा होगा।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक ज़मीन खरीदी जाती है और उसको खरीदा इस लिए जाता है कि वहां पर रिहायशी मकान बनाया जाएगा। किन्तु कुछ मकान मालिक ऐसे भी होते हैं जो वहां पर दुकानें बना लेते हैं। जब किरायेदार आता है तो वह उसको कहता है कि यह दुकान है तुम इसको ले लो। वह बेचारा पूछता भी है कि यह प्लाट रिहायशी मकान के लिए है या दुकान के लिए। उसको यह जवाब दिया जाता है कि आपको क्या मतलब, अब तो यह दुकान है इसको ले लो। वह व्यक्ति उसको ले लेता है। ऐसी अवस्था में जब उस व्यक्ति को उस मालिक मकान ने निकालना होता है तो वह अधिकारी वर्ग के पास चला जाता है और वहां से नोटिस इशू करवा लेता है। मान लीजिये कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ज़मीन है और वह लीज़ पर ली हुई है और वह ज़मीन रिहायशी मकान के लिए दी गई है। वहां पर वह व्यक्ति जिस ने उसको लीज़ पर लिया है, दुकान बना लेता है और किराये पर दे देता है। अब वह आदमी जिसने वहां दुकान बनाई है इम्प्रूमेंट ट्रस्ट में चला जाएगा और जाकर कहेगा कि आप इस आशय का एक नोटिस दे दें और बड़ी सरलता से वह नोटिस दे दिया जाएगा। तब वह किरायेदार को कहेगा कि क्योंकि यह रिहायशी मकान का प्लाट है और चूंकि मेरे पास नोटिस भी आ गया है, इस लिए आप यहां से चले जायें। ऐसी हालत में जो पैनेलटी इत्यादि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को देनी पड़े वह उस किरायेदार को न निकाल कर मकान मालिक को कहा जाए कि वह सभी पेनेलटीस वगैरह दे क्योंकि यह मकान मालिक का कर्त्तव्य है कि वह आने वाले किरायेदार को बतलाये कि उसकी जो वह जगह रिहायशी काम के लिए है, आवास के लिए है, वहां पर दुकान नहीं खोली जा सकती है। इसके बाद यदि वह व्यक्ति दुकान खोलता है तो उस सूरत में जो मकान मालिक है उसका कोई दोष नहीं रह जाता है। अतः मैं यह चाहता हूं कि इसके बारे में भी इस बिल के अन्दर कोई न कोई प्राविज़न होना चाहिए।

पिछली बार जब इसी तरह के दूसरे बिल पर बहस हुई थी तब मैंने कहा था कि साधारणतः यही बात कही जाती है कि यह मकान भरा हुआ है। उस भरे हुए मकान में बहुत से किरायेदार हैं। किन्तु एक व्यक्ति जो मुकदमेबाजी में बहुत ही प्रवीण है, आता है, और १०,१५, २० हजार जितनी भी मकान की हैसियत होती है, उसमें वह लाभ से खरीद लेता है। मान लीजिये कि एक मकान १ लाख रु० कीमत का है, लेकिन अगर वह भरा हुआ है तो ८०,००० में भी मिल सकता है। उसको खरीद कर जो मुकदमेबाज है वह यह कहता है कि मुझे यह मकान रहने के लिए चाहिये, और इस विधेयक के अनुसार मकान में रहने वालों को वह मकान खाली करना पड़ेगा। इस में इतना जरुर

[श्री नवल प्रभाकर]

कर दिया गया है कि वह ३ वर्ष तक उसे बेच नहीं सकता। किन्तु जब वह खाली करा लेता है तो वह मकान का किराया भी कमा लेता है और तीन वर्ष बाद वह उन किरायेदारों को भी निकाल देगा और फिर उसी मकान को वह अच्छी कीमत में बेच लेगा। मैं चाहता हूं कि उन लोगों को सन्तोष देने के लिये भी इस विधेयक में कुछ होना चाहिये।

आपने १ जून से पहले बने हुए जो मकान हैं उनके लिये छूट दी, किन्तु १ जून, सन् १९५५ और १९५८ के बीच के बने मकानों के लिये मैं कहता हूं। मैं मान लेता हूं कि आपने इस लिये छूट दी कि मकान और बनने चाहियें, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये। किन्तु १ जून, १९५५ के बाद से १९५८ तक जो मकान बने हैं उनके मालिकों ने यह समझ कर बनाया होगा कि हमारे साथ तो कोई प्रोत्साहन वाली बात नहीं है तो जैसे हम चाहें मकानों को किराये पर दें। मैं चाहता हूं कि इसमें १ जून, सन् १९५५ के बाद से १९५८ तक बने मकानों पर जो छूट दी जा रही है वह न दी जाय।

पगड़ी हमारे दिल्ली शहर में बहुत चल गई है। पगड़ी के सम्बन्ध में मेरा एक विनम्र सुझाव है, और वह यह है कि जितने मकान दिल्ली में बने, उनकी एक सूची रेंट कन्ट्रोलर के पास होनी चाहिये और जितने मकानों को लेने वाले लोग हैं वे अपने प्रार्थना पत्र रेंट कंट्रोलर को दें। जिसकी जैसी हैसियत हो और जिसको जैसे किराये के मकान की आवश्यकता हो उसको वहां से वैसा मकान मिल जाये। इस तरह से मैं समझता हूं कि वह पगड़ी का सिलसिला जो है वह बन्द हो जायेगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पगड़ी की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं यहां पर कि जिसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। मैं करौलबाग में रहता हूं। करौलबाग में अजमल खां रोड एक जगह है। वहां छोटी छोटी दूकानें बनी हुई हैं। उन छोटी छोटी दूकानों में से एक दूकान की लागत अधिक से अधिक १०,००० रु० होगी। लेकिन आज उन दूकानों की पगड़ी ३० से ४० हजार रु० तक है। आप कुछ अन्दाजा लगायें कि इसमें कितनी ब्लेक मार्केटिंग होती है। अगर हमें इस का बचाव करना है तो मैंने जो सुझाव दिया है उस तरह का कोई प्राविजन इसमें कर दिया जायें तो लोगों को बहुत राहत मिलेगी।

साथ ही जो नये मकान बनेंगे, उन मकानों का भी किराया निर्धारित होना चाहिये। यह कहा गया है कि पांच या सात साल तक उनका किराया निर्धारित नहीं होगा। उसके बाद होगा। वह रेंट कंट्रोलर के पास चले जायेंगे। किन्तु मैं समझता हूं कि अगर अभी से उनका किराया निर्धारित हो जाय तो ज्यादा अच्छा है। इसके लिये चाहे आप १० परसेन्ट रक्खें या १२ परसेन्ट रक्खें। अगर उनको आपको कुछ और रियायत देना है तो आप थोड़ा और आगे बढ जाइये। १२ परसेन्ट का मतलब होता है १०० रु० पर प्रति मास १ रु०। तो अगर १२ प्रतिशत रक्खा जाय तो भी वह एक अच्छी खासी रकम हो जाती है। आज किसी के पास सोने के जेवर हैं, वह अगर किसी साहूकार के पास जाय तो मैं समझता हूं कि १० प्रतिशत या ८ प्रतिशत पर उसे रुपया मिल जायेगा। इसी तरह से अगर किसी के पास पूंजी है और वह मकान बनवाता है और उस पर उसे १२ प्रतिशत मिल जाता है तो यह कोई घाटे की मद नहीं है, एक बहुत अच्छी मद है। पर हमें यह जरूर देखना चाहिये कि १२ प्रतिशत तक की एक सीमा जरूर निर्धारित हो जाये, इससे ज्यादा कोई न ले। आप देखिये कि यहां क्या हो रहा है। आज जो मकान बना रहे हैं उन पर २० या २५ प्रतिशत तक लिया जाता है। नजफ़गढ़ रोड मेरी कांस्टिट्यूएन्सी में एक जगह है। वहां फैक्ट्रियां बनाने के लिये सरकार ने सस्ते दाम में जगह दी। पैसे वाले लोग जो थे उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जगहें खरीदीं, उसके बाद हुआ यह कि वह लोग कोई फैक्ट्री बनाने वाले तो थे नहीं, उन्होंने जगह खरीद कर चहारदीवारी बना ली। अब जो भी काम करने वाले होते हैं या कारखाने लगाना चाहते हैं, छोटे मोटे लोग, उनको कहीं और तो परमिशन मिलती नहीं है। हारकर वह वहीं जाते हैं और उन लोगों से जाकर बात करते हैं जिन्होंने वह जगह ली हुई है। ऐसी अवस्था में मैं आप को बताऊं, छोटी छोटी जगह भी ३०० और

५०० रु० प्रतिमास के हिसाब से उठ जाती हैं । मैं चाहता हूं कि उन लोगों के लिये भी इसमें कुछ सन्तोषजनक हल हो ।

मैं आपको एक बात और बतलाना चाहता हूं । कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुकानें किराये पर लेते हैं, और वह साझेदारी के नियम पर । जब दूकानों की कीमतें बढ़ जाती हैं तो या तो वे किसी से पगड़ी ले लेते हैं या फिर अधिक किराया ठहरा लेते हैं । मैंने देखा कि कैंनाट प्लेस में जो बड़ी बड़ी दूकानें हैं वह किसी जमाने में बहुत कम किराये पर ली गई थीं, लेकिन उनमें से अधिकांश दुकानें बहुत बड़े बड़े किरायों पर सबलेट कर दी गई हैं । और इस ढंग से सबलेट की गई हैं कि उनमें साझेदारी आ गई है । उसमें २ आने की पत्ती, १ आने की पत्ती के नाम से कागज लिखा लिये जाते हैं और वही लिखित कागज सब जगह बढ़ा दिये जाते हैं । मैं चाहता हूं कि चाहे कोई भी किरायेदार हो, जो नाजायज नफा लेता है, उस को नाजायज़ नफा न उठाने दिया जाय । मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इन सब बातों पर विचार करें । अगर आप इन पर विचार करेंगे तो दिल्ली की जनता आप को दुआयें देगी और आने वाले समय में वह याद करेगी कि कांग्रेस के एक मन्त्री महोदय ने हमारे लिये जो बिल रखा था वह हमारे लिये सुखकर था । यह जरूर है कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं चाहता, चाहे वह मकान मालिक हो चाहे किरायेदार हो ।

अन्त में मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि हमें यह तो तय कर ही लेना चाहिये कि एक व्यक्ति के पास कितने मकान होने चाहियें । आप चाहे जितने भी मकान तय कर लीजिये, आप इसका अन्दाजा लगा लीजिये कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना पैसा कमा सकता है और एक व्यक्ति अपने जीवन को किस तरह से सरलता से चला सकता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि एक व्यक्ति है, उसने अपनी गाढी कमाई से दो मकान खड़े किये इसलिये खड़े किये कि उसकी वृद्धावस्था में वे उसे सहारा दें । यह ठीक है कि कई सन्तानें निकम्मी निकल आती हैं, एक आदमी को मजबूर हो जाना पड़ता है और उसके आखिरी जीवन में समय बड़ी कठिनाई से गुजरता है । किन्तु उसके लिये भी कुछ सीमा निर्धारित होनी चाहिये । भले ही पांच या सात मकानों की लिमिट रख ली जाय, लेकिन अगर पांच या सात मकानों के बाद उसके पास एक भी मकान हो जाय तो वह उसका न रहे । या फिर यह फैसला आय के ऊपर कर लिया जाय । एक व्यक्ति की अगर किराये से ५०० रु० आय होनी चाहिये तो उसके बाद उसे कुछ अधिक फायदा होता हो तो वह उस के पास न रहे । इस तरह के जो दो विचार हैं, उनको आप जरूर ध्यान में रखिये । तब हम यह जो समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं उसकी ओर वस्तुत: प्रगति कर सकेंगे ।

†**श्री राधा रमण** (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक में अनेक त्रुटियां हैं अतः यह अच्छा है कि हम इसे संयुक्त समिति को सौंप रहे हैं दिल्ली के मकान मालिकों और किरायेदारों के सम्बन्धों का विनियमन करने का विचार हमारे सामने बहुत समय से है कुछ समय पूर्व किरायेदार संरक्षण विधेयक पेश किया गया था जिसमें कुछ उपचारक उपबन्ध थे । पर खेद की बात है कि वर्तमान विधेयक में वे बातें नहीं रखी गयी हैं दिल्ली के मकानों की समस्या बड़ी कठिन है दिल्ली में सरकारी सहायता से मकान बनवाने के लिये सरकार को काफी धन व्यय करना होगा अन्यथा यह समस्या हल नहीं हो सकती । मकानों के निर्माण की गतिविधियों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है अन्यथा मकान मालिकों और किरायेदारों के संबंध अच्छे नहीं हो सकते ।

वैसे तो इस समस्या का हल यही है कि भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये । पर यह एक बहुत क्रान्तिकारी कदम होगा अत: फिलहाल हमें अन्य साधनों का सहारा लेना चाहिये । इस समय हमें पता है कि किरायेदारों को मकान मालिक बहुत परेशान करते हैं इस सम्बन्ध में हमें सब से पहले मकान मालिकों का वर्गीकरण करना चाहिये । कुछ तो बहुत बड़े बड़े मकान मालिक हैं जिनके पास कई मकान

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री राधा रमण]

हैं और कुछ के पास केवल एक या दो मकान हैं। बड़े मकान मालिक तो शोषण करते हैं अतः इस विधेयक में किरायेदारों के संरक्षण के लिये कुछ उपबन्ध अवश्य होना चाहिये। बड़े बड़े मकान मालिकों के मामलों में यह आवश्यक कर दिया जाना चाहिये कि वे किरायेदार को तभी निकाल सकें जब किरायेदार किराया न देता हो। इस के अतिरिक्त यदि किरायेदार मकान में आवश्यक मरम्मत न कराने देता हो या आवश्यक सुधार न कराने देता हो तो भी उसे निष्कासित किया जा सके। अतः विधेयक में उपबन्ध किया जाये कि इन शर्तों के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर किरायेदारों को निष्कासित न किया जाये।

प्रामाणिक किराये की भी समस्या है। नये नये जो मकान बन रहे हैं उन के किराये बहुत अधिक मांगे जाते हैं अतः उन पर कुछ नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अन्यथा मध्यम श्रेणी के लोगों को मकान मिल ही नहीं पाते। पुराने मकानों के सम्बन्ध में तो किराया नियंत्रण है। विधेयक में ८$^1/_4$ प्रतिशत किराये की बात कही गयी है पर मेरा सुझाव है कि ७$^1/_2$ प्रतिशत की पुरानी दरें ही रखी जायें तो अधिक अच्छा रहे।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

किराया नियंत्रकों की नियुक्ति के उपबन्धों का मैं स्वागत करता हूं। इससे मकान मालिकों और किरायेदारों दोनों को सुविधा होगी और उनका समय भी बचेगा। नियंत्रकों को जो अधिकार दिये जा रहे हैं उन के सम्बन्ध में भी मैं सहमत हूं।

अस्थायी किरायेदार संरक्षण विधेयक में भूगृहादि की परिभाषा में खाली पड़ी भूमि को भी सम्मिलित कर लेने से किरायेदारों को बहुत लाभ हुआ है। बड़े-बड़े भूमिवालों ने पहले ५० या १०० गज भूमि ८ या १० आने पर दे दिया था। अब इस भूमि का दाम बढ़ गया है और वे बेचारे गरीब लोगों को उस भूमि पर से हटाना चाहते हैं अतः इनकी रक्षा अवश्य की जानी चाहिये। किरायेदार संरक्षण विधेयक से दो लाभ थे एक १०० से कम किराया देने को निष्कासित या परेशान नहीं किया जा सकता था दूसरे भूमि को भी भूगृहादि में शामिल माना गया था। पर खेद की बात है कि इस विधेयक में वे दोनों उपबन्ध नहीं रखे गये हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सरकारी भूमि पर कई लोगों ने मकान बना कर किराये पर दे दिये हैं और किराये से २०० या ३०० मासिक की आय कर रहे हैं। हमें सरकारी भूमि को अपने अधिकार में लेना चाहिये पर इससे किरायेदारों को कठिनाई होगी अतः कोई समुचित उपाय निकाला जाना चाहिये।

एक उपबन्ध और है कि यदि कोई व्यापारी अपने व्यापार में किसी को सम्मिलित कर लेगा तो मकान मालिक को उस व्यापारी को निष्कासित करने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा। मैं इसे उचित नहीं समझता। क्यों उसे निष्कासित किया जा सकता है इसी प्रकार किरायेदारों द्वारा किराये के मकान को अन्य लोगों को किराये पर देने संबंधी खंड में भी संशोधन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार बीच के किरायेदार लाभ उठाते हैं जो कि उचित नहीं है। फिर एक बात यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति कोई मकान या सम्पत्ति बेचता है तो लेने वालों का अधिकार होगा कि वह उस मकान के रहने वाले किरायेदार को निष्कासित कर दे। पर क्यों? इसमें यह कहा गया है कि यदि खरीदने वाले को वास्तव में अपनी जरूरत के लिये मकान चाहिये तो वह खाली करवा सकता है। पर अपनी निजी जरूरत का बहाना करके अनेक किरायेदारों को परेशान किया जाता है। अतः निवेदन है कि संयुक्त समिति में इन सब बातों पर अच्छी प्रकार विचार किया जाये।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना): मैं इस विधान का स्वागत करता हूं। इसमें किरायेदारों तथा मकान मालिकों दोनों के हित की बात है। धारा ५ के अधीन पगड़ी लेने पर जो सजा

†मूल अंग्रेजी में।

कैद का उपबन्ध है उसका मैं स्वागत करता हूं । पर केवल उपबन्ध करने से यह त्रुटि दूर नहीं होगी इस के लिये कुछ और भी उपाय करना होगा । दिल्ली की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है और आगे भी बढ़ेगी । मेरा निवेदन है कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों को शहर में सम्पत्ति या जमीन न खरीदने दिया जाये । इससे छोटे-छोटे किरायेदारों को कठिनाई होगी । सरकार को भूमि का विकास करना चाहिये और उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट कर छोटे-छोटे किरायेदारों को देना चाहिये ।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य प्रामाणिक किराये जारी करना है । इसके लिए आपने मकानों को दो भागों में बांटा है और किरायों की चार श्रेणियांबनाई हैं । पहली श्रेणी ३००रु० तक किराये की; दूसरी ३०० से ६०० तक; तीसरी ६०० से १२०० तक और चौथी १२०० से ऊपर । मेरा कथन है कि इससे मध्यम श्रेणी की जनता को कठिनाई होगी । फिर आपने ३०० किराये वाली श्रेणी में १९४४ की किराया दर में २२$^{1}/_{2}$ प्रतिशत की वृद्धि का उपबन्ध किया है जो कि बहुत ज्यादा है । मेरा निवदन है कि पहली श्रेणी १००रु० तक किराये की होनी चाहिए और वृद्धि भी कम होनी चाहिए । इसी प्रकार दूसरी और तीसरी श्रेणी के किरायेदारों के साथ भी किराये की इतनी वृद्धि न्यायपूर्ण नहीं है । चौथी श्रेणी अर्थात् १००० या १२०० से अधिक किराया देने वालों को कोई संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है । उन्हें अपने आप निपटने दीजिए ।

मकानों का वर्गीकरण उनके निर्माण काल के अनुसार किया गया है । १९५१ से पूर्व के बने मकान; १९५१ और ५५ के बीच बने मकान और १९५५ के बाद बने मकान । अवधि के आधार पर जो वृद्धि की गयी है वह भी अधिक है । अतः उसमें भी कमी की जानी चाहिए ।

किरायेदार द्वारा उस मकान को किराये पर देना दण्डनीय अपराध होगा, इस उपबन्ध का दुरुपयोग होने की आशंका है । कोई व्यक्ति अपना व्यापार बढ़ाने के लिए अपने किसी मित्र, रिश्तेदार या साथी को व्यापार में साथी बना सकता है । अतः यह उपबन्ध गलत होगा और इससे लोगों को कठिनाई होगी । ऐसे अनेक अवसर आ सकते हैं जब किसी रिश्तेदार, या अन्य किसी को व्यापार में साझेदार बना लिया जाये । अतः सयुंक्त समिति और माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि इन बातों पर विचार अवश्य किया जाये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, दिल्ली रेंट कंट्रोल बिल (दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक) जो हमारे सामने आया है, उस पर हमारे मिनिस्टर साहब ने कल बड़ी लम्बी चौड़ी तकरीर की । उन्होंने उन उसूलों को जो कि स्टेटमेंट आफ आब्जैक्टस एंड रीजंस (उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण) में दिये गये हैं विस्तार से हमको बतलाने की कोशिश की है । बिला शक शुबहा वे सारे उसूल इतने माकूल हैं कि कोई भी शख्स उन पर किसी भी तरह का एतराज नहीं कर सकता है । सवाल पैदा होता है कि आया उन उसूलों को इस बिल के सैक्शंस (धाराओं) में डाला गया है या नहीं और अगर डाला गया है तो कहां तक और किस हद तक उनको कायम रखा गया है ।

पेशतर इसके कि मैं इस बिल की प्राविजन्स पर बोलूं, मैं एक छोटी सी बात कह देना चाहता हूं । आज से कई बरस पहले रैंट कंट्रोल के जो प्राविजंस हैं, वे दिल्ली पर लागू किये गये थे। कोई वक्त था कि जब लोग मकान बनाते थे तो कभी गवर्नमेंट सोचती भी नहीं थी कि वह प्राइवेट हाउसिज के अन्दर कभी दखल देगी और आया उसको ऐसा दखल देने का अख्तियार भी है या नहीं, इस के बारे में भी कुछ यकीनी तौर से नहीं कहा जा सकता था । लेकिन जब से वैल्फेयर स्टेट (कल्याणकारी राज्य) बनाने की बात हुई है, तब से उसी स्टेट की स्थापना के लिये यह कानून नहीं बना । यह कानून यों बना कि दिल्ली की आबादी या बड़े-बड़े शहरों की आबादी पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ गई और ऐकोमोडेशन (रहने के मकानों) की शार्टेज (कमी) हो गई । बिला शक व शुबहा जो मकान

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मालिक हैं उन के राइट पर अगर हम अपनी कांस्टीट्यूशन को देखें तो पता चलेगा कि यह रेंट कंट्रोल एक्ट एक रेस्ट्रिक्शन (प्रतिबंध) लगाता है। लेकिन यह कहने में मुझे जरा भी तहम्मुल नहीं है कि यह निहायत ही वाजिब रेस्ट्रिक्शन है। अगर यह रेस्ट्रिक्शन न होती तो किसी भी बड़े शहर में किसी आदमी को भी रहने के लिये जगह न मिलती। और शहरों को आप जाने दें। आप दिल्ली को ही देखें। दिल्ली का जो मामला है यह बहुत ही ज्यादा पेचीदा मामला है और शहरों के मुकाबले में। एक वक्त था कि जब यहां पर बहुत सारे रिफ्यूजीज आ गये थे और यहां की आबादी रोजमर्रा बढती चली जा रही थी, तो गवर्नमेंट ने श्री जी० डी० बिरला की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (विकास न्यास) जिसकी इस हाउस में बहुत चर्चा होती रहती है, उसके काम को भी देखने के वास्ते और यह भी देखने के लिये कि उसने कहां तक अपना काम किया है, यह कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने जो तजवीजें पेश की थीं और जो उसूल तय किये थे वे आज एक मैटर आफ हिस्ट्री (इतिहास की बात) बन गये हैं। उनकी तरफ अब कोई तवज्जह देने के लिये तैयार नहीं है। उस कमेटी ने जो कुछ लिखा है ऐसा लिखा है कि उस को हर वक्त काम में लाया जा सकता है।

पेशतर इस के कि मैं उस में से कुछ पढ़ कर सुनाऊं जो सब से पहली बात तवज्जह के काबिल है वह यह है कि दिल्ली की आबादी पहले के मुकाबले में तकरीबन चार गुना हो गई है।

इस अर्से में गो कि गवर्नमेंट ने रिफ्यूजीज को मदद करने में, नये मकान बनाने में, कोई कसर उठा नहीं रक्खी बहुत रुपया, इतना रुपया हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा, उसने खर्च किया हम को ख्याल भी नहीं था कि गवर्नमेंट इतना रुपया खर्च करेगी। उसने इतना रुपया खर्च कर दिया कि, दिल्ली में किसी तरफ चले जाइये, सारी नई दिल्ली मालूम होती है। उस ने दिल्ली में इतने ज्यादा मकानात बनाये हैं कि जैसे कोई तिल्सिम हो गया। लेकिन ताहम हालत बहुत खराब है। दिल्ली के अन्दर किराये इतने ज्यादा हैं कि एक मामूली आदमी उनको दे नहीं सकता। एक एक कमरे का १००, १००रु० भी ले लेते हैं। और अगर ऐम्बैसीज (राजदूतावास) की तरफ चले जाइये तो वहां का रेन्ट देख कर समझ में नहीं आता कि हम किसी फैरीलैंड में आगये या क्या हुआ। हम समझ नहीं पाते कि इतना रेन्ट हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या फैरी लैंड में भी किराये होते हैं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : शायद मुफ्त रहते हों। लेकिन यहां का सवाल हल नहीं हुआ। बिरला कमेटी ने लिखा था अपनी रिपोर्ट में कि गवर्नमेंट को ८५ करोड़ रुपया दिल्ली में शार्टेज आफ अकोमोडेशन (मकानों की कमी) को दूर करने के लिये चाहिये। उसमें से कितना रुपया खर्च हुआ ? क्या गवर्नमेंट के पास इतना रुपया है ? मुल्क के अन्दर जहां भी शहर हैं, वहां शार्टेज आफ अकोमोडेशन है। गवर्नमेंट ने अपने लिये तो बड़ा अच्छा किया। अभी कल ही दूसरा बिल पास हुआ है जिसमें गवर्नमेंट के वास्ते खूब सहूलियत है। अपनी जायदाद हो या न हो, डाउटफुल (संदेहात्मक) भी हो तो वह निकालेगी। लेकिन जहां तक लोगों का सवाल है, इस बिल का आप मुलाहजा फरमायें, गवर्नमेंट ने कहां तक इमदाद की है और किस तरह से वह इस मामले को तय करती है। आज मुझे डर है कि जब तक गवर्नमेंट खुद बहुत से मकानात यहां नहीं बनायेगी, या मकान बनाने की सहूलियत नहीं देगी, यहां की प्राब्लैम सैटल (समस्या हल) नहीं होगी। दिल्ली में एक एरिया स्लम (गन्दी बस्ती) नहीं है। दिल्ली में बहुत बड़े बड़े स्लम हैं। असल बात यह है कि हिन्दुस्तान में बहुत से स्लम्स हैं, लेकिन जरा पुरानी दिल्ली में आप जा कर देखिये कि वहां क्या हाल है। कई ऐसे मकान हैं जहां पर सूरज की रोशनी का दखल नहीं है। ऐसी सूरत में गवर्नमेंट ने क्या सोचा हुआ है। क्या गवर्नमेंट समझती है कि

दिल्ली रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट से वह इस मामले को तय कर देगी ? मैं यह पूछना चाहता हूं। मेरी नाकिस राय में यह जो हालत है वह दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट से कंट्रोल नहीं होगी। एक जमाना था जब दिल्ली रेंट कंट्रोल बिल इस हाउस में आता था तो उसमें एक फिकरा हुआ करता था "**दिस बिल रिमेन इन फोर्स फार सच एंड सच टाइम**' (यह विधेयक इतनी या इतनी अवधि तक लागू रहेगा।) सन् १९४७ में ऐक्ट आया, उस सन् ४७ वाले बिल में लिखा था कि "**दिस शैल रिमेन इन फोर्स फार सच एंड सच टाइम**' यही नहीं, आप दिल्ली के एक्ट को देखिये, यू० पी० के एक्ट को देखिये। उन सब के अन्दर यह फिकरा होता था कि "**दिस शैल रिमेनइ न फोर्स फार सो मैनी इअर्स**" (यह इतने वर्षों तक लागू रहेगा) क्योंकि गवर्नमेंट का ख्याल था कि चार, पांच साल के अन्दर यह मामला तय हो जायेगा और इससे ज्यादा वक्त के लिये कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस ऐक्ट में और पिछले ऐक्ट में से यह फिकरा जाता रहा। जब पिछली मर्तबा यह बिल हाउस में आया तो मैंने तजवीज किया था कि आप इसे पांच साल के वास्ते बना लें और पांच साल के बाद सारी चीज को तब्दील कर दिया जाय। लेकिन वह आज भी दर्ज नहीं किया गया। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि गवर्नमेंट की राय में यह आ गया, गवर्नमेंट को यह दिखाई देने लगा कि हमसे यह मामला तय नहीं होगा और इसलिये यह परमानेन्ट मेजर (स्थायी विधान) बना लिया जाय। अगर यहां पर परमनेन्ट मेजर बन गया तो फिर सभी जगह पर परमनेन्ट मेजर बनने लगेगा ऐसा मुझे डर है।

दूसरी चीज जो अर्ज करनी है वह यह है कि इन्सान के अन्दर एक खसलत (प्रवृत्ति) होती है जिस को "**इनहैटिवनेस**" कहते हैं यानी यह कि हर एक आदमी अपने मकान के अन्दर रहे। अपने मकान के अन्दर कई वाकयात ऐसे होते हैं फैमिली में कि जिनसे उनका ऐफेक्शन (लगाव) बाबस्ता हो जाता है, और यह एक क्वालिटी बन जाती है कि वह हर मकान के अन्दर उतना खुश नहीं रह सकता वह अपने मकान में ही खुश रहता है और यह क्वालिटी तब डेवलप होती है जब आदमी अपने मकान में हो, किराये के मकान में नहीं। क्योंकि वह हो नहीं सकती जब तक कि फिक्सिटी (निश्चितता) न हो कि कल उस को उस के मकान से निकाला नहीं जायेगा। इसका हमारी गवर्नमेंट का कतई एहसास नहीं है। मैं बहुत दफा कहता रहा हूं कि जहां तक रिफ्यूजीज का सवाल है, उनके कब्जे में जो मकान हैं उनका रेगुलराइज (स्थायीकरण) कर दिया जाय और उनको यह महसूस होना चाहिये कि वे अपने मकान में रहते हैं। उनके अन्दर एक "**इनहैटिवनेस**" की साइकालाजी पैदा हो, और इससे बड़ा फायदा होता है, लेकिन आज तक दिल्ली के अन्दर उन को रेगुलराइज नहीं किया गया क्योंकि गवर्नमेंट इसके अन्दर यकीन नहीं रखती कि हम अपने मकान में रहे। उस में मकान बनाने का ख्याल ही पैदा न हो। मकान खरीदने के जजबात (भावना) ही उसके अन्दर पैदा न हों। जिनको उन्होंने मिलकियत दे दी उन्हें दे दी, लेकिन न उनके अलावा और किसी का मकान मालिक न बनाया जाय। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की जो एक स्कीम है, कई लाख रुपये की लो हाउसिंग (कम लागत के मकान) की, वह उसकी बड़ी मेहरबानी है। उसका कहना है कि वह मकान बनाना चाहती है। यह उसके अब तक उसूलों से डिपार्चर (अवहेलना) होगा और यह बड़ा मुबारक डिपार्चर होगा। गवर्नमेंट लोगों को लॉन (मैदान) देती है ताकि वह अपना मकान बनाये। यह एक "**स्टैप इन दि राइट डाइरेक्शन**" (ठीक दिशा में कदम) है। लेकिन दिल्ली के अन्दर मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों गवर्नमेंट लोगों को अपने मकान बनाने के वास्ते रागिब नहीं करती। अगर खास तौर से गवर्नमट दिल्ली की तरफ तवज्जह दे और लोगों को मकान बनाने के वास्ते इम्दाद दे तो इससे बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन ताहम दिल्ली की आबादी ऐसी है कि इस में बहुत से बाहर के लोग भी आ गये हैं और आते रहते हैं। यहां कैपिटल की आबादी है, इसके अन्दर गवर्नमेंट कितनी ही कोशिश करे और मकान बनाने के वास्ते लोगों को मदद दे लेकिन फिर भी बहुत से लोग यहां किराये पर रहेंगे और मकानों की जरूरत होगी।

[पं० ठाकुर दास भार्गव]

यहां बहुत चर्चा किया गया, कल भी मेरे दोस्तों ने बहुत चर्चा किया और आगे भी चर्चा होगा मालिकों और टनेन्ट्स (किरायेदारों) के रिलेशन्स (संबंध) का। इसकी भी चर्चा होगी कि यह प्रो-लैंडलार्डस् (मकान मालिकों का पक्षपाती) बिल है या प्रो टेनेन्ट्स (किरायेदारों का पक्षपाती) बिल है, वगैरह-वगैरह। कई लोग यहां पर अपने प्वाइंट आफ व्यू (दृष्टिकोण) पेश करेंगे। अभी मैंने श्री राधा रमण जी की स्पीच सुनी। शायद अपनी बहन सुभद्रा जोशी की भी स्पीच सुनूंगा। इस चीज का काफी जिक्र होगा कि यह प्रो लैंडलार्ड बिल है या यह कि यह प्रो टेनेन्ट बिल है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने मिसेज जोशी को वक्त दे दिया कि वह बोले।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वक्त तो आप देंगे, लेकिन मैंने यह अन्दाजा लगाया कि वह इस पर जरूर बोलेंगी।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : दुबारा बोल लूंगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं उस वक्त था नहीं। मेरी गुजारिश यह है कि मैं जब इस बिल को देखता हूं तो इस में यह फेयर ऐडजस्टमेंट (न्यायपूर्ण समायोजन) नहीं देखता जिसकी मैं उम्मीद करता था। मैं चाहता था कि कोई बिल इस हिसाब से न बने कि यह प्रो लैंडलार्ड है या प्रो टेनेन्ट है। बिल इस हिसाब से बनना चाहिये कि लैंडलार्ड और टेनेन्ट के रिलेशन्स अच्छे हों, इस के पीछे जो उसूल है उस उसूल को कायम रक्खा जाय। गवर्नमेंट इस बिल के लिये कहती है कि वह दो बातें करना चाहती है, जो कि कुछ गलत सी मालूम होती हैं। वह कहते हैं यह विधेयक विभिन्न श्रेणियों के भूगृहादि के किरायेदारों के लिये देय नियमाचित किराये के निर्धारण तथा मकानों को अच्छी हालत में रखने के लिये प्रोत्साहन देने का उपबन्ध करने के लिये है। इन दोनों को हमारी गवर्नमेंट ने रिकंसाइल करना चाहा है, लेकिन कहां तक उनका रिकांसिलिएशन (समझौता) हुआ, यह सवाल आप के सामने है। मैं इस बात को तसलीम करना चाहता हूं कि अगर कोई चीज़ रीज़नेबल (समुचित) है तो वह दोनों के लिये रीज़नेबल होनी चाहिये और दोनों को फायदा पहुंचना चाहिये। आज हम देखते हैं कि सारी दिल्ली में फ्लड्स (बाढ़) आये। सैकड़ों मकान मरम्मत के काबिल हैं, कई जिन्दगियां खत्म हो गईं क्योंकि मकान इतना कमजोर था कि बिना रिपेअर्स (मरम्मत) के कि ज़रा से फ्लड से वह गिर गया। यह नामुमकिन है कि वह मकान बिना रिपेअर्स के खड़े रह सकें। उन मकानों को बहुत मजबूत होना चाहिये, जैसा कि आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप देखें कि लोग किराये पर किसी को ऐसा मकान न दें जोकि टैनेन्टेबल न हो, पूरे रिपेअर्स में न हो, जिस वक्त तक कि वह रहने के काबिल न हो। यह जरूर है कि इस से टेनेन्ट को पूरा आराम मिलेगा, लेकिन लैंडलार्ड हर्गिज उस पर खर्च करने को तैयार नहीं होगा अगर आप उसको इन्सेन्टिव (प्रेरणा) नहीं देते। आपने उसको क्या इन्सेन्टिव दिया है। अभी मेरे लायक दोस्त ने साढ़े सात परसेन्ट (प्रतिशत) का जिक्र किया कि वह उसको ठीक समझते हैं। गवर्नमेंट ने जो सवा आठ परसेंट रक्खा है, वह पहले से किसी कदर इम्प्रूवमेंट है, लेकिन यह काफी नहीं है। मैं चाहता हूं कि टेनेन्ट और लैंडलार्ड दोनों का फायदा हो बशर्ते कि आप ठीक फिगर रखें। अगर आप ठीक फिगर नहीं रखना चाहते तो चाहे आप ताली बजवा लें चाहे माला पहन लें, लेकिन दोनों को फायदा नहीं होगा। दोनों को फायदा तभी होगा जबकि वाजिब इन्सेन्टिव लैंडलार्ड को टेनेन्ट रखने पर भी रहे। आपने कानून बना कर १/१२ हिस्सा उसे रेंट में से खर्च करने का अख्त्यार दिया है, और ऐसी सूरत में जब कि ज्यादा डेमेज (नुकसान) पहुंच जाये तो आप ने यह रखा है कि दो साल का किराया खर्च किया जा सकता है, अगर कंट्रोलर साहब उसे मुनासिब समझें।

मुझे इन पर ऐतराज़ नहीं है। मैं तो यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो आप ने बेसिस रखी हुई है मुझे वह बेसिस माकूल नहीं मालूम होती, न तो स्टैंडर्ड रट की और न आयन्दा बनाने के वास्ते जो आप ने इन्सेन्टिव दिया है। मैं अर्ज़ करूंगा कि इंसेंटिव देखने के वास्ते सब से बढ़िया तरीक़ा यह है कि वे खुद अपने अन्दर बैठ कर देखें कि हमारी खुद की क्या हालत है। मैं पूछना चाहता हूं कि खुद अपनी गवर्नमेंट क्या रेंट चार्ज करती है? मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट कितना ख़र्च करती है? गवर्नमेंट को इंसेंटिव की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट क्या चार्ज करना चाहती है?

जनाबवाला, सन् १९५२ में जब वह पिछला बिल इस हाउस में आया था तो मैंने उस मौक़े पर चन्द एक अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट के मुलाहिज़े के वास्ते पेश किये थे और उस वक्त मैंने अर्ज़ किया था कि यह बिल इंसेन्टिव देता है और क्या होना चाहिये गवर्नमेंट अपने मकानात के वास्ते ६ पर-सेंट इंटेरेस्ट लेती है जो कि मेरी समझ में बहुत ज्यादा है। जितनी कौस्ट हो उसके ऊपर ३ परसेंट डिपार्टमेंटल चार्जेज़ लेती है। मैं जनाब को गवर्नमेंट के वह रेलेवेंट रूल्ज़ (संगत नियम) पढ़ कर सुनाऊंगा। गवर्नमेंट का अब जो रेट आफ प्राफिट है वह तक़रीबन ९ '७३ है। हम लोग जिन मकानों में रहते हैं, गवर्नमेंट हमसे उनका क्या किराया चार्ज करती है। मेम्बरान पार्लियामेंट को तो आपने २५ परसेंट की रिआयत दे रक्खी है? जो गवर्नमेंट की प्रापर्टी है वह जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, उसका प्राइवेट रेट चार्ज करने वालों से कोई मुक़ाबला नहीं। प्राइवेट जो मकान बनाने वाले हैं। उनको गवर्नमेंट के मुक़ाबले में ज्यादा खर्च करना पड़ता है: गवर्नमेंट के अपने रूल्ज़ कहते हैं कि ६ परसेंट बहुत रीज़नेबल है जो कि उसके ऊपर इंटेरेस्ट हो। मैं जनाबवाला, इस ६ परसेंट को बहुत ज्यादा समझता हूं। मैं समझता हूं कि यह ६ परसेंट जो किसी आदमी ने खर्च किया, कौस्ट आफ बिल्डिग (बनाने की लागत) और कौस्ट आफ़ लैंड (भूमि की लागत) पर लगाना यह जायज़ नहीं है, इतना किराया कोई नहीं दे सकता। मैंने पिछली दफा एक अमेंडमेंट पेश किया था जब यह सन् ५२ का पिछला ऐक्ट बना था और मैंने उसमें यह लिखा था कि गवर्नमेंट ६ परसेंट को अन-रीज़नेबल करार न दे। उस वक्त भी मैंने अपनी स्पीच में कहा था और आज मैं फिर उस को दुहराता हूं हालांकि मैं जानता हूं कि यह लैंडलार्ड्स को सख्त नापसन्द होगा लेकिन मुझे उसकी कोई पर्वाह नहीं और मैं तो कहूंगा कि मेरी तो राय यह है कि गवर्नमेंट सारा हिसाब लगा कर अगर ५ परसेंट का इंसेंटिव दे तो यह कोई कम इंसेंटिव नहीं है। ५ परसेंट से ज्यादा जो शख्स मकान के ऊपर चार्ज करना चाहता है वह हिन्दुस्तान की कंडिशन्स (स्थिति) को नहीं जानता और वह रुपये की ज्यादा पर्वाह करता है और मैं तो कहूंगा कि जो ५ परसेंट से ज्यादा इंटेरेस्ट लेता है वह एक तरीक़े से कैपीटेलिस्टिक मेंटैलिटी (पूंजीवादी प्रवृत्ति) रखता है।

मैं इससे आगे जाता हूं। मेरी राय में अगर सारा हिसाब लगा कर साढ़े ४ परसेंट गवर्नमेंट अगर लैंडलार्ड को दे दे, तो मैं उसको भी काफी समझता हूं। यही मैंने उस वक्त कहा था और आज फिर उस को दुहराता हूं। बम्बई गवर्नमेंट ने जब किराये वग़ैरह मुक़र्रर किये तो उन्हों ने ५ परसेंट अपने हिसाब में रक्खा था। अब हमारी गवर्नमेंट ६ परसेंट रक्खे तो यह ठीक नहीं है।

पेश्तर इसके कि मैं आगे चलूं, मैं जनाब की तवज्जह उन एथारिटीज़ (अधिकारियों) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह बतलाया गया है कि गवर्नमेंट कितना चार्ज करती है। मैं उन-को रेफ़र किये देता हूं। आनरेबुल मिनिस्टर साहब अगर उनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मेरे पास इस समय इतना वक्त नहीं है कि मैं उन को यहां पर पढ़ कर सुनाऊं।

[पं० ठाकुर दास भार्गव]

जब सन् १९५२ का ऐक्ट इस हाउस के सामने आया था उस वक्त जो मैं ने अमेंडमेंट्स पेश किये थे उन के अन्दर मैं ने गवर्नमेंट के रूल्ज़ जो इस बारे में हैं उन का हवाला दिया था और वह ४५ए और ४५बी थे । उन में साफ़ तौर पर यह दर्ज है :

"जब कोई सरकारी भवन किसी गैर सरकारी व्यक्ति को रहने या व्यापार के प्रयोजन के लिये दिया जाये तो उस का किराया महीने के महीने पेशगी लिया जाये और यह किराया उस क्षेत्र में उसी प्रकार के कामों के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले अन्य मकानों के प्रचलित किरायों की दर के अनुकूल हो ।"

गवर्नमेंट की पालिसी यह हुई कि जितनी प्राफ़िटिएरिंग (लाभ) चाहे कर ले लेकिन वह किराया फंडामेंटल रूल ४५ बी के मुताबिक कैलकुलेटेड (हिसाब लगाये गये) किराये से कम नहीं होगा ।

*ब्याज की दरें सरकार ने ३ प्रतिशत और ६ प्रतिशत रखी हैं । लेखा व्यय आदि मिला कर लगभग ६.७३ प्रतिशत निर्धारित किया गया है । मकान बनाने की सामग्री, मजदूरी और अन्य सभी वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हुई है । यह सब मिला कर तो करीब २५ प्रतिशत होनी चाहिये ।

अतः सरकार ने कुल ८ रु० ४ आने जो निर्धारित किया है उस से मकान मालिकों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा । अतः मकान मालिक मकानों की मरम्मत नहीं करायेंगे । मकान के अधिकार के सम्बन्ध में हम चाहते हैं कि सब के पास अपना मकान हो । आप ने उपबन्ध रखा है कि मकान मालिक अपने निजी काम के लिये मकान खाली करा सकता है । पर यदि वह अपने लड़के के रहने या उस के उपयोग के लिये खाली कराना चाहे तो आप खाली कराने की अनुमति नहीं देंगे । यह अन्याय है । हिन्दू संयुक्त परिवार में सम्पत्ति बाप-बेटों की मिली हुई होती है, । बम्बई में उपबन्ध इसी प्रकार का है । अतः आप भी मकान मालिकों को यह सुविधा ें ।

कुछ अन्य मामलों में भी आप ने किरा ेदारों को बहुत अधिक संरक्षण दिया है जो नहीं होना चाहिये । यदि कोई किरायेदार मकान मालिक के मकान में, यदि दोनों एक ही मकान में रहते हैं, बुरे कर्म करता है या गंदी बातें करता है तो आप निष्कासन का अधिकार मकान मालिक को क्यों नहीं देते । साथ ही यदि कोई व्यक्ति अपने मकान की मरम्मत कराना चाहे तो उसे अधिकार नहीं है कि वह किरायेदार से मकान खाली कराये । यह तो एक बड़ी शर्त है कि मरम्मत के बाद भी आप को मकान उसी किरायेदार को देना होगा । इस से तो मकान बनवाने का उत्साह नष्ट हो जायेगा । प्रामाणिक किराये के सम्बन्ध में आप १९३९ के १० प्रतिशत तथा १९५१ के ४ १/४ प्रतिशत को आधार मानते हैं । यह उचित नहीं है । विद्यमान बाजार मूल्य ही उचित दर हो सकती है । मैं किराये-दारों को कोई कष्ट देने के पक्ष में नहीं हूं । पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं और उन्हों ने अपने मकान किराये पर उठा रखे हैं ऐसे लोगों से सरकारी मकान छीन लिये जाने चाहियें और उन को अपने मकानों में रहने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये ।

इस के अतिरिक्त १९५६ के अन्त में हम ने अभी एक अधिनियम पारित किया था । उस समय आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र ही एक व्यापक अधिनियम प्रस्तुत किया जायेगा पर अब एक नया विधेयक प्रस्तुत किया गया है । मैं पूछता हूं कि दो-दो अधिनियमों को रखने से क्या लाभ ?

---

*यहां से भाषण अंग्रेजी में प्रारम्भ हुआ ।

नियंत्रकों की व्यवस्था कर के सरकार ने बहुत अच्छा किया है । वे कार्यकारिणी अधिकारी का भी कार्य करेंगे और न्याय सम्बन्धी अधिकार भी उन्हें प्राप्त होंगे । उन की योग्यता में ७ वर्ष का अनुभव कर दिया जाये तो बहुत अच्छा हो । अपील आदि का अधिकार उसे दिया गया है । अतः यह व्यवस्था संतोषजनक है ।

किरायेदारों द्वारा मकान का कुछ भाग किराये पर देने के सम्बन्ध में अभी तक यही व्यवस्था थी कि मकान मालिक की अनुमति से ऐसा किया जा सकता था । इससे मकान मालिक व किरायेदार दोनों को लाभ होता था । पर अब इस परिपाटी की खुली अनुमति दे कर हम अधिक भीड़भाड़ को को बढ़ा रहे हैं । मेरा निवेदन है कि इस प्रणाली को निरुत्साहित किया जाये ।

मुझे इस बात पर भी आपत्ति है कि यदि किरायेदार ने बिजली तथा पानी का खर्च का भुगतान न किया हो तो किरायेदार के साथ मकान मालिक भी उस के लिये उत्तरदायी होगा । ऐसा क्यों ? अतः मकान मालिक पर से यह उत्तरदायित्व हटा लिया जाये । एक बात और है डिक्री मिलने के बाद भी कई बार मालिक मकान को मकान पर कब्जा नहीं मिलता । ऐसी अवस्था में कई बार दुर्घटनायें भी सुनी गई हैं । ठीक है, मकान छोड़ने में कुछ दुख, पीड़ा और कठिनाई होती ही है । पर डिग्री के बाद पुलिस की सहायता से मकान मालिक को कब्जा दिलाया जाना चाहिये ।

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के किरायेदार बहुत दिनों से जिस विधेयक की प्रतीक्षा कर रहे थे वह सदन में जिस रूप में उपस्थित किया गया है उस से उन को बड़ी निराशा हुई है । इस विधेयक के बारे में सरकार का दावा है कि उस ने मध्यम मार्ग का अवलम्बन किया है, मकान मालिकों को भी खुश करने की कोशिश की है और किरायेदारों को भी खुश करने की कोशिश की है । नतीजा यह हुआ है कि न किरायेदार खुश हुए हैं और न ही मकान मालिक खुश हुए हैं, रामाय स्वस्ति, रावणाय स्वस्तिः । यह नीति हमें बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती है और केवल इसी आधार पर इस विधेयक की धाराओं का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता है, कि चूंकि दोनों वर्ग इस के सम्बन्ध में अपनी शिकायतें प्रकट करते हैं इसलिये जो कुछ इस में है उसे ठीक होना ही चाहिये । मेरा निवेदन है कि प्रवर समिति इस विधेयक की धाराओं पर विस्तृत रूप से विचार करेगी ।

किन्तु मोटे तौर पर इस विधेयक में कई बातें ऐसी हैं जिन का संशोधन होना चाहिये । उदाहरण के लिये जून १९५१ के पूर्व बने हुए मकानों का किराया दस फीसदी बढ़ाने की जो मकान मालिकों को छूट दी गई है, मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं है । जीवन की आवश्यक वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा है । मध्यम वर्ग जिस की मर्यादित आय है वह बढ़ते हुए भावों और बढ़ते हुए टैक्सों के पाट में पिस रहा है । मकान मालिकों को दस प्रतिशत किराये में वृद्धि करने की छूट देने का परिणाम यह होगा कि किरायेदारों पर बोझा बढ़ेगा । यद्यपि इस वृद्धि के लिये यह कहा गया है कि मकानों की मरम्मत होना है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर कोई मकान मालिक मरम्मत न करे या ऐसी मरम्मत करे जो ऊपर से मरम्मत दिखाई देती हो लेकिन जिस से किरायेदार का समाधान न हो तो इस विधेयक में उस के विरुद्ध क्या व्यवस्था की गई है ।

एक माननीय सदस्य : किरायेदार की मरम्मत हो जायगी ।

श्री वाजपेयी : अब तक का तो एसा अनुभव रहा है कि मकान मालिक अपने मकान की मरम्मत कराने के बारे में बहुत ढिलाई से काम लेते हैं । लिपाई पुताई भले ही कर दी जाय लेकिन जिस मरम्मत में थोड़ा सा भी धन का व्यय है, उसे वे टालने की कोशिश करते हैं । किराया तो बढ़ा दिया जायगा लेकिन किरायेदार की आवश्यकता के अनुरूप मकान में मरम्मत होगी, इस का ध्यान रखने का इस विधेयक में कोई भी ठोस प्रयत्न नहीं किया गया है ।

[श्री वाजपेयी]

इस सम्बन्ध में यह बात स्मरण रखने लायक है कि १९५२ का जो दिल्ली एंड अजमेर रेंट कंट्रोल एक्ट था उस के अन्तर्गत २ जून १९४४ से पूर्व के मकानों पर मकान मालिकों को २५ फीसदी से ले कर ५० फीसदी तक अपना किराया बढ़ाने की छूट दी गई थी। यह छूट १९५२ में दी गई थी और इस विधेयक के द्वारा उन को फिर से किराया बढ़ाने की छूट दी जा रही है जिसे किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। स्पष्ट है कि इस विधेयक के परिणामस्वरूप किरायेदारों में असन्तोष उत्पन्न हुआ है और उन की जो भी समस्या है उस को यह विधेयक पूरी तरह से दूर करने का प्रयत्न नहीं करता।

अभी माननीय सदस्य ने सब-लेटिंग के बारे में कुछ कहा है। मेरी यह समझ में नहीं आता है कि लैंडलार्ड को जब यह छूट दी जा रही है कि वह किराये में वृद्धि करे १२·५ प्रतिशत की और २५ प्रतिशत की, लेकिन अगर कोई टेनेंट सब-टेनेंट को दे तो उस को २५ प्रतिशत और ५० प्रतिशत तक किराया बढ़ाने की छूट दी गई है। इस का विरोध हुआ है और मैं समझता हूं कि ऐसा भेदभाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो ठीक है कि जब सब-लेट किया जाता है तो भीड़ बढ़ जाती है और जेलों में भले ही ऐसी व्यवस्था हो कि कैदियों की संख्या निर्धारित संख्या से ऊंची न होने पावे

श्री ब्रजराज सिंह (फ़िरोज़ाबाद) : वहां भी नहीं हो पाता है।

श्री वाजपेयी : लेकिन भीड़ की बात यह है कि स्वयं भारत में जेलों की अपेक्षा जेलों के बाहर की दशा खराब है। लेकिन जब हमें चुनना है कि कोई व्यक्ति खाली छत के नीचे, धूप म, बरसात में या गर्मी में अपने दिन बितायें या भीड़भाड़ में रहे, तो म समझता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण इस बात की मांग करता है कि भीड़भाड़ को सहन कर लिया जाये, मगर सिर छिपाने के लिये छत तो होनी चाहिये। यह ठीक है कि अगर आमदनी के लिये, धन की प्राप्ति के लिये सब-लेटिंग किया जाता है तो उस को निरुत्साहित किया जाय। लेकिन उस समस्या का एक पहलू और भी है कि देश में मकानों की कमी है। दिल्ली में लाखों लोग बेघरबार हैं। उन्हें सिर छिपाने के लिये जगह चाहिये और जो भी पगड़ी की या अन्य बुराई पैदा होती है उस का मूल कारण यही है कि मकानों का अभाव है और जब तक सरकार विशाल पैमाने पर मकानों का निर्माण नहीं करती और उन्हें नो-प्राफिट नो-लास बेसिस पर लोगों को नहीं देती तब तक यह समस्या रहने वाली है। मगर हमारी सरकार को क्या कहिये जो इस में भी मुनाफ़ाखोरी कर रही है। दिल्ली में जिसे डिवेलेप्ड प्लाट कहा जाता है, ४५ रुपया गज़ पर दिल्ली डिवेलेपमेंट आथारिटी द्वारा बेचा जा रहा है। अगर इस भाव पर ज़मीन बेची जायगी और जब तक वह डिवेलेप्ड न हो, उस में सभी सुविधायें उपलब्ध न हों, तब तक उस पर सरकार मकान बनाने की इजाज़त नहीं देगी, और जब ये सुविधायें उपलब्ध कर दी जायेंगी और उस पर मकान बनेंगे तो वे कितने किराये पर दिये जायेंगे इस का अंदाज़ा आप कर सकते हैं। एक आम आदमी तो उसे प्राप्त ही नहीं कर सकेगा। इस वास्ते मकानों की कमी को दूर करने के लिये सरकार ने बिल में कोई ठोस और प्रभावी योजना नहीं बनाई और उस कमी की पूर्ति में जो भी कठिनाइयां पैदा होती हैं उन के निराकरण के लिये ऐसे उपाय अपनाये जा रहे हैं जो उन कठिनाइयों को सच्चे अर्थों में दूर नहीं करते। मेरा निवेदन है कि सब-लेटिंग के सम्बन्ध में जो लैंडलार्ड और टेनेंट और टेनेंट और सब-टेनेंट के बीच में किराया बढ़ाने के बारे में भेदभाव किया गया है, यह ठीक नहीं है। इस पर प्रवर समिति विचार करेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।

इस विधेयक में १ जून, १९५५ तक बने हुए मकानों को छूट दी गई है किन्तु बाद में बने हुए मकानों के लिये छूट नहीं है। यह किस कारण से किया गया है यह समझने में मैं असमर्थ हूं। मेरा

निवेदन है कि नये मकानों का किराया भी अभी निर्धारित करना चाहिये तथा उस में छूट देने का परिणाम अच्छा नहीं होगा ।

यह ठीक है कि नये नये मकानों के निर्माण के लिये लोग प्रोत्साहित हों, इस बात की व्यवस्था करें। लेकिन एक प्रवृत्ति दिखाई देती है और वह बढ़ रही है ? वह प्रवृत्ति यह है कि लोग समझते हैं कि भूमि का तो राष्ट्रीयकरण हो गया, जो जोतेगा, ज़मीन उस की होगी । और अब जब सम्पत्ति की सीमा निर्धारित की जा रही है, इसलिये लोग येन केन प्रकारेण, उचित या अनुचित उपायों से धन का संचय करते हैं और मकानों के निर्माण में लगाते हैं । और वह समझते हैं कि मकान हमारे सुरक्षित रहेंगे । मैं समझता हूं कि इस प्रवृत्ति को निरुत्साहित किया जाना चाहिये । जो मकान मालिक हैं उन का काल के, युग के संकेत को समझना चाहिये कि वह समय आने वाला है जब एक से अधिक मकान जिस के पास होंगे, उन को उसे दूसरों को देना होगा । अगर वे गृहदान कर दें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कानून से यह हस्तक्षेप करना होगा । इसलिये कि मकानों के निर्माण को प्रोत्साहन देना है, किराये को बढ़ाया जाय और उन को अन्य सुविधायें दी जायें, इस प्रवृत्ति को मैं ठीक नहीं समझता ।

मकानों की जो कमी है उस को जब तक सरकार अपने प्रयत्नों से पूरा नहीं करेगी तब तक वह कभी दूर होने वाली नहीं है । मकान मालिक मकान बनाते हैं मुनाफे के लिये । उन से यह आशा करना कि वह किरायेदार की सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, आकाश कुसुम के समान है । आकाश कुसुम जैसी कोई वस्तु नहीं । इसी तरह से मकान मालिक के सारे काम लाभ को दृष्टि में रख कर किये जाते हैं । इस में कुछ अपवाद हो सकते हैं, परन्तु वे अपवाद नियम को सिद्ध करते हैं, उसे गलत साबित नहीं करते । और इसलिये विधेयक में मकान मालिक और किरायेदारों के बीच में जो सन्तुलन स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है, मैं समझता हूं कि वह सफल नहीं होगा । सरकार को किरायेदारों की कठिनाइयों का विचार करना चाहिये ।

यह मैं स्वीकार करता हूं कि किरायेदारों के अधिकारों की भी सीमायें होनी चाहियें, जैसी इस विधेयक के अन्दर व्यवस्था की गई है, और अगर कोई किरायेदार मकान मालिक के लिये या आस पास के पड़ोसियों के लिये मुसीबत का कारण बन जाये, फिर भी उसे निकाला नहीं जा सकता, इस से मैं सहमत नहीं हूं । जो निकाले जाने के पात्र हैं उन्हें अवश्य निकाला जाय । मगर मकान मालिक के हाथ में ऐसे अधिकार न रक्खे जायें जिन का दुरुपयोग हो और मुझे आशंका है कि इस विधेयक के द्वारा मकान मालिकों पर जितना नियंत्रण चाहिये, उतना नहीं रक्खा गया है और इसी के कारण सरकार के इस विधेयक का कहीं स्वागत नहीं हुआ । बहुसंख्यक जनता ने इस को निराशा के रूप में लिया है । विधेयक निराशाजनक है । मुझे विश्वास है कि प्रवर समिति इस विधेयक की सारी कमियों को दूर करेगी और मैं सरकार से इस बात की अपील करूंगा कि दिल्ली और नई दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए उसे मकानों के निर्माण की एक व्यापक योजना अपने हाथ में लेनी चाहिये । समस्या का निराकरण इसी से होगा, अन्य कोई रास्ता नहीं है ।

श्री जाधव (मालेगांव) : इस बिल के सदन के सामने आने के पहले भी इस बिल की कमियां सामने आईं और वह कमी रहेगी । यह बिल सदन के सामने आने वाला है और इस बिल की ड्राफ्टिंग करते वक्त जो जो बातें सामने आईं वह बाहर भी गईं और उन का असर यह हुआ कि यह बिल जो मकान मालिक के हैं उन के लिये फेवरेबल है और उन के दबाव के कारण यहां पर लाया गया । मुझे ऐसा मालूम होता है कि जिस स्वरूप में यह बिल सदन के सामने है वह ज्यादातर मकान मालिकों का फायदा करने के लिये है । जो मकानों में रहने वाले लोग हैं उन को उस से कम फायदा होने वाला है । मुझे तो अपने डिप्टी मिनिस्टर साहब की दयनीय परिस्थिति पर बहुत रहम आता है । जिस पार्टी के वे नुमायन्दे हैं, ट्रेजरी बेंचेज़ के बिल के होते हुए भी उन की पार्टी के लोगों ने इस बिल की जो

[श्री जाधव]

दशा बतलाई है उन के ऊपर उस का क्या असर होने वाला है, मैं आज समझ नहीं सकता । लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हमारी पार्टी के लोग हैं जब वे इस बिल के ऊपर अपनी राय गवर्नमेंट के खिलाफ देते हैं तो उस से हमें इस बिल के बारे में सोचना चाहिये और इस को हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब को ग़ौर से सुनना पड़ेगा ।

कुछ माननीय सदस्य : राज्य मिनिस्टर ।

श्री जाधव : राज्य मंत्री को ही सही, उन को बहुत गौर से सुनना पड़ेगा । बात यह है कि मकानों की किल्लत है और मकानों की किल्लत की वजह से मकान मालिक फायदा उठाते हैं । इसलिये रेंट कंट्रोल बिल सामने आता है और जहां कंट्रोल का सवाल आता है, वहां जो पैसे वाले लोग हैं, उस का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं । इस लिये हमें इस की तरफ बुनियादी बातों के हिसाब से देखना चाहिये । दिल्ली की आबादी बढ़ती जा रही है और आगे भी वह बढ़ती रहेगी । सन् १९४७ के पहले, आजादी आने के पहले, दिल्ली की आबादी सिर्फ ५ लाख थी, और अब बताया जाता है कि वह लगभग २२ लाख के हो गई है ।

श्री नवल प्रभाकर : २४ लाख ।

श्री जाधव : यहां फिगर्स अलग अलग होते हैं । हमारे यहां के स्टैटिस्टिक्स ही ऐसे होते हैं । मैं ने इस दिल्ली की रहने वाली अपनी बहन सुभद्रा जोशी जी से पूछा कि क्या आप जानती हैं कि दिल्ली में कितने मकानात हैं । उन्होंने कहा कि जब १९५२ में यह बिल आया तब भी कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त भी यह मालूम होना बहुत मुश्किल था कि सही फिगर क्या हैं । जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं उन को सामने रखते हुए और जो दूसरी एरियाज में बिल्डिंग्स हैं उन को सामने रखते हुए, अभी भी मकानों की बड़ी किल्लत है । गवर्नमेंट के जो मुलाजिम हैं उनके लिये भी गवर्नमेंट पूरी तरह मकान नहीं दे पा रही है । जो दस साल तक सर्विस कर चुके हैं, शायद उन को मकान मिल रहे हैं । इस से कम सर्विस वालों को मकान मिलना मुश्किल हो जाता है । यह गवर्नमेंट का हाल है तो फिर और लोगों की क्या दशा होगी, यह हम समझ सकते हैं । सही मानों में गवर्नमेंट को यह जिम्मेदारी अपने सामने रखनी चाहिये थी । मैं यह समझ सकता हूं कि गवर्नमेंट के सामने यह नक्शा है । जो प्लैन्स बनी हैं, उन के जरिये हमें कितने मकानों की जरूरत है, हर जगह हमें कितने मकानात बढ़ाने पड़ेंगे, इस के लिये वह योजना बनायें, लेकिन हमारी गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ी खामी है और वह यह है कि कानून बनाने के लिये तो हमारी सरकार बहुत आगे कदम रखती है, बहुत से कानून बनते हैं, लेकिन उन को अमल में लाने से हमारी सरकार हमेशा बहुत झिझकती है, झिझकती रही है । मान लीजिये कि यहां की आबादी २१ लाख से ले कर २४ लाख तक है । हमारे देश में फैमिली यूनिट चार या पांच आदमियों का है । इस हिसाब से यहां दिल्ली में कितने मकानों की जरूरत है यह हमें सोचना चाहिये और इस का सर्वे करना चाहिये । यह काम इस गवर्नमेंट को सब से पहले करना चाहिये और धीरे धीरे मकान बनाने की कोशिश करनी चाहिये । यहां जमीन की कीमत कितनी देनी पड़ती है । अभी बताया गया कि डेवेलपमेंट बोर्ड खुद जमीन खरीदता है और किराया तय करने के वक्त, जमीन की कीमत और उस पर जो इमला बनता है उस की कीमत लगाता है । मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को डेवेलपमेंट करते वक्त देखना चाहिये कि जो प्लाट्स हम खरीदते हैं डेवेलपमेंट करने के बाद उनकी कीमत कम से कम हो ।

वहां जो गवर्नमेंट की तरफ़ से सुधार करने हों, उसकी सही क़ीमत जो हो, वह ऐक्विज़ीशन की क़ीमत देखने के बाद गवर्नमेंट को प्लाट्स बनाने चाहियें ।

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने जैसे कहा मैं भी उनसे सहमत हूं कि इस बिल में जो किराया तय करने का फ़ारमूला दिया हुआ है वह बहुत ग़लत है। हमारे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि किराया ५ फ़ीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ५ फ़ीसदी ही क्यों वह तो साढ़े चार फ़ीसदी से भी कम होना चाहिए लेकिन दूसरी तरफ़ वे कहते हैं कि लैंडलार्ड्स के इंटरेस्ट्स की ओर भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए और उनको बिलकुल नज़रअंदाज़ नहीं कर देना चाहिए। सवा आठ फ़ीसदी से ज्यादा उनको किराये की तौर पर मिलना चाहिए, यह जो गड़बड़झाला है यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझता हूं कि किराया तय करते वक्त किराया देने वाले आदमी की पेइंग कैपेसिटी (अदायगी की क्षमता) क्या है, इसको हमें देखना पड़ेगा।

मैं अभी एक गवर्नमेंट के मुलाज़िम से मिला और पूछा कि तुमको क्या तनख्वाह मिलती है। उसने मुझे बतलाया कि सब तनख्वाह एलाउंस वगैरह मिला कर १७० रुपये माहवार मिलते हैं। उसमें से १० फ़ीसदी रक़म मकान किराये के तौर पर काट ली जाती है क्योंकि उसे गवर्नमेंट की तरफ़ से क्वार्टर मिला हुआ है। मकान किराया, बिजली और पानी इन सब को मिला कर १७० रुपये में से क़रीब ४० रुपये कट जाते हैं और कुल १३० रुपये उसके पास बाक़ी बच रहते हैं। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि इस १३० रुपये में वह खुद अपने को, अपनी पत्नी और चार, पांच बाल बच्चों को कैसे पाल पोस सकता है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। इस हमारी दिल्ली में गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ख़ास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के, कारपोरेशन के, म्युनिसिपल कमेटीज़ के गवर्नमेंट सर्वेंट्स की आबादी ज्यादा है। यहां रेफ्यूजीज़ की आबादी ज्यादा है। यहां पर हिन्दुस्तान के हर कोने से मज़दूर और ग़रीब लोग यहां आकर बसे हुए हैं। ऐसे लोगों की पेइंग कैपेसिटी क्या है, किराया देने की ताक़त क्या है, उसकी तरफ़ हमें देखना पड़ेगा और उसको देखते हुए यह जो रेंट का फ़ारमूला बनाया गया है, वह सही फ़ारमूला नहीं है।

दूसरी बात मैंने इसमें यह देखी है कि स्टैंडर्ड रेंट (नियमोचित दर) तय करते वक्त एक साल से अगर ज्यादा कोई आदमी मकान में रहेगा तो स्टैंडर्ड रेंट को तय करने का जो क़ानून है उससे जो फ़ायदा मिलने वाला है वह फ़ायदा मकानमालिक को मिलेगा और वह फ़ायदा किरायेदार को नहीं मिलेगा। मकान मालिक हमेशा यह देखेगा कि वह मकान किराये पर देते वक्त हमेशा उसका जो लीज़ का पीरियड होगा वह उसको हमेशा एक साल से कम रखने की कोशिश करेगा नहीं तो लाइसेंसी की तौर पर उसे रहने के लिए कहेगा ताकि उसको वह फ़ायदा न मिले।

अब जहां तक मकानदारों के खुद के इस्तेमाल के लिये अपने घरों को खाली कराने की बात चलती है और मकानदार इस बेसिस पर कि उसे अपना मकान खुद अपने लिये चाहिए, उसमें से किरायेदार को एविक्ट कर सकता है तो उसके लिए बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं कि किस तरह किरायेदारों को अगर सताना होता है तो कुछ न कुछ बहाना ढूंढ कर निकाल लिया जाता है और उन को बेदखल कर दिया जाता है। कभी यह चीज़ सामने लाई जाती है कि अमुक किरायेदार चूंकि न्युसेंस है इसलिए उसको मकान से निकाला जाना चाहिए और कभी उनके खिलाफ़ कोई केस बनाया जाता है और उनको मकानों से निकालने की कोशिश की जाती है। मैं चाहता हूं कि जब यह बिल ज्वाएंट कमेटी के पास जा रहा है तो किरायेदारों की इस आम शिकायत और परेशानी की ओर भी देखा जाय और उसको रफ़ा करने की कोशिश की जाय।

इस बिल में इसका भी कोई ज़िक्र नहीं है कि जब यह बिल ऐक्ट बन जायेगा तो यह कब से लागू होगा। बिल में यह ज़रूर कहा गया है कि उसके लिए गवर्नमेंट को गज़ट में नोटिस देना पड़ेगा। मुझे यह कहना है कि जब यह बिल ज्वाएंट कमेटी के पास जाय तो इस के लिए भी सोचा जाय कि इस को कब से लागू किया जाय ताकि यह बिल इस सदन के पास होने के बाद और ऐक्ट बन

[श्री जाधव]

जाने के बाद जहां जहां इसको लागू करना चाहते हैं वहां वहां पर एक निश्चित तिथि से अमल में लाया जा सके । ज्वाएंट कमेटी की इस बिल में जो ख़ामियां हैं, मसलन रेंट तय करने की, उसकी तरफ़ ध्यान देना होगा । लोगों की पेइंग कैपेसिटी को भी उसे देखना होगा । हमें यह भी देखना चाहिये कि जो मकानमालिक लोगों से पगड़ी लेते हैं वह नाजायज़ चीज किस तरह से बंद की जा सकती है । हमारे जो कंट्रोलर्स हैं, असिस्टेंट कंट्रोलर्स हैं या यह जुडिशिएरी के मजिस्ट्रेट्स आयेंगे जिन्होंने कि जुडिशिएरी में ५ साल तक सर्विस की है, लेकिन उधर भी हमें यह देखना पड़ेगा कि बराबर इस बात को अमल में लाने के लिए वह कोशिश की जाती है या नहीं ।

अब जब कि यह बिल ज्वाएंट कमेटी के पास जा रहा है तो मुझे आशा है कि उसका ध्यान बिल की इन ख़ामियों की ओर जायगा और उन ख़ामियों को दुरुस्त करने की कोशिश की जायेगी ।

जहां तक सबलैटिंग का ताल्लुक़ है, यह गैरक़ानूनी नहीं क़रार देनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं । यह चीज़ अख़बारों में भी आ चुकी है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी इससे परिचित होंगे कि यहीं दिल्ली में कई बस्तियां ऐसी हैं जिनमें कि लोगों को दो, दो कमरे वाले मकानों का २००, २०० रुपये तक माहवारी किराया देना पड़ता है और मुझे बतलाया गया कि कुछ बस्तियों जैसे डिप्लोमेटिक इनक्लेव आदि में तो २, २ हज़ार रुपये माहवार किराया देना पड़ता है । अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब आदमी को मजबूरी से इतना अधिक किराया देना पड़े और अगर वह सबलैटिंग करने पर मजबूर हो जाय तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि ऐसा वह कोई खुशी से नहीं करता है और आज जो इस सबलैटिंग को गैर क़ानूनी करने की बात चलती है वह कहां तक उन किरायेदारों के साथ इंसाफ़ होगा ? उसके पहले जो सबलैटिंग हुई है उसके बारे में तो कुछ कर नहीं सकते लेकिन उसके बाद भी अगर सबलैटिंग होगी, तो उसको भी गैरक़ानूनी क़रार देना ठीक नहीं होगा । इन बातों की तरफ़ ज्वाएंट कमेटी को भी देखना चाहिए और जिन बातों की तरफ़ मैंने इशारा किया है, उन बातों की तरफ़ भी अगर मिनिस्टर साहब देखेंगे तो इस बिल को सदन में लाने का जो मक़सद है वह पूरा हो सकेगा, ऐसा मैं मानता हूं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मुझे किराया नियंत्रण विधान की काफी जानकारी है । बम्बई राज्य का अनुभव बताता है कि किरायेदारों को जो भी परित्राण दिये जाते हैं, वे कभी अमल में नहीं आते ।

हम सभी मानते हैं कि ऐसा कोई विधान बनाते समय कुछ बुनियादी सिद्धान्तों का ध्यान रखा जाना चाहिये । नयी इमारतों का निर्माण भी नहीं रुकना चाहिये और साथ ही किरायेदारों का शोषण भी नहीं होने देना चाहिये । किरायेदारों को यह भी यकीन रहना चाहिये कि मकानों की मरम्मत होती रहेगी और साथ ही मरम्मत कराने के लिये मकान मालिकों को उचित मुआवज़ा भी मिलना चाहिये । बम्बई का अनुभव तो यह है कि मकान मालिक किराया बढ़ाने को तो उत्सुक रहते हैं, लेकिन मरम्मत की ओर ध्यान नहीं देते ।

यह विधेयक बड़े पेचीदा किस्म का बना दिया गया है । इसका कारण यह है कि दिल्ली में पहले से भी किराया नियंत्रण विधान मौजूद रहा है और पहले का विधान बड़े पेचीदा किस्म का था । उसमें किराये को तीन प्रकारों में बांटा गया है—मूल किराया, बुनियादी किराया और नियमोचित किराया । इसी प्रकार, इन किरायों के लिये, मकानों को भी विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे १६५१ के पहले और उसके बाद के मकान । १६५१ के बाद के मकानों की भी दो श्रेणियां हैं । यह सब इतना उलझा हुआ है कि किरायेदार उसे समझ ही नहीं पाते ।

†मूल अंग्रेज़ी में

इस विधेयक में सरकार ने किराया नियंत्रण विधान की लगभग सभी बातों को लिया है, लेकिन मकान मालिकों के साथ नरमी बरती गई है । मैं मकान मालिकों की उचित मांगें मानने को तो तैयार हूं, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं कि चूंकि पहले किराये की दरें कम रखी गई थीं, इसलिये अब उन्हें अधिक किराया मिलना चाहिये । आजकल तो मकान मालिकों को वैसे ही काफी लाभ हो रहा है, क्योंकि जमीन की कीमत तीन और चार गुनी तक बढ़ चुकी है । नये मकानों के निर्माण के लिये मकान मालिकों को इतना ही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये कि उन्हें अगले पांच वर्ष तक निर्माण की वास्तविक लागत का पंद्रह प्रतिशत अतिरिक्त दिया जाये । उसके बाद किसी निर्धारित सूत्र के अनुसार ही उनको कुछ दिया जाये ।

लेकिन इस विधेयक में तो जो व्यवस्था की जा रही है उसके अनुसार ८ जून, १९५५ के बाद बनने वाले मकानों के किराये में वे मनचाही वृद्धि कर सकते हैं । ऐसे मामलों में आपस में तय किये गये किराये को ही नियमोचित किराया मान लिया गया है । इससे तो किरायेदारों का खूब शोषण होगा । उन्हें सिर्फ इतनी ही सुविधा दी जानी चाहिये कि वे १९५१ के बाद बनने वाले मकानों के निर्माण की वास्तविक लागत की पन्द्रह प्रतिशत अधिक राशि के आधार पर किराया रख सकें, और यह भी सिर्फ पांच-सात वर्षों के लिये । पर, इस अवधि के बाद उन्हें सवा आठ प्रतिशत से अधिक की छूट नहीं दी जानी चाहिये और १९५१ से पहले के मकानों के लिये मकान मालिकों को उन मकानों के मौजूदा बाजार भाव का ८$^{२}/_{३}$ प्रतिशत देकर उसमें से अवक्षयण के मूल्य की राशि घटा देनी चाहिये और उसी के आधार पर कम से कम किराया निर्धारित करना चाहिये । यह काफी और उचित होगा । सरकार को मकानों की बस यही दो श्रेणियां——१९५१ से पहले और १९५१ के बाद के मकान——बनानी चाहिये । लेकिन सरकार तो १९३९ के मकानों के मालिकों तक को खुश रखना चाहती है । इसीलिये, मैं कहता हूं कि नियमोचित किराये के आधार पर हमें फिर से विचार करना चाहिये ।

बम्बई में मकानों की मरम्मत न होने के कारण बड़ी संकटपूर्ण परिस्थिति पैदा हो गई है । वहां १७,००० मकान ऐसे हैं जो अगले पांच-दस वर्षों में मरम्मत न होने के कारण गिर जायेंगे और तब बड़ी विषम परिस्थिति पैदा हो जायेगी । यही हाल दिल्ली का है । यहां सरकार मकान मालिकों को मरम्मत के लिये दस प्रतिशत अधिक देने को तैयार है, लेकिन होगा यह कि वे दस प्रतिशत लेकर भी मरम्मत नहीं करायेंगे । सरकार इसी विधेयक में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर देती कि पहले मकान मालिक मरम्मत कराये और उसके बाद ही उसे १० या १५ प्रतिशत अधिक लेने का हक हो । मरम्मत के लिये किरायेदारों के प्रार्थनापत्र लिये जायें, और मरम्मत हो चुकने पर नगरपालिका के इंजीनियर उस मरम्मत की लागत का प्राक्कलन करें और उस प्राक्कलन का दस प्रतिशत अधिक मकान मालिक को मिल जाये । इससे किसी को भी शिकायत नहीं रह जायेगी ।

कुछ मकान मालिक तो मरम्मत कराते ही नहीं, और कुछ दूसरे मकान मालिक मरम्मत के बहाने किरायेदारों को निकालना चाहते हैं । इसलिये किरायेदारों को यह शक्ति दी जानी चाहिये कि वह नगरपालिका के इंजीनियर से अनुमति लेकर स्वयं उचित मरम्मत करा सकें । मरम्मत का खर्च वे किराये में से काट सकते हैं । बम्बई में ऐसी व्यवस्था की गई थी, लेकिन कोई भी किरायेदार इसके लिये तैयार नहीं हुआ, क्योंकि किराये की अदायगी बन्द होते ही मकान मालिक कई तरीकों से किरायेदारों पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं । गरीब किरायेदार उनके खिलाफ खड़े नहीं हो पाते । इसलिये किरायेदारों को सरकार का संरक्षण भी मिलना चाहिये ।

मेरा अपना ख्याल यह है कि किरायेदारों द्वारा किराये के मकान के किसी भाग को किराये पर उठाने पर कोई रोक नहीं लगाई जानी चाहिये । यदि आप ठीक समझें तो उस किराये का कुछ प्रतिशत भाग मकान मालिक को भी दे दिया जाये ।

[श्री नौशीर भरुचा]

इसी प्रकार भागीदार बनने पर भी प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये, क्योंकि उसका मतलब होगा नये व्यवसाय को हस्तांतरित करने पर प्रतिबन्ध लगाना। यह अनुचित होगा।

बेदखल करने के लिये शर्तें रखी गई है कि उसका कारण सदाशयपूर्ण होना चाहिये। सदाशयपूर्ण की जगह, "उचित" शब्द रहना चाहिये। मकान मालिक किसी मामले में बड़े सदाशयपूर्ण उद्देश्य से मकान खाली करवाना चाहे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उसका काम उचित न हो। इस सम्बन्ध में, न्यायालय को यह शक्ति दी जानी चाहिये कि वह आवश्यकता पड़ने पर मकान मालिक और किरायेदार के बीच मकान के भागों का बंटवारा भी कर सके। बम्बई के अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है। सरकार को सदा ही किरायेदारों की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिये।

फिर, नये मकानों के निर्माण की जो इतनी लम्बी-चौड़ी बातें की जा रही हैं, वे सभी नये मकान ऐसे किरायेदारों के लिये बनते हैं जो २०० या ३०० रुपये किराया दे सकते हैं। मजदूरों और निम्न मध्यमवर्ग के लिये मकान जुटाने की ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। सरकार को इन लोगों के लिये मकान बनाने वाले मालिकों की सहायता करनी चाहिये। देश को ऐसे ही मकानों की सब से ज्यादा जरूरत है। आशा है कि प्रवर समिति इन सभी बातों पर विचार करेगी।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह न तो मकान मालिकों और न किरायेदारों ही के साथ कोई पक्षपात करता है।

इस किराया नियंत्रण विधेयक की सब से महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि इस में मकान मालिकों और किरायेदारों के विवादों का शीघ्र ही निबटारा करने की व्यवस्था की गई है। इससे दोनों ही पक्षों को बड़ा लाभ होगा। इस सम्बन्ध में, मेरा एक सुझाव यह है कि अभी व्यवहार न्यायालयों में बेदखली के जो लगभग ५,००० मामले विचाराधीन पड़े हैं, उनको भी किराया नियंत्रकों को सौंप दिया जाये। इससे उनका निबटारा भी शीघ्रता से हो जायेगा।

लेकिन मैं इस से भी ज्यादा ज़ोर मकानों की तंगी की समस्या पर देना चाहता हूं। इस समस्या पर हमें आर्थिक दृष्टि से—सम्भरण और पूर्ति की दृष्टि से ही विचार करना चाहिये, किरायेदारों की गरीबी या उनकी कठिनाई की दृष्टि से नहीं। इस सदी के दूसरे या तीसरे दशक में मकानों की ऐसी तंगी नहीं थी। उस समय मकान मालिक अच्छे, भले किरायेदारों के पीछे दौड़ते थे। अब हालत बिलकुल ही उलटी हो गई। माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि यह समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि सरकार अकेली ही इसे हल नहीं कर सकती। यह तभी हल की जा सकती है जबकि निजी मकान मालिक मकानों के निर्माण पर अधिकाधिक व्यय करें। और उसके लिये ज़रूरी है कि इस विधेयक की व्यवस्थायें ऐसी हों जिन से निजी निर्माणकर्ताओं को प्रोत्साहन मिले।

आज तो हालत यह है कि अच्छे मकानों का निर्माण हो ही नहीं रहा है। इसीलिये अब प्रश्न यह उठता है कि निजी मकान मालिकों को नये-नये निर्माणों के लिये प्रोत्साहन कैसे दिया जाये। यह काम सरकारी नीति का है। लेकिन आज तो हर राज्य अपनी अलग-अलग नीति पर चल रहा है। एक कोई सुनिश्चित सरकारी नीति ही नहीं है। सरकार की नीति यह होनी चाहिये कि निजी तौर पर मकानों का निर्माण कराने वालों को उचित आय हो सके। उन्हें उनके विनियोजनों पर उचित मुनाफ़ा मिलना चाहिये और उसका एक निश्चित प्रतिशत मात्रा निर्धारित कर दी जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा सुझाव है कि उनका मुनाफा ६ प्रतिशत रहना चाहिये । संयुक्त समिति को इस पर विचार करना चाहिये। उसे जितने भी प्रतिशत मिले, लेकिन ज्यादा महत्व की बात तो यह है कि निर्धारित मुनाफे की दर मिलने की गारंटी रहनी चाहिये । तभी उनको नये निर्माणों की प्रेरणा मिलेगी।

एक माननीय सदस्य ने इस प्रश्न का एक दूसरा पहलू रखा है कि सभी चीजों के दाम बढ़ गये हैं और किरायेदार अधिक किराये नहीं दे पाते, इसलिये किरायों में कमी की जानी चाहिये । यह करना मकान मालिकों के लिये बड़ा अन्यायपूर्ण होगा, क्योंकि रुपये का मूल्य कम हो गया है और मकान मालिकों को आज जितना भी किराया मिलता है उसका वास्तविक मूल्य पहले ही बहुत कम हो गया है । उसमें और कमी करना अन्यायपूर्ण होगा । इसीलिये मैं कहता हूं कि मकान निर्माण में विनियोजन करने वालों को विनियोजित राशि पर कुछ न कुछ व्याज तो मिलना ही चाहिये ।

(**श्री बर्मन** पीठासीन हुए)

आज सब से बड़ी कठिनाई तो यह है कि किसी को भी अपने भविष्य के बारे में कोई निश्चय नहीं है। इसलिये यदि सरकार अपनी एक सुसंगत नीति बना कर चले, और विनियोजकों को उनके विनियोजन के लिये व्याज की कुछ निश्चित दर की गारंटी करे, तो उन्हें नये निर्माण करने की प्रेरणा दी जा सकती है । तभी इस समस्या का हल किया जा सकता है ।

†**श्री बाला साहब पाटिल** (मिराज़) : इस विधेयक का नाम ही भ्रामक है। इस में किरायों का नियंत्रण करने की कोशिश तो की ही नहीं गई है । इसका नाम तो दिल्ली किराया वृद्धि विधेयक होना चाहिये था ।

यह १९५१ से पहले के मकानों के किराये में दस प्रतिशत वृद्धि करता है और १९५१ के बाद के मकानों पर तो लागू ही नहीं होता । इस के नाम की भांति, इस की प्रस्तावना भी उतनी ही भ्रामक है । इस का उद्देश्य तो किरायों की वृद्धि करना और बेदखली की व्यवस्था करना है ।

इस में मूल किरायेदार के साथ ही किरायेदार द्वारा रखे गये किरायेदारों को भी बेदखल करने की व्यवस्था की गई है । यहां तक कि यदि कोई किरायेदार एक महीने का किराया भी पन्द्रह तारीख़ तक अदा न कर पाये, तो मकान मालिक उसे बेदखल करा सकता है । खण्ड १४ में यही व्यवस्था की गई है । इस के लिये कम से कम छः महीने की अवधि तो रखी ही जानी चाहिये थी ।

१९४७ में १९४१ से पहले के मकानों के किराये में १२ प्रतिशत वृद्धि की ही गई थी, और अब फिर उस में १० प्रतिशत वृद्धि की जा रही है । यह एक विचित्र सी बात है कि इतने वर्षों तक किरायेदारों का शोषण करने का यह इनाम दिया जा रहा है ।

सरकार को यह विधेयक बनाने से पहले इस बात की पूरी छानबीन कर लेनी चाहिये थी कि मकान मालिक अब तक जितना किराया पा चुके हैं, उस से उन के मकानों की निर्माण-लागत पूरी वसूल हो चुकी है या नहीं । १९४४ में बने मकानों के मालिक अपने मकानों की निर्माण-लागत का कई गुना वसूल कर चुके हैं । और, मज़ाक यह है कि उन्हों ने इस बीच में इन मकानों पर कुछ भी ख़र्च नहीं किया है ।

मैं श्री नौशीर भरूचा की यह बात मानता हूं कि मकान मालिकों को पांच वर्ष तक के लिये कुछ निश्चित मुनाफ़ा तो लेने दिया जाये, लेकिन उस के बाद नहीं ।

नये निर्माणों को प्रेरणा देने की बात कही गई है । सरकार ने मकान मालिकों के साथ इतनी बड़ी उदारता तो दिखा दी है कि १९४७ से अब तक किरायों में २५ प्रतिशत वृद्धि की जा चुकी है ।

[श्री बाला साहब पाटिल]

हम बुनियादी, उचित और नियमोचित किरायों के पूरे प्रश्न की गहरी छानबीन कर लेनी चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि १९४४ तक के मकानों पर ६ प्रतिशत वृद्धि ही रहनी चाहिये और उस के बाद के दस वर्ष पुराने मकानों पर भी ६ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि न होने दी जाये।

इस अधिनियम के प्रवर्तित होते ही, जितने भी ऐसे किरायेदार हैं जिन्हें किरायेदारों ने रख छोड़ा है वे अपने आप ही पूरे किरायेदार बन जायेंगे। इस में एक व्यवस्था यह भी की जानी चाहिये कि किरायेदारों और उन के रखे हुए किरायेदारों में ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं रह जायेगा और मकान मालिक ही दोनों से उचित किराया वसूल करेगा।

इस विधेयक के कई खण्डों में किराया जमा कराने के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है। यदि मकान मालिक किराया लेने से इन्कार करता है, तो उसे किराया नियंत्रक के पास जमा करा दिया जायेगा, फिर किराया नियंत्रक दोनों पक्षों को नोटिस देगा, इत्यादि। यह सभी बेमतलब हैं, क्योंकि कोई भी मकान मालिक जमा कराया हुआ किराया नहीं छोड़ेगा। इन निरर्थक खण्डों को विधेयक से हटा देना चाहिये।

दिल्ली के होटल रहने और खाने के लिये बेहिसाब किराया लेते हैं। इस पर भी नियंत्रण किया जाना चाहिये।

साथ ही, इस विधेयक में बोर्डिंग हाऊसों के सम्बन्ध में भी व्यवस्था की जानी चाहिये कि किराया नियंत्रक उन का निरीक्षण कर सकता है। बोर्डिंग हाउसों के मालिकों और उन में रहने वालों के सम्बन्धों के बारे में भी स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिये।

मैं नियंत्रक की नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था का भी विरोध करता हूं। सरकार ने नियंत्रक की नियुक्ति का कारण यह बताया है कि व्यवहार न्यायालयों में वर्षों तक किराये सम्बन्धी मामले पड़े रहते हैं और आज भी लगभग ५,००० ऐसे मामले विचाराधीन हैं। नियंत्रक इन को शीघ्रता से निबटाने के लिये नियुक्त किया जायेगा लेकिन इस की क्या गारंटी है कि नियंत्रक के यहां भी ऐसे ही वर्षों तक मामले नहीं पड़े रहेंगे। नियंत्रक पर प्रति वर्ष लगभग ६०,००० रुपये व्यय होंगे। हम इतना खर्च नहीं बढ़ा सकते। इसके लिये एक नया न्यायाधीश क्यों न रख दिया जाये?

इस में एक व्यवस्था यह भी है कि अभी व्यवहार न्यायालयों में जो ५,००० के करीब मामले विचाराधीन हैं, उन पर यह लागू नहीं होगा। यह अनुचित है। पहले के अधिनियमों में त्रुटि होने के कारण ही हमें यह संशोधन विधेयक पारित करना पड़ रहा है। इसलिये उचित यही है कि यदि नियंत्रक नियुक्त किया जाता है तो ये सभी मामले उसी को सौंप दिये जायें और वह इस नये संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत ही उन का निबटारा करे।

†**श्री नलदुर्गकर** (उस्मानाबाद) : इस विधेयक में किरायेदारों को संरक्षण देने के नाम में मकान मालिकों की हिमायत की गई है।

अध्याय ३ में भी किरायेदारों को कोई संरक्षण नहीं दिया गया है बल्कि उस में इतनी त्रुटियां हैं कि मकान मालिक किरायेदारों को बेदखल करने में उन का लाभ उठा सकते हैं। मेरे विचार से आधारभूत किराये और नियमोचित किराये की परिभाषा पर भी पुनः विचार करना चाहिये।

इस विधेयक में कुछ उपबन्ध एक दूसरे के विरोधी हैं। उदाहरणार्थ खंड ५४ के उपखंड २ में कहा गया है कि इस अधिनियम के जारी होने के पश्चात् भी, दिल्ली और अजमेर किराया नियंत्रण

†मूल अंग्रेजी में

अधिनियम के अधीन जो मामले न्यायालय में विलम्बित हैं वे सब उसी अधिनियम के अनुसार निबटाये जायेंगे जैसे यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो। जबकि ४९ (२) में कहा गया है कि किसी ऐसे भूगृहादि में, जो १ जून, १९५१ के पश्चात् लेकिन जून, १९५५ के पूर्व बना हो, यदि यह अधिनियम लागू होता हो, ऐसे स्थानों के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालयों में विलम्बित बेदखली के मामले, इस अधिनियम के पारित होने पर समाप्त समझे जायगे ।

यह बिल्कुल अनुचित है और न्याय सिद्धान्तों के भी विरुद्ध है ।

इसी प्रकार खंड ३ के उपखंड १ में कहा गया है कि सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचित तारीख से इस अधिनियम को लागू करेगी और ६ महीने या १ साल के पश्चात् इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर सकती है ।

इस से खंड ४९ के उपखंड ३ के उपबन्ध का कोई मूल्य नहीं रह जाता क्योंकि वहां १६ अगस्त १९५८ के पश्चात् से बेदखल किये गये किरायेदारों को ६ महीने के अन्दर आवेदन पत्र दे कर उन्हें पुनः कब्जा देने का उपबन्ध किया गया है । मेरे विचार से यह उपबन्ध किराया नियंत्रक की शक्तियों से परे होगा, क्योंकि नियंत्रक को यह शक्ति नहीं है कि वह सक्षम न्यायालय द्वारा आदेशित वैध बेदखली के विरुद्ध कार्यवाही करे ।

इस में कई उपबन्ध द्विविधापूर्ण और त्रुटिपूर्ण हैं । उन के कई अर्थ लगाये जा सकते हैं फलतः उस से जनता को भ्रांति हो सकती है । अतः मैं आप से निवेदन करता हूं कि अध्याय ३ और अन्य परस्पर विरोधी उपबन्धों पर पुनः विचार किया जाये ।

खंड ३ में यह उपबन्ध किया गया है कि किराया नियंत्रक महोदय, यह शिकायत किये जाने पर कि अमुक होटल में रहने, खाने या अन्य सेवाओं का अत्याधिक मूल्य लिया जाता है, उस का उचित मूल्य तय कर सकेगा ।

मेरे विचार से इस के स्थान में सरकार को चाहिये कि अधिनियम के लागू होने के बाद से एक महीने के अन्दर उन्हें सभी होटल का नियमोचित किराया तय कर लें ।

अन्त में मेरा यह सुझाव है कि सरकार को स्वयं मकानों का निर्माण कर किरायेदारों की कठिनाई हल करनी चाहिये ।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, दिल्ली भाड़ा नियंत्रण विधेयक का मैं समर्थन करता हूं । लेकिन इस के साथ-साथ मैं चाहता हूं कि सिलेक्ट कमेटी इस में दो तीन चार नई चीज़ दाखिल करे ।'

दिल्ली शहर में यह चीज़ किसी से छिपी नहीं है कि जब कभी भी मकान के मालिक को मौका मिला है एक किरायेदार से दूसरे किरायेदार को मकान देने का, तो उस वक्त उस से पगड़ी ली, नाजायज़ तौर पर उस से हजार दो हजार नकद की शक्ल में रुपया लिया गया । ताकि यह पगड़ी वगैरह न ली जा सके । कमेटी को यह करना चाहिये कि सिवा उस सूरत के जब कि मालिक अपनी ज़रूरत के लिये मकान चाहता हो, मकान खाली न कराये जा सकें, और जो भी मकान किराये के लिये खाली हों उन में किरायेदार बिठाने का हक मकान मालिक को न रहे बल्कि उस कंट्रोलर को यह हक रहे । अगर ऐसा किया जायेगा तो पगड़ी देने लेने का सवाल ही पैदा नहीं होगा । एक चीज़ तो सिलेक्ट कमेटी को इस बिल में यह बढ़ानी चाहिये ।

[चौ० रणवीर सिंह]

इस के अलावा दूसरी चीज़ मैं यह चाहता हूं। हिन्दुस्तान के आजाद होने के ११ सालों के अन्दर बहुत सी तब्दीलियां आयीं। हम ने यह माना है कि हम इस देश में समाजवादी ढांचा बनाना चाहते हैं। यहां पर दो किस्म की ज़मीन के मालिक हैं, एक मालिक हैं काश्त करने लायक ज़मीन के, और दूसरे मकानों के मालिक हैं और इसी तरह से दो किस्म के टिनेन्ट हैं। एक टिनेन्ट मकान का किरायेदार है और दूसरा टिनेन्ट काश्त करने लायक ज़मीन का है। मुझे काश्त करने वाली ज़मीन के मालिक से कोई खास हमदर्दी नहीं है, जोकि खुद अपनी ज़मीन से काश्त नहीं करता है। उस को हटाने के लिये जितने कायदे और कानून बनाये हैं मैं उन सब की ताईद करता हूं। वह ज़रूरी थे और सही तौर पर हिन्दुस्तान की मुख्तलिफ विधान सभाओं ने खेती करने वाली ज़मीन के ऊपर से निठल्ले मालिकों को हटाने के लिये कायदे और कानून बनाये। लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी समाजवादी सरकार मालिकों के बारे में दो ढंग से क्यों सोचती है। उसे मकानों के मालिकों और खेती की ज़मीन के मालिकों को एक ही दृष्टि से देखना चाहिये। इसी तरह से जो टिनेन्ट हैं, चाहे वह खेती करने वाली ज़मीन का टिनेन्ट हो या रहने वाले मकान का टिनेन्ट हो, उस को भी एक ही दृष्टि से देखना चाहिये और जो सहूलियतें मज़ारे को को दी गई हैं जमीन की मिल्कियत हासिल करने की, वही सहूलियतें मकानों के किरायेदारों को मिलनी चाहियें ताकि वे भी मालिक बन सकें। जब वाजपेयी जी बोल रहे थे तो उन्हों ने यह कहा और कुछ दूसरे दोस्तों ने भी कहा, इधर से राधा रमण जी ने भी कहा और माना कि जो मकानों के मालिक हैं उन्हों ने बड़े बड़े जुल्म किये हैं और यह किसी से छिपा भी नहीं है कि इन्हों ने केवल किराया ही नहीं लिया बल्कि पगड़ी भी ली और कपड़े भी उतारे। तो ऐसे आदमियों से हम हमदर्दी क्यों रखें। हम क्यों न उन को भी उसी तोल से तोलें जिस से कि हम दूसरे मालिकों को तोलते हैं। बाबू ठाकुरदास जी ने कहा था कि अगर मकान मालिक सही तौर का रवैया टिनेन्ट के साथ रखें जैसाकि सरकार रखती है . . . .

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

†**सभापति महोदय :** घंटी बजाई जा रही है——अब गणपूर्ति हो गई है।

श्री रणवीर सिंह : सभापति महोदय मैं निवेदन कर रहा था कि इस बिल के अन्दर मकानों के किरायेदारों को भी मालिक बनाने की स्कीम होनी चाहिये।

इसी तरह से तीसरी चीज़ है। खेती वाली जमीन के मालिक के बारे में नहीं सोचा जाता कि तीन या चार साल के बाद उस के कितने लड़के होंगे और उन को कितनी जमीन खेती करने के लिये चाहिये, इसी तरह से इस में जो अपने लिये मकान खाली कराने की व्यवस्था रखी गई है उस पर मुझे आपत्ति है। मैं यह मानता हूं कि आखिर जब किसी आदमी को ज़रूरत नहीं रही रहने की तभी उस ने किराये पर मकान दिया। हो सकता है कि बाद में उस के तीन चार बच्चे हो जायें या उसके छोटे बच्चे जवान हो जायें। तो जिस तरह से कि खेती की जमीन के मालिक की इस तरह की ज़रूरियात का खयाल नहीं किया जाता उसी तरह मकान मालिक का भी खयाल नहीं रखा जाना चाहिये। इसलिये उसे भी यह अधिकार नहीं होना चाहिये। हां किसी खास वजूहात में इस तरह मकान खाली कराने की इजाजत दी जा सकती है। जैसे अगर कोई आदमी गवर्नमेंट सर्विस में है या फौज में या पुलिस में है। और जब वह वापस आता है और अपना मकान चाहता है तो बेशक उस को इस तरह की छूट दे दी जाये कि वह अपने इस्तेमाल के लिये मकान खाली करा सके, लेकिन जो बराबर दिल्ली में रहता आ रहा है अगर वह चाहे कि अपने लिये मकान खाली कराले तो उस को मैं यह सहूलियत

†मूल अंग्रेजी में

देना जायज नहीं समझता। आप अन्दाजा लगायें तो मालूम होगा कि ११ या १२ सालों में काफी आदमी तो गुजर गये होंगे, बहुत की मिल्कियत भी बदल गई होगी, बहुतों से लोग अलग अलग रहने लगे होंगे। तो इसलिये मैं उन के लिये खाली कराने का अधिकार ठीक नहीं समझता।

कई दोस्तों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि इस तरह का कानून बनने से मकानों की समस्या हल नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कि सरकार ने सिर्फ कानून ही नहीं बनाया है बल्कि सरकार ने पहली पंचसाला प्लान के तहत ३८ करोड़ रुपया इस देश के अन्दर मकानों की तादाद बढ़ाने के लिये खर्चा है और १३ लाख मकान नये बनाये हैं। इसी तरह से इस दूसरी पंचसाला योजना के अन्दर १२० करोड़ रुपया मकानों पर खर्चने का इरादा है जिस से १६ लाख मकान बनाने का इरादा है। तो यह तो नहीं है कि सिर्फ किराये के कानून के जरिये ही सरकार ने मकानों की समस्या को हल करने की कोशिश की है। लेकिन यह बात सही है कि कई दफा हम सोचते हैं कि हालात में शायद कुछ फर्क पड़ा है और हमें कुछ मालिक की भी सोचनी चाहिये और उस की वजह से हम इस कानून में तबदीली लाना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अक्सर इस तरह के कानूनों का फायदा किरायेदारों के बजाये मकान मालिक ही उठा लेते हैं। बहुत थोड़े किरायेदार फायदा उठा पाते हैं। मेरा तो यह दावा है कि आप आज किरायेदारों की गिनती कर लें और फिर एक साल या दो साल के बाद गिनती करें तो आप काफी किरायेदारों को बेघर पायेंगे। यही हाल खेती की जमीन के बारे में भी मैं ने तजुरबे से देखा है। बहुत सारे राज्यों के अन्दर मजारे की रक्षा के नाम पर कानून बने पर उन्हीं कानूनों के ज़रिये मजारों को ज़मीनों से निकाला गया। यह ठीक है कि सरकार ने और इस हाउस ने यह फ़ैसला किया है कि हम इस देश में एक समाजवादी ढांचा बनाना चाहते हैं, लेकिन उस फैसले को कार्य रूप देते हुए एक आदमी और दूसरे आदमी में भेद नहीं किया जा सकता है। कई दोस्तों ने और वाजपेयी जी ने खास तौर पर गिला किया कि इस बिल से न तो किरायेदार राज़ी हैं और न मालिक-मकान राज़ी हैं। यह बात सही है। जिस आदमी को न्याय करना है--जिस के हाथ में न्याय की कलम है, वह जो कुछ करता है, हो सकता है कि दोनों ही पार्टियां उस से राज़ी न हों। इस मामले में किरायेदार अपने लिये ज्यादा से ज्यादा सहूलियत और रियायत चाहते हैं और मालिक-मकान चाहते हैं कि उन को ज्यादा से ज्यादा हकूक मिलें। जिस ने इस का फ़ैसला करना है और कानून बनाना है, कुदरती तौर पर उस को इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि न तो मालिक मकान को ज्यादा नुकसान पहुंचे और किरायेदार को भी कुछ सहूलियतें पहुंच जायें। आज मकानों की बहुत कमी है, इसलिये इस बात का ख्याल भी रखना है कि मालिक-मकान किसी वजह से मकान बनाना ही बन्द कर दें। सरकार समझती है---और मैं समझता हूं कि सही तौर पर समझती है--- कि अभी तक उस के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह हर आदमी को सरकारी मकान बना कर दे सके। जब तक उस की यह शक्ति नहीं बढ़ जाती, उस वक्त तक नये मकान बनाने वालों के लिये थोड़ी बहुत रियायत रखनी होगी। लेकिन श्री राधा रमण के विचार के मैं विरुद्ध हूं। वह चाहते हैं कि जिन दिल्ली वालों ने पगड़ी का रुपया लिया है और जो सैंकड़ों सालों से किरायेदारों को निहायत बुरी तरह से लूट रहे ह, उन के साथ कोई रियायत होनी चाहिये। इस बारे में मेरी तो साफ़ राय है कि जहां तक उन मालिकों का ताल्लुक है, एक स्कीम बनाई जानी चाहिये कि किस तरह किरायेदार मकानों के मालिक बन सकते हैं। जिस १२० करोड़ रुपये की रकम का मैं ने जिक्र किया है, उस में कर्ज़े की रकमें भी शामिल हैं। सरकार उस रकम को किरायेदारों को दे, ताकि उस को अदा कर के वे उन मकानों के मालिक बन सकें। जहां तक नये मकान बनाने वालों का ताल्लुक है, उन को चार पांच साल तक हम किराये के बारे में रियायत दे सकते हैं। उस के बाद हम फिर देख लेंगे। आखिर में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस सारे मामले में पगड़ी का लूपहोल नहीं होना चाहिये और मालिक-मकान को यह अख्तियार नहीं होना चाहिये कि वह जिस को चाहे मकान किराये पर दे दे। इस बिल के मुताबिक अगर कोई शख्स दोबारा डीफाल्ट करता है और किराया नहीं देता है, तो

[चौ० रणवीर सिंह]

मकान का हक उस से छिन कर मालिक-मकान के पास पहुंच जायगा । मालिक-मकान, दो, चार, छः हज़ार रुपये पगड़ी ले कर किसी को मकान किराये पर उठा सकता है । इस की रोक-थाम इसी सूरत में हो सकती है कि मकान-मालिक बेशक मकान खाली करा दे, अगर किरायेदार कानून की ख़िलाफवर्ज़ी करता है, लेकिन उस के बाद कौन किरायेदार आये, इस का अख्तियार मालिक-मकान को न हो कर कंट्रोलर को हो ।

श्री ब्रजराज सिंह : सभापति महोदय, सालों की प्रतीक्षा के बाद, किरायेदारों के प्रबल आन्दोलन, प्रदर्शन, सभाओं और भूख-हड़ताल के बाद जब यह कानून लाया गया है, तो केवल दिल्ली के किरायेदारों को ही नहीं, बल्कि तमाम हिन्दुस्तान के किरायेदारों को बहुत बड़ी निराशा हुई है । मैं तमाम हिन्दुस्तान की बात इसलिये कह रहा हूं कि इस बिल को पढ़ने के बाद लोगों को—खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों को, जहां कि ऐसा कानून काफ़ी पहले से मौजूद है, बड़ा आश्चर्य होता है कि सरकार गृह-समस्या को कैसे दूर करने चली है । सरकार कहती है कि हम किराये का कंट्रोल करेंगे, लेकिन इस पूरे बिल में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि खाली मकान को एलाट किया जाय । आप मानते हैं कि दिल्ली में मकानों की कमी है और यहां पर किराये बढ़ाये जा रहे हैं, जिन को कि कंट्रोल करना चाहिये और इसीलिये आप इस बिल का नाम रखते हैं दिल्ली रेंट कंट्रोल बिल, लेकिन उस में यह व्यवस्था नहीं है कि जो मकान खाली होंगे, उन्हें उन लोगों को एलाट किया जाय, जिन को उन की जरूरत है । उत्तर प्रदेश के इस तरह के कानून में यह व्यवस्था है कि जब कोई मकान खाली होता है, तो रेंट कंट्रोलर अपने यहां पहले से मौजूद प्रार्थनापत्रों पर विचार करता है और उस के अनुसार उस मकान को एलाट कर देता है । लेकिन इस बिल में यह व्यवस्था नहीं है कि जो मकान खाली हों, उन को रेंट कंट्रोलर के पास जाना चाहिये और उस के द्वारा एलाट कर दिया जाना चाहिये । इस के क्या नतीजे होंगे ? बिल में क्लाज़ ५ में यह व्यवस्था है कि कोई प्रीमियम या पगड़ी लेना ग़ैर-कानूनी बात होगी । क्लाज़ १३ में यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति मकान लेने से पहले पगड़ी देता है, तो कंट्रोलर को उस रकम को वापस दिलाने का अधिकार होगा । सरकार की तरफ से कहा जाता है कि क्लाज़ ५ और १३ के होने से पगड़ी लेने का कोई खतरा नहीं रहेगा । लेकिन मैं संयुक्त प्रवर समिति के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें कि क्या आज की परिस्थितियों में इस व्यवस्था का पालन हो सकेगा । वे इस बात पर विचार करें कि आज मकानों की कमी है और उस की वजह से किरायेदार परेशान हैं । मकान नहीं मिलते हैं । इस स्थिति में मालिक-मकान कहता है कि मुझे दो हज़ार रुपया दो, तभी मकान मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि बाद में अगर तुम ने क्लाज १३ के अनुसार इस रकम को वापस लेने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकता हूं । यह कहा जा सकता है कि कार्यवाही क्या हो सकती है, रेंट कंट्रोल बिल के मातहत कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है, कंट्रोलर को अख़्तियार है कि अगर कोई पगड़ी ले, तो वह उस को वापस दिला सकता है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रेंट कंट्रोल बिल में कार्यवाही का सवाल नहीं है, दूसरी कार्यवाहियां हो सकती हैं । मालिक-मकान, जो समर्थ हैं, जिस के पास साधन हैं, किसी दूसरी जगह मुकदमा चला सकते हैं, परेशान कर सकते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से दिल्ली में मकानों की कमी है, उस को देखते हुए, इस कानून को लाकर आप पगड़ी को बढ़ावा देना चाहते हैं, उस को खत्म नहीं करना चाहते हैं । अगर पगड़ी को खत्म करने की इच्छा है, तो यह व्यवस्था करनी चाहिये कि जो मकान खाली हों, उन की सूचना रेंट कंट्रोलर के पास हो और उन मकानों को मकानों के इच्छुक व्यक्तियों के प्रार्थनापत्रों पर विचार कर के एलाट कर दिया जाय । जब तक आप इस तरह की व्यवस्था नहीं करते हैं, तब तक पगड़ी बराबर ली जायगी, भले ही आप यह कानून

पास कर दें । इसलिये संयुक्त प्रवर समिति के माननीय सदस्य इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि क्या इस बिल में ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है या नहीं, जिस में खाली मकानों को एलाट किये जाने का काम रेंट कंट्रोलर के सुपुर्द किया जाय । जब तक यह काम नहीं होगा, तब तक पगड़ी बन्द नहीं हो सकेगी । जैसाकि माननीय सदस्य, चौ० रणबीर सिंह ने कहा है, आप देहात के लिये दूसरे कानून लागू करते हैं, वहां पर आप मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की बात नहीं करते हैं । वहां आप इन्सेन्टिव और प्रोत्साहन देने की बात नहीं करते हैं । वहां पर ज़मींदारी प्रथा खत्म कर दी गई है—और सही तौर पर खत्म कर दी गई है । लेकिन उसके बाद आप शहरों में यह कहते हैं कि मालिक-मकानों को नए मकान बनाने के लिए प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, इस लिए हम इस कानून में किराया बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे । अगर इतना ही रहा होता, तो मुझे ज्यादा दुख न होता । सरकार जिस तरह से मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की बात कर के पूंजीपति और पैसे वाले लोगों की मदद करना चाहती है, उस को अब जनता जानने लगी है । कल विनोबा जी की जयंती थी । मैं आशा करता था कि सम्पत्तिदान, बुद्धिदान की तरह एक नए दान—गृहदान की घोषणा की जायगी, लेकिन मालूम नहीं पड़ता कि ऐसी बात होगी । गांवों में तो भूदान का काम हो रहा है, लेकिन शहरों में गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कानून लाने की कोशिश नहीं की जायगी, न सुधारकों की तरफ से समाज में परिवर्तन करने की बात की जायगी, जो कि समाज को सुधारना चाहते हैं, और जो समन्वयवादी व्यवस्था की बात करते हैं । मुझे दुःख है कि आप किरायेदारों की समस्या को न तो समझना चाहते हैं और न ही उसको हल करना चाहते हैं । आखिर उनकी समस्या है क्या ? आप कहते हैं कि एक ऑरिजनल रेंट होगा, एक बेसिक रेंट होगा और इसके बाद एक स्टैंडर्ड रेंट होगा । अगर आप हिसाब लगायें तो आपको पता चलेगा कि सन् १९४४ में पुरानी दिल्ली के लिए जो आर्डिनेंस लागू किया गया था जिसे बाद में कानूनी शक्ल दे दी गई थी, उस वक्त जो किराया था उसके मुकाबले में उन्हीं मकानों का किराया अब कोई १५० प्रतिशत बढ़ा दिया गया है । अगर कोई सौ रुपया देता था तो उसको बढ़ा कर १५० रुपया कर दिया गया था । अब जो बेसिक रेंट इत्यादि की आपने परिभाषायें की हैं उनके मुताबिक अगर आप देखें तो यही किराया १८२ रुपये के करीब हो जाएगा । आखिर यह सब क्यों किया जा रहा है ? क्यों इन लोगों को मुसीबत में डाला जा रहा है ?

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि कोई रिटर्न मिलनी चाहिये उस कैपीटल की जो लगा हुआ है । मैं पूछना चाहता हूं कि किस कैपीटल के वास्ते रिटर्न चाहिये ? डेढ़ सौ साल पहले ये मकान बने थे और तब से आज तक इनका किराया बढ़ता चला आ रहा है और उसकी कीमत का कितना गुना ये लोग खा चुके हैं । ऐसी हालत में आप यह कहें कि वापसी मिलनी चाहिए, एवज़ मिलना चाहिए, रिटर्न मिलनी चाहिये, तो ताज्जुब हुए बिना नहीं रहता है ।

यहां पर मकानों को बनाने में बढ़ावा देने की तथा प्रोत्साहन देने की बात भी की जाती है । मेरी समझ में नहीं आता है कि यह किस तरह की मांग है ? मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से आंकड़े इस सम्बन्ध में इकट्ठे किये जाएं कि क्या मकानों के बारे में भी एक मानोपोली की टेंडेंसी तो नहीं दृष्टिगोचर हो रही है । मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति भी इस तरह के आंकड़े मांगे । यहां पर समाचारपत्र व्यवसाय में एक मानोपोली की व्यवस्था चल रही है, एक आधिपत्य की बात चल रही है । इसी तरह से क्या मकानों के बारे में भी कुछ लोग आधिपत्य स्थापित करने की बात तो नहीं कर रहे हैं तथा इसकी चेष्टा तो नहीं कर रहे हैं । सरकार की तरफ से एक फर्म को दिल्ली में ५६लाख पया कर्ज के तौर पर दिया गया था और वह इसलिए दिया गया कि वह एक बिल्डिंग बना ले, एक अखबार को चलाने के लिए तथा उस बिल्डिंग में अपना स्टाफ रख सके । मुझे खबर मिली है कि केवल दो मंजिलों में ही अखबार का काम हो रहा है और बाकी के सारे पोर्शन आठ लाख सालाना पये पर

[श्री व्रजराज सिंह]

किराये पर उठा दिये गये हैं। सात साल के अंदर यह जो ५६ लाख रुपये का कर्ज़ है यह वसूल हो जाएगा और गवर्नमेंट की तरफ से जो कर्ज़ा दिया हुआ है वह वापिस हो जाएगा और उसके बाद वह बिल्डिंग मुफ्त में उसके पास रह जाएगी। क्या आप इसी तरह से मकान बनाने वालों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं? जिस मिश्रित अर्थ व्यवस्था की बात आप कहते हैं, जिस तरह से आप मकान मालिकों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, उससे किरायेदारों का कोई भला नहीं होने वाला है, उनको कोई संरक्षण नहीं देंगे तो कौन देगा? अगर आप किरायेदारों को संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं, अगर आप उन लोगों के विषय में सोचना चाहते हैं जो हज़ारों और लाखों की तादाद में, जो सड़कों पर पड़े रहते हैं, जो पेवमेंट्स पर पड़े रहते हैं और उनकी खातिर कुछ करना चाहते हैं तो विश्वास रखिये कि उनका भला मकान मालिकों को प्रोत्साहन देकर मकान मालिकों से आप नहीं करवा सकते हैं। मकान मालिक कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उन लोगों को भला हो। आपको ही उन मुसीबतज़दा लोगों के लिए सोचना पड़ेगा। आपको अपना हृदय-परिवर्तन करना होगा। आपको सोचना होगा कि क्या आप उनके लिए मकान बना सकते हैं या नहीं। आपको अपनी नीति में मौलिक परिवर्तन करना होगा। जो ज़मीन विकसित की जा रही है, उसको मकान मालिकों को देने से काम नहीं चलेगा या एक एक आदमी को ५६-५६ लाख रुपया कर्ज़ के रूप में देने से काम नहीं चलेगा। इस तरह से दिल्ली में मकानों की समस्या हल नहीं हो सकती है। इसको हल करने के लिए आपको दूसरे तरीके काम में लाने होंगे। छोटे छोटे मकान बनाने के लिए आपको कर्ज़ देने पड़ेंगे। जिस तरह से लोग अपने पास ज़मीन रखना चाहते हैं उसी तरह से लोग अपने लिए मकान भी बनवाना चाहते हैं। अपने मकान से सभी को प्यार होता है, सभी चाहते हैं कि उनका अपना मकान हो। इसके लिये वे अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। आप को सोचना होगा कि आप उनको थोड़ा बहुत रुपया मकान बनाने के लिए दे सकते हैं या नहीं। आप को अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए। लो इनकम हाउसिंग की जो आपकी स्कीम है, छोटे पैमाने पर लोगों को मदद पहुंचाने की जो बात है, उसको आपको अच्छी तरह से लागू करना होगा और बड़े पैमाने पर लोगों को मदद देनी होगी और अगर आपने ऐसा किया तो यह जो मकानों की कमी की समस्या है, यह हल हो सकती है अन्यथा नहीं।

जो कानून पेश किया गया है वह किसी हालत में भी किरायेदारों का कानून नहीं कहा जा सकता है इसको साफ तौर से लैंडलार्ड बिल कहा जा सकता है। यह किरायेदारों के साथ मखौल करना है, उनकी हंसी उड़ाना है। आप किरायों को बढ़ाने की बात करते हैं, घटाने की बात कहीं नहीं करते हैं। यह कहा गया है कि रेंट कंट्रोलर को यह अधिकार होगा कि जहां पर पहले से जो रेंट चला आ रहा है उसको वह बढ़ा सके। लेकिन यह अधिकार उसको कहीं पर भी नहीं दिया गया है कि अगर वह देखे कि कहीं पर एक्सेसिव रेंट है, तो उसको कम कर सके। मुझे प्रसन्नता होती अगर इस प्रकार की भी कोई व्यवस्था कर दी गई होती कि आप किरायेदारों के वास्ते कुछ करना चाहते हैं। पूरे बिल में पहले से चले आ रहे किरायों को कम करने की बात कहीं पर भी नहीं है। जब ऐसी बात है तो फिर इसको रेंट कंट्रोल बिल का नाम क्यों दिया गया है, कोई दूसरा ही नाम दिया जाना चाहिये था।

कल माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि क्योंकि मकान मालिकों की तरफ से और किरायेदारों की तरफ से भी इसका विरोध हुआ है, इसलिये सरकार समझती है कि वह सही रास्ते पर है। अगर आप समझते हैं कि दोनों तरफ से चूंकि इसकी आलोचना हुई है, इस वास्ते जो रास्ता आपने अखत्यार किया है वह सही है या जो आपकी नीति रही है वह सही रही है, तो मैं समझता हूं आप

धोखे में हैं । जब आप यह सोचते हैं कि अखबारों में यह छप गया कि लैंडलार्ड भी नाराज़ हैं, उन्हें भी संतोष नहीं है, तो आप याद रखिये कि प्रेस पर भी अधिपत्य स्थापित करने की कुछ व्यक्तियों द्वारा कोशिश हो रही है और साथ ही साथ मकानों पर भी आधिपत्य स्थापित करने की चेष्टा हो रही है । गरीब आदमी जो है, जो पीड़ित है, जो शोषित है उसकी कोई परवा नहीं कर रहा है । अगर किसी बात की अखबार में चर्चा हो जाती है कि दोनों ही पक्ष इसकी आलोचना कर रहे हैं और दोनों तरफ से ही इसका विरोध हो रहा है और अगर इससे सरकार यह समझती है कि उसको सर्टिफिकेट मिल गया है, प्रमाणपत्र मिल गया है कि वह सही नीति पर चल रही है, तो वह गलती पर है । यह कानून किसी कद्र भी किरायेदारों के हित में नहीं है । इस बिल को यहां ला कर ऐसा मालूम होता है कि आप मकान मालिकों के चंगुल में फंस गये हैं । मैं यह नहीं कहता कि आप जान-बूझ कर फंसे हैं । इसमें आपकी नियत पर शक करने की बात नहीं है । लेकिन जो परिणाम निकलता है वह बतलाता है कि आप जान बूझ कर भी फंस सकते हैं । लेकिन यह न कह कर मैं केवल यह कहूंगा यह उनके हक़ में जाता है । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि आप गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि दिल्ली में जो तीन लाख व्यक्ति किराये के मकानों में रहते हैं, जिन के पास अपने मकान नहीं हैं तथा जिनको आशा नहीं है कि वे अपने मकान बना सकेंगे निकट भविष्य में, उनके हितों की रक्षा करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिये, उनको किस प्रकार के संरक्षण दिये जाने चाहियें । मैं नहीं कहता कि आप उनको बहुत ज्यादा संरक्षण प्रदान कर दें । लेकिन इतना तो आप अवश्य करें कि जो जीवन निर्वाह का खर्चा बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए आप मकान मालिकों को ही राहत न पहुचायें, उनकी ही केवल फिक्र न करें और केवल इतना ही न सोचें कि ज़मीन की कीमत बढ़ गई है, मैटीरियल की कीमत बढ़ गई है, इसलिये किराये भी बढ़ जाने चाहियें, बल्कि किरायेदारों के हितों की भी चिन्ता करें । अगर आप केवल मकान मालिकों की ही चिन्ता करते रहे तो यह मेरे विचार में सही नीति नहीं होगी । जिस तरह से पंजाब से आवाज़ आ रही है कि वहां पर लोग कोशिश करने लगे हैं कि जिस तरह से ज़मीन का राष्ट्रीयकरण किया गया है, जिस तरह से ज़मींदारी को खत्म किया गया है, उसी तरह से मकान वालों के साथ भी ऐसी बात होने वाली है, इससे आप यह समझे कि इंस्टेबिलिटी या अस्थिरता आती है और मकान मालिकों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है,इस वास्ते आप उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं, और बार बार देना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि इससे जो अस्थिरता है वह दूर नहीं हो सकती है । यह एक राजनीतिक सवाल है । मकान मालिक यह जानते हैं कि यह सरकार हमेशा रहने वाली नहीं है, हो सकता है कि सन् १६६२ में होने वाले चुनावों में ही इसको बदल दिया जाए तथा दूसरी जो पार्टी सत्तारूढ़ हो, वह राष्ट्रीयकरण कर सकती है । ऐसी सूरत में प्रोत्साहन की बात करके आप किसी का भला नहीं करते हैं, न अपना और न ही किरायेदारों का । इस बात को सोचा जाना चाहिए कि आखिर जिन लोगों के पास मकान हैं और एक एक नहीं सौ सौ मकान हैं, सैकड़ों मकान हैं, जिनका मकानों का ही धंधा है, किस आधार पर उनके पास ये सारे मकान छोड़े जांय, क्यों वे इन तमाम मकानों के मालिक बने रहें । क्यों न उनका भी समाजीकरण हो ।

आज नए नए लोगों को लाभ पहुंच रहा है । कालोनाइज़र्स की बात भी यहां की जाती है और कहा जाता है कि वे लोग भी फायदा उठा रहे हैं और नाजायज़ तौर से मुनाफा कमा रहे हैं । मैं कहूंगा कि उस तरफ भी आपका ध्यान जाए । मैं चाहता हूं कि ज्वायंट कमेटी इस पर विचार करे कि क्या दिल्ली में कोई इस तरह की बात तो नहीं हो रही है कि कुछ लोग मकानों पर भी आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि इस बिल में कोई इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए जिससे कि इस आधिपत्य को तोड़ा जा सके ।

जहां तक स्टैंडर्ड रेंट तय करने की बात है, इसमें आपने एक सीमा निश्चित कर दी है कि उस वक्त के अन्दर यह तय किया जा सकता है, उसके बाद नहीं । अच्छा यह होगा कि कोई सीमा ही

[श्री ब्रजराज सिंह]

निश्चित न की जाए और जब भी कियेदार स्टैंडर्ड रेन्ट फिक्स करवाना चाहे, उसको छूट होनी चाहिये कि वह करवा सके और इस बिहाफ में एप्लीकेशन दे सके। आपने जो एक साल की सीमा निर्धारित की है यह इतनी कम अवधि है कि इतने अर्से तक तो मालिक मकान किरायेदार को भुलावे में ही रख सकता है और समय गुज़र जाने के बाद दरख्वास्त नहीं दी जा सकती है।

अब बेदखली का सवाल पैदा होता है। मैं समझता हूं कि कानून को बेदखलियां रोकने के मामले में कुछ और दूर तक जाना चाहिये था। व्यक्तिगत रूप से ही अगर मकान चाहिये हो तभी बेदखल किया जाना चाहिये। अगर कोई मालिक मकान दिल्ली में ही रहता है तो उस सूरत में साफ ज़ाहिर है कि व्यक्तिगत रूप से उसके मकान अपने लिये चाहने की बात नहीं उठ सकती है और यह भी नहीं हो सकता कि पूरा मकान वह खाली कराये। अगर कहीं ऐसी बात आती है उसे जगह देने की बात कम से कम की जानी चाहिये।

जहां तक बिजिनेस का सवाल आता है, उस के सिलसिले में पार्टनरशिप के बारे में कहा गया है कि जब तक मकान मालिक की रजामन्दी न होगी, तब तक कोई पार्टनर नहीं बन सकेगा। यह इस तरह की चीज है जिस में आप बिजिनेस का प्रोत्साहन खो देते हैं।एक तरफ आप मकान मालिक को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ आप व्यापार का प्रोत्साहन खो देने की बात करते हैं। हो सकता है कि कल उस का चल रहा बिजिनेस फेल हो जाय और अच्छा न चल रहा हो, इस तरह उसे प्रोत्साहित किया जाय ताकि वह कोई हिस्सेदार प्राप्त करे और उस की हिस्सेदारी में अपने बिजिनेस को चला सके। लेकिन आप ने इस में यह व्यवस्था कर दी कि जब तक लैंडलार्ड इस में अपनी रजामन्दी नहीं देता है तब तक कोई भी पार्टनरशिप नहीं कर सकेगा। यह इस तरह की चीज है जिस का औचित्य सिद्ध नहींकिया जा सकता। इसमें लैंडलार्ड यह चाहेगा कि अगर कोई बिजिनेस मैन किसी को पार्टनर रखना चाहता है तो जितने रुपये वह पाना चाहता है, उस का कुछ हिस्सा उसे भी दे। एक तरफ आप पगड़ी खत्म करने की बात करते हैं दूसरी तरफ पगड़ी लेनें की बात को प्रोत्साहन दे रहे हैं इसलिये मैं कहूंगा कि पार्टनरशिप के सिलसिले में कभी भी कंसेंट लेने की बात नहीं होनी चाहिये। यह नार्मल प्रोसीजर है कि बिजिनेस हमेशा पार्टनरशिप से चला करता है। इस के लिये रजामन्दी लेने की बात इस में नहीं रखनी चाहिये।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि यह बिल ज्वायंट कमेटी के सामने जा रहा है। वह इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि ऐलाटमेंट के विषय में रेन्ट कंट्रोल की जो भावना है उस को पूरा किया जा सकेगा या नहीं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर) : इस विधेयक का वास्तविक उद्देश्य यह है कि किरायेदारों और मालिक मकानों के सम्बन्धों को ठीक किया जाय परन्तु मेरा निवेदन है कि इन संबंधों को ठीक अथवा विनियमित करने के लिये इस विधेयक में न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक निर्णय का ही सहारा लिया गया है। मेरी राय में यह ठीक नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया अपनाने से पहले अन्य तरीके जैसे बात-चीत के द्वारा अथवा पत्रों द्वारा मामलों का फैसला करने की कोशिश जरूर होनी चाहिये। हम ने विधान से तथा अन्य साधनों से ऐसा करने का प्रयत्न किया है। परन्तु मेरा सुझाव है कि परिषदों को नियुक्त करने से पहले और कानूनी कार्यवाही करने से पहले हमें दिल्ली के हरेक वार्ड में एक समिति बनानी चाहिये, जिसमें उस क्षेत्र के निगम के सदस्य, लोक-सभा के सदस्य तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, जिस से वे मालिक मकानों और किरायेदारों के बीच के झगड़ों में बीच बचाव कर सकें। इस के बिना आज जो किरायेदारों और मालिक मकानों में तनाव है, वह दूर नहीं हो सकता।

†मूल अंग्रेजी में

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यह आर्थिक मामला है, मेरी राय में इस विधेयक में आर्थिक पहलुओं पर भी जोर दिया गया है और समाज कल्याण की भावना इस में बिल्कुल नहीं पाई जाती। हम ने मकान मालिकों को इस विधेयक में बड़ी छूट दे दी है। मेरा तो ख्याल है कि आज के स्वतन्त्र भारत को मालिक मकानों का स्वर्ग बना दिया गया है और दिल्ली उस का मुख्य केन्द्र बनने वाला है। इस विधेयक द्वारा हम ने दिल्ली में मालिक मकानों के हाथ मजबूत कर दिये हैं।

मेरे विचार में किराया एक ही प्रकार का रहना चाहिये और उसे उचित किराया कहा जाना चाहिये। इस का निर्धारण एक स्थायी बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिये। मालिक मकान को उस के विनि-योजन पर कुछ लाभ तो देना ही चाहिये, परन्तु यह नहीं कि वह जितना लूटना चाहे लूटे। उसे अनुचित रूप में लाभ नहीं उठाने देना चाहिये। ऐसा करना सामाजिक न्याय नहीं होगा। इस प्रकार का लाभ उठाने पर समय की कुछ पाबन्दी रखी जानी चाहिये। अन्य क्षेत्रों में हम इस लाभ पर नियंत्रण लगा रहे हैं मगर यहां हम इसे प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज तो आप इस किराये को नियमोचित किराया कह रहे हैं, परन्तु फिर कुछ मंहगाई आयेगी तो आप इसे फिर बढ़ा देंगे और इस के कुछ और नाम रखेंगे मैं इस मनोवृत्ति के ही विरुद्ध हूं और यह मालिक मकानों के हित की बात भी है। संसार भर में भारत ही एक ऐसा देश है जहां कि एक 'पगड़ी' शब्द प्रचलित हुआ है। देश के प्रत्येक प्रतिष्ठित नागरिक को इस शब्द से लज्जा आयेगी, क्योंकि इस से हमारे चरित्र की एक झलक मिलती है। इस से हमारे देश की बदनामी ही हुई है। अब आप जो कुछ कर रहे हैं वह अप्रत्यक्ष रूप में पगड़ी को प्रोत्साहन देने वाली बात है। इसलिये मैं मानता हूं कि आप को मकान मालिकों के हितों की रक्षा करने के लिये भी कुछ करना होगा अन्यथा 'पगड़ी' व्यवसाय चलता ही रहेगा, क्योंकि इस विधेयक के उपबन्धों से मकान मालिकों को सन्तोष नहीं होगा और यह सब बातें मैं मकान मालिकों के हित की ही कर रहा हूं। क्योंकि इस प्रकार की बात अनिश्चित काल तक नहीं चल सकतीं।

इस विधेयक का एक अध्याय किरायेदारों के निष्कासन के सम्बन्ध में है। निष्कासन को आप कितना ही विनियमित करें, लेकिन यह रहेगा समाज विरोधी ही। खंड १४ में और उसके उपखंडों में हमने मकान मालिक को बहुत लम्बी छूट दे दी है और इस में वह बहुत कुछ कर सकता है। इन उपखंडों के अन्तर्गत जो व्यक्ति भी निष्कासित किया जायेगा उसे बहुत मुसीबत उठानी पड़ेगी। हमारे यहां लोगों की संख्या में गरीब किरायेदार हैं जिन पर इन उपबन्धों का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिये मेरा मत है कि खंड १४ बहुत ही खतरनाक खंड है। मेरा निवेदन है कि इस खंड की शब्दावलि पुन: तैयार की जाये।

मैं पुन: इस बात पर जोर दूंगा कि हमें निष्कासन के मामले में अधिकतर न्यायिक प्रक्रिया और अदालतों पर आश्रित नहीं रहना चाहिये। इस कार्य के लिये हमें लोकतंत्रीय ढंग अपनाना चाहिये। जैसा मैं बता चुका हूं इस के लिये प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई जानी चाहिये, जो इन मामलों पर अपना फैसला दे। पहले समिति अपना फैसला दे फिर यदि वह ठीक न हो तो अदालतों में जाना चाहिये, क्योंकि छोटे छोटे गरीब किरायेदारों के पास तो अदालतों में जाने के लिये खर्चा भी नहीं होता। इस खंड द्वारा सारा मामला ही मालिक मकान के हाथ में आ जाता है और किरायेदार केवल उस के रहम पर ही जीवित रहेगा।

इस के अतिरिक्त मुझे यह कहना है कि हम ने नियंत्रकों की नियुक्ति की जो व्यवस्था रखी है, उन के साथ अगर कुछ परिषद्य भी लगा दिये जायें तो ज्यादा लाभदायक होगा। कानून और अदालतों से ही सारा मामला हल नहीं हुआ करता।

इस के अतिरिक्त मैं इस बात पर जोर दूंगा होटलों आदि के उपबन्ध को भी थोड़ा नरम किया जाना चाहिये। खण्ड ३३ (घ) में उपबन्ध है कि यदि किसी व्यक्ति को रहने के लिये स्थान देने वाला

[श्री दी० चं० शर्मा]

व्यक्ति यह समझे कि उस स्थान का ठीक उपयोग नहीं हो रहा है तो वह उसे निकाल सकता है । मैनेजरों आदि को इतनी शक्ति देना बहुत अनुचित है। अन्त में मैं यह कहूंगा कि इस विधान को सामाजिक विधान बनाने का प्रयत्न करना चाहिये ताकि घरों के मालिकों की रक्षा के साथ साथ उन की रक्षा भी हो सके जिन का अपना घर नहीं है ।

†**श्री हाल्दर** (डायमंड हार्बर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : कल ही हम ने सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक पारित किया है जिसमें गरीब लोगों और विस्थापितों को निष्कासित करने की व्यवस्था की गई है और आज मकान मालिकों के हाथ मजबूत करने वाला विधेयक पारित किया जा रहा है । कई राज्यों में जो भूमि सुधार विधेयक पारित किये गये हैं, उन में भी पट्टेदारों को भूमि से निष्कासित किये जाने की व्यवस्था है । जमींदारों को मुआवजे का कुछ रुपया मिला है उस से वे नगरों में आकर मकान मालिक बन कर शोषण करने की सोच रहे हैं ।

निष्कासन का जहां तक सम्बन्ध है, इस विधेयक से केवल मकान मालिकों को ही लाभ होगा, यद्यपि यह कहा गया है कि यह किरायदारों के हितों की रक्षा के लिये अधिनियमित किया जा रहा है। मकान मालिक इस के द्वारा किराया बढ़ा सकेंगे। 'पगड़ी' का मामला आज कल आम है। गरीब किरायदारों को तंग करने के अन्य भी ऐसे साधन हैं जिनको यह मकान मालिक अपना रहे हैं। खेद यह है कि सरकार भी उन की ही सहायता कर रही है । खंड १४ में किरायदारों को निकाले जाने का उपबन्ध किया गया है । उसमें यह भी है कि यदि मकान की हालत खराब हो और मकान मालिक उस की मरम्मत करना चाहता हो या मालिक मकान स्वयं उस मकान में रहना चाहता हो तो वह किरायेदार का निष्कासन कर सकता है । मुझे कलकत्ता का अनुभव है कि इस प्रकार के उपबन्ध का लाभ उठा कर कई लोगों ने किरायेदारों को निकाला है । आज जमींदारों द्वारा भूमि सुधार कानूनों का भी किसानों के शोषण के लिये प्रयोग किया जा रहा है । मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें इस प्रकार के प्रतिक्रियावादी खंडों को हटा कर आवास समस्या को हल करने का प्रयत्न करना चाहिये । अन्यथा खाद्य समस्या की भांति यह भी देश की गम्भीर समस्या बन जायेगी । मुझे आशा है कि मतदान के समय वे माननीय सदस्य आपत्तिजनक उपबन्धों के विरुद्ध मत देंगे जिन्हों ने कि इस विधेयक की आलोचना की है । मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

[इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, १२ सितम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई]

---

†मूल अंग्रेजी में

विषय-सूची

[गुरुवार, ११ सितम्बर, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२८२३—४८
तारांकित प्रश्न संख्या		
११४०	लोथल में पुरातत्वीय संग्रहालय	२८२३
११४१	बोस जांच बोर्ड	२८२४–२५
११४२	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास	२८२५–२६
११४३	नेपाल में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल	२८२६–२७
११४४	कुतुब मीनार	२८२७–२८
११४५	दिल्ली में पानी की कमी के कारण हुये झगड़े	२८२८–२९
११४७	हाथीबाड़ी में चूने के पत्थर की खानें	२८२९–३०
११५०	अगरताला का विकास	२८३०–३१
११८३	प्राइमरी और मिडिल स्कूल	२८३१
११५१	उर्दू	२८३१—३३
११५२	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के लिये भूमि का अर्जन	२८३३—३४
११५३	कोयले का निर्यात	२८३४—३६
११५४	त्रिपुरा अधिकारियों का प्रशिक्षण	२८३६–३७
११५६	सेन्ट्रल फूड टेकनोलोजीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर	२८३७
११५७	मनीपुर में शराब बनाना	२८३८
११५८	मछलियां	२८३८–३९
११५९	सीमावर्ती विवाद	२८३९
११६२	उड़ीसा में कुटीर उद्योगों की ट्रेनिंग	२८३९–४०
११६३	मेसर्स इंडियन स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड	२८४१—४३
११६४	हैदराबाद में सर सालारजंग संग्रहालय	२८४३–४४
११६६	अध्यापकों के शिक्षा सम्बन्धी पर्यटन	२८४४
११६८	यमुना में बाढ़	२८४४–४५
११६९	दिल्ली प्रशासन का पुनर्गठन	२८४५–४६
११७१	उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति	२८४६—४८
११७२	समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम	२८४८

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२८४६—६२
तारांकित प्रश्न संख्या		
११३८	छात्रवृत्तियां	२८४६
११३६	बाल संग्रहालय और बाल भवन	२८४६
११४६	लोहे और इस्पात का आयात	२८५०
११४८	हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा विमान की खरीद	२८५०—५१
११४६	पश्चिमी बंगाल को इस्पात का संभरण	२८५१
११५५	विश्वविद्यालयों के अध्यापक	२८५१—५२
११६०	दिल्ली की प्रतिलिपि एजेन्सी	२८५२
११६१	छात्रवृत्तियां	२८५२
११६५	औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन-शुल्क) अधिनियम, १६५५	२८५३
११६७	अनिवार्य शारीरिक शिक्षा	२८५३
११७०	मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन	२८५४
११७३	पश्चिमी बंगाल में पाकिस्तानी	२८५४
११७४	सरकारी कर्मचारियों को उपदान	२८५५
११७५	यमुना नदी का मार्ग परिवर्तन	२८५५
११७६	श्री जे० एल० टेलर	२८५६
११७७	हिमालय बैंक लिमिटेड	२८५६
११७८	त्रिपुरा में प्राइमरी स्कूल	२८५६—५७
११७६	राष्ट्रमंडल सेनाध्यक्ष सम्मेलन	२८५७
११८०	छात्रावास	२८५७—५८
११८१	बोकारो इस्पात कारखाना	२८५८
११८२	सैनिक इंजीनियरिंग सेवा निर्माण समिति	२८५८—५६
११८४	भारत सेवक समाज के कैम्प	२८५६
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१८३१	असैनिकों के प्रयोग के लिये हथियार	२८५६
१८३२	शस्त्रास्त्रों में आत्मनिर्भरता	२८६०
१८३३	त्रिपुरा में प्रयोगात्मक सहायता कार्य	२८६०
१८३४	बम्बई में प्रादेशिक भाषायें	२८६०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१८३५	बम्बई में समाज सेवा कैम्प . .	२८६०
१८३६	बम्बई में कल्याण विस्तार परियोजनायें .	२८६१
१८३७	भूतपूर्व राजाओं की गद्दियों के उत्तराधिकारी . .	२८६१
१८३८	आन्ध्र को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अनुदान	२८६१-६२
१८३९	लक्कादीव में प्रकाश-स्तम्भ .	२८६२
१८४०	लक्कादीव द्वीप समूह .	२८६२
१८४१	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग . . .	२८६२-६३
१८४२	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये भूमि	२८६३
१८४३	आदिम जातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें	२८६३
१८४४	मिले जुले लोगों की बस्तियां	२८६४
१८४५	इस्पात कारखानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति	२८६४
१८४६	प्रतिरक्षा संस्थापनों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति	२८६५
१८४७	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान	२८६५
१८४८	राजस्थान के अनुसूचित जातियों के छात्र .	२८६५
१८४९	राजस्थान में राष्ट्रीय सेनाछात्र दल . . .	२८६५-६६
१८५०	राजस्थान को लोहे और इस्पात का संभरण . .	२८६६
१८५१	राजस्थान उच्चन्यायालय में आय-कर सम्बन्धी मुकदमे .	२८६६
१८५२	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	२८६७
१८५३	न्यायालयों के प्रशासन में भ्रष्टाचार . . .	२८६७
१८५४	कर जांच आयोग . .	२८६७-६८
१८५५	बम्बई में टैक्निकल शिक्षा . .	२८६८
१८५६	पंजाब का पुरातत्वीय सर्वेक्षण	२८६८
१८५७	हिन्दी शब्दावलि . .	२८६८-६९
१८५८	इस्पात कारखानों में विदेशी .	२८६९
१८५९	संस्कृत आयोग . . .	२८६९
१८६०	परीक्षा पद्धति . . .	२८७०
१८६१	टैक्निकल शिक्षण संस्थाओं के अध्यापक	२८७०
१८६२	जीवन बीमा निगम के डाक्टर	२८७०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१८६३	राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित अराजपत्रित कर्मचारी	२८७०-७१
१८६४	बाल अपराधी	२८७१
१८६५	सांची के स्तूप	२८७२
१८६६	तम्बाकू की खेती	२८७२
१८६७	पाकिस्तानी राष्ट्रजन	२८७२
१८६८	मैट्रिक से आगे अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	२८७३
१८६९	पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में कल्याण विस्तार परियोजनायें	२८७३
१८७०	विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन	२८७३
१८७१	इंगलैंड में भारतीय इंजीनियर एसोसियेशन	२८७४
१८७२	भारतीय भूतपूर्व सैनिक संथा का सम्मेलन	२८७४-७५
१८७३	तेल के लिये छिद्र करने वालों को प्रशिक्षण	२८७५-७६
१८७४	अनुसूचित जातियां, अनुसूचित आदिम जातियां तथा अन्य पिछड़े वर्ग	२८७६
१८७५	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये इंजीनियर	२८७६
१८७६	कच्चा लोहा व इस्पात का आवंटन	२८७६
१८७७	फीरोजपुर और अम्बाला छावनियों का विकास	२८७७
१८७८	औद्योगिक वित्त निगम स्थापित करने के लिये राज्यों को ऋण	२८७७
१८७९	पंजाब में लिगनाइट के निक्षेप	२८७७
१८८०	शस्त्र अधिनियम	२८७७-७८
१८८१	पंजाब में काम करने वाले भौमिकीविद्	२८७८
१८८२	शिशुपालगढ़, उड़ीसा, में खुदाई	२८७८-७९
१८८३	बीमा एजेंट	२८७९
१८८४	रुद्र-महालय के पास महादेव मंदिर	२८७९
१८८५	कानपुर की हारनेस एण्ड सेडलरी फैक्टरी के श्रमिकों के लिये मकान	२८८०
१८८६	भारत सेवक समाज	२८८०
१८८७	छात्रों में अनुशासन	२८८०
१८८८	विदेशों को प्रतिनिधिमण्डल	२८८०-८१
१८८९	विश्वयुवक सभा का सम्मेलन	२८८१
१८९०	तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भिक शिक्षा	२८८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१८९१	केन्द्रीय सरकार द्वारा मुकदमेबाज़ी	२८८१
१८९२	चंडीगढ़ में छावनी .	२८८२
१८९३	कोयला संसाधनों का उपयोग	२८८२–८३
१८९४	राज्यों को कोयला संभरण .	२८८३–८४
१८९५	नौसेना शस्त्र सम्भार डिपो, अलवाय	२८८४
१८९६	राजस्थान म तांबा .	२८८४
१८९७	समितियां और आयोग	२८८४–८५
१८९८	आदिम जाति का कल्याण	२८८५
१८९९	पंजाब को सहायता . .	२८८५
१९००	गुमिडीपिंडी का भारतीय वायु सेना केन्द्र . . .	२८८६
१९०१	भारत प्रशासन सेवा (विशेष भर्ती)	२८८६
१९०२	औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १९५५	२८८६–८७
१९०३	हिमाचल प्रदेश के व्यापारियों को ऋण	२८८७
१९०५	पंजाब की अनुसूचित जातियां, अनुसूचित आदिम जातियां तथा अन्य पिछड़े हुये वर्ग .	२८८७–८८
१९०६	हिमाचल प्रदेश में विज्ञान मंदिर	२८८८
१९०७	शराबबन्दी . .	२८८८
१९०८	सैनिक शिविरों में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	२८८८
१९०९	भू-अभिलेख विभाग हिमाचल प्रदेश	२८८९
१९१०	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त .	२८८९
१९११	पंजाब आदिम जाति क्षेत्र	२८८९
१९१२	गुप्त वार्ता विभाग .	२८८९–९०
१९१३	सरकारी कर्मचारी और राजनीति	२८९०
१९१५	फ्रांस में भारतीय वायु सेना के कर्मचारी .	२८९०
१९१६	आगरे के किले की मोती मस्जिद	२८९०–९१
१९१७	पुस्तकों के आयात पर रोक .	२८९१
१९१८	गृह-कार्य मंत्रालय .	२८९१–९२

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र— २८६१-६३

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) संविधान के अनुच्छेद ३२० (५) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम, १९५८ की एक प्रति ।

(२) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४७९ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली गजट अधिसूचना संख्या ४०/५/५८ (एक) दिल्ली दिनांक २२ अगस्त, १९५८ में प्रकाशित दिल्ली नगर निगम (पानी देने की अंतिम दर का निर्धारण) नियम, १९५८।

(दो) दिल्ली गजट अधिसूचना संख्या ४०/५/५८ (दो) दिल्ली दिनांक २२ अगस्त, १९५८ में प्रकाशित दिल्ली नगर निगम (मल हटाने के खर्च का निर्धारण) नियम, १९५८ ।

(३) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३० अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४४ की एक प्रति ।

राज्य-सभा से सन्देश २८६३

सचिव ने राज्य सभा से निम्नलिखित संदेश प्राप्त होने की सूचना दी :—

(१) "कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा २८ अगस्त, १९५८ को पारित किये गये केन्द्रीय बिक्री-कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९५८ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(२) कि राज्य सभा ने अपनी ८ सितम्बर, १९५८ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २६ अगस्त, १९५८ को पारित किये गये चीनी निर्यात संवर्धन विधेयक, १९५८ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।"

याचिका का उपस्थापन . . २८६३

श्री अर्जुन सिंह भदोरिया ने टॉर्ट (दोषयुक्त कृति) में राज्य के दायित्व के बारे में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षर की हुई एक याचिका पेश की ।

विषय **पृष्ठ**

मन्त्री द्वारा वक्तव्य २८९३–९४

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री फतह् सिंह राय गायकवाड़) ने २४ फरवरी, १९५८ को पठानकोट सैनिक क्षेत्र में भराली रेलवे स्टेशन पर गोला-बारूद की पेटियों में हुये विस्फोट के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा ।

कार्य मन्त्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत . . २८९५

उनतीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव विचाराधीन . . २८९५–२९३२

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक, १९५८ को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार, १२ सितम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि—

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक, १९५८ को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा और गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा ।